# भारत सरकार

## भारत का विधि आयोग

की

## उच्च न्यायालयों में उच्च प्रौद्योगिकी युक्त त्वरित वाणिज्यिक न्यायपीठों के गठन हेतु प्रस्ताव

विषय पर

## एक सौ अठासीवीं रिपोर्ट

सत्यमेव जयते

दिसम्बर, 2003

न्यायमूर्ति
एम० जगन्नाथ राव
अध्यक्ष

भारत का विधि आयोग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001
दूरभाष: 3384475
निवास:
1, जनपथ
नई दिल्ली-110011
दूरभाष: 3019465

15 दिसम्बर, 2003

अर्ध०शा० सं० 6(3)91/2003-एल०सी०(एल एस)

प्रिय श्री अरुण जैटली

मुझे, ''उच्च न्यायालयों में उच्च प्रौद्योगिकी युक्त त्वरित वाणिज्यिक न्यायपीठों के गठन हेतु प्रस्तावों'' पर विधि आयोग की 188वीं रिपोर्ट अग्रेषित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

वर्ष 1991 से हमारे देश की आर्थिक नीतियों में हुए व्यापक परिवर्तनों की दृष्टि से जो निजीकरण, उदारीकरण और भूमण्डलीयकरण के परिचायक हैं, आयोग ने इस विषय का चयन स्वमेव ही किया है। आयोग को यह प्रतीत होता है कि भारत में निवेशकों को, देशी तथा विदेशी दोनों को, स्पष्ट आश्वासन दिया जाना चाहिए कि वाणिज्यिक वाद, जिनमें धनराशि अन्तर्ग्रस्त है, सीधे उच्च न्यायालयों की वाणिज्यिक डिवीजन में दायर किए जाएंगे (जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश न्यायपीठ के बजाय)। उच्च न्यायालय की **वाणिज्यिक डिवीजन** की प्रक्रिया, न्यूयार्क या सिंगापुर के वाणिज्यक न्यायालयों की भांति ही, त्वरित होगी जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि जैसी उच्च प्रौद्योगिकीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी और यह कि वादों का निपटारा सामान्यता एक वर्ष के भीतर या अधिक से अधिक दो वर्ष के भीतर हो जाएगा। हमारी यह भी सिफारिश है कि ऐसी अधिक धनराशि वाले लम्बित वाद और ऐसे वादों से उत्पन्न अपील भी **वाणिज्यिक न्यायपीठ** को जानी चाहिए। हम **वाणिज्यिक डिवीजन** द्वारा पारित डिक्रियों तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 के अन्तर्गत आने वाले डिवीजन के आदेशों के विरुद्ध, अपीली डिक्रियों या निष्पादन संबंधी मामलों को छोड़कर, उच्चतम न्यायालय में अपील करने के विधिक अधिकार की भी सिफारिश कर रहे है। वाद वाले मामले भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 से शासित होंगे। जहां तक अधिक धनराशि वाले मामलों का संबंध है, हमारा मत है कि डिक्रियों का प्रवर्तन भी उच्च न्यायालयों की **वाणिज्यिक डिवीजन** द्वारा ही किया जाना चाहिए न कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा।

एक बार, अपेक्षित संख्या में खंड न्यायापीठों के साथ, उच्च न्यायालय में वाणिज्यक विवादों का निपटारा भारत में बहुत शीघ्र हो जाएगा। इस संदर्भ में, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि अमरीका तथा ब्रिटेन के वाणिज्यिक न्यायालयों में हाल ही में ऐसे बहुत से निर्णय हुए हैं जिनमें कहा गया है कि भारतीय न्यायालय प्रणाली 'विघटित' हो गई है क्योंकि वहां 20 वर्ष या इससे भी अधिक विलम्ब होता है और यह कि, इसलिए, भारतीय प्रतिवादियों के विरूद्ध अमरीका और ब्रिटेन के वाणिज्यिक न्यायालयों में वाद चलाए जा सकते हैं, चाहे इन देशों मे कोई वाद हेतुक न भी हो, परन्तु यह कि भारतीय प्रतिवादी की कोई शाखा या प्रतिनिधि उस देश में विद्यमान हो या वह उस देश के शेयर बाजार में व्यापार करता हो। सभी उच्च न्यायालयों में त्वरित उच्च प्रौद्योगिकी युक्त वाणिज्यिक डिवीजन की स्थापना करके इस प्रवृत्ति को तत्काल बदलना होगा। आयोग का विचार है कि भारत में पूंजीनिवेश में वृद्धि से, देशी और विदेशी दोनों पूंजी निवेशकों द्वारा, जो समग्र लाभ प्राप्त होगा वह सैकड़ों मिलयन डालरों में होगा और उसकी तुलना में उच्च न्यायालयों में त्वरित उच्च प्रौद्योगिकी युक्त डिवीजन स्थापित करने पर जो राशि व्यय होगी वह बहुत ही अल्प होगी।

आयोग ने 'वाणिज्यिक विवादों' की विस्तृत परिभाषा का प्रस्ताव किया है जिसमें न केवल व्यापारियों के बीच के विवाद अपितु वाणिज्यिक सम्पत्ति, जंगम और स्थावर से संबंधित विवाद भी सम्मिलित होंगे। यह ठीक है कि ऐसे वाणिज्यिक विवाद, जिन पर अनन्य अधिकारिता वाले न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा न्यायनिर्णय किया जाएगा, वाणिज्यिक डिवीजन के समक्ष नहीं जाएगें। प्रस्तावित परिभाषा में, उच्च न्यायालयों को, वाणिज्यिक डिवीजन द्वारा विनिश्चय किए जाने के प्रयोजन से, विशिष्ट 'वाणिज्यिक विवादों' को समय-समय पर अधिसूचित करने की अनुज्ञा दी गई है। आयोग का प्रस्ताव है कि जहां विषय-वस्तु का मूल्य एक करोड़ है (या ऐसी न्यूनतम

राशि जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाए परन्तु जहां न्यूनतम राशि 5 करोड़ से अधिक न हो), वहां वाणिज्यिक वाद वाणिज्यिक न्यायपीठ के समक्ष जाने चाहिए। इस सन्नियम का प्रस्ताव, कतिपय राज्यों की वाणिज्यिक न्यायपीठों में एक करोड़ रुपए की राशि के अत्यधिक मामलों के कारण कार्य के अवरूद्ध होने से बचने के लिए किया गया है। यदि एक करोड़ रुपये के राशि से अधिक राशि के मामलों की संख्या बहुत अधिक हो, तो डिवीजन द्वारा निपटारों के लिए उच्च न्यायालय मामलों की राशि न्यूनतम 5 करोड़ रुपए निर्धारित कर सकता है।

त्वरिज प्रक्रिया, जिसका विवरण रिपोर्ट में दिया गया है, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2002 पर 176वीं रिपोर्ट में निर्दिष्ट प्रस्तावित त्वरित माध्यस्थम प्रक्रिया के समान होगी।

आयोग ने अन्य देशों के प्रमुख वाणिज्यिक न्यायालयों की भांति ही, वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग, कम्प्यूटरीकरण आदि जैसी उच्च प्रौद्योगिकी युक्त सुविधाओं की सिफारिश की है। नेशनल इन्फोरमैटिक्स ने प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए अनुमानित व्यय के बारे में एक रिपोर्ट दी है और इसे अध्याय-आठ में सम्मिलिल किया गया है।

आयोग ने, विधायी शक्तियों के बारे में संवैधानिक स्थिति का विश्लेषण करने के पश्चात, रिपोर्ट में कहा है कि संसद भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-I और सूची-III की सुसंगत प्रविष्टियों के साथ पठित अपनी विधायी शक्तियों के आधार पर प्रस्तावित विधान बनाने के लिए सक्षम है।

सरकार और प्रत्येक उच्च न्यायालय को, जैसाकि रिपोर्ट में कहा गया है, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वाणिज्यिक डिवीजन में इतनी न्यायपीठ होंगी जितनी आवश्यक हैं और यह कि इन न्यायपीठों में सदैव पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश उपलब्ध रहेंगे। हमने, इस प्रयोजन से, यह सुझाव दिया है कि सामान्यरूप से नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जा सकेगी, चाहे वे उसी उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से। वाणिज्यिक डिवीजन के न्यायाधीशों को सिविल विधि तथा वाणिज्यिक विधियों में अनुभव प्राप्त होना चाहिए। न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के लाभार्थ, जो वाणिज्यिक डिवीजनों में प्रमुख स्थान रखते हैं, वाणिज्यिक विधियों में सतत् शिक्षा के लिए एक कार्यक्रम भी बनाना होगा।

हमें विश्वास है कि इन सिफारिशों को न्यायपीठ तथा बार से तथा सर्वाधिक वाणिज्यिक समुदाय से, भारत तथा विदेशों में समर्थन प्राप्त होगा।

हम श्री एस॰ मुरलीधर द्वारा, आयोग के अंशकालिक सदस्य, के इस रिपोर्ट को तैयार करने में दिए गए बहुमूल्य योगदान की सराहना करते हैं।

सादर,

भवदीय,
ह॰
(एम॰ जगन्नाथ राव)

श्री अरूण जैटली,
माननीय विधि और न्याय, वाणिज्य और उद्योग मंत्री,
भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

## विषय-सूची


| अध्याय | | | पृष्ठ |
|---|---|---|---|
| एक | : | भारत में त्वरित, उच्च तकनीकी युक्त वाणिज्यिक न्यायालयों की आवश्यकता | 1-2 |
| दो | : | भारत में उत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक मामलों का अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के न्यायालयों द्वारा भारत में 'सुविधाजनक फोरम' न होने के आधार पर अधिग्रहण किया जाना: कारण स्वीकार्य नहीं है | 3-8 |
| तीन | : | यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमरीका तथा बारह अन्य देशों में वाणिज्यिक न्यायालय | 9-25 |
| चार | : | वाणिज्यिक डिवीजन - ब्रिटेन, अमरीका और दिल्ली उच्च न्यायालय को कौन से माले सौंपे गए | 26-32 |
| पांच | : | संसदीय विधि द्वारा उच्च न्यायालयों के डिवीजन को मामलों का नियतन - संवैधानिक रूप से अनुज्ञेय | 33-42 |
| छह | : | ब्रिटेन और अमरीका में वाणिज्यिक डिवीजनों के लिए त्वरित प्रक्रिया | 43-50 |
| सात | : | अन्य देशों के वाणिज्यिक डिवीजन उच्च प्रौद्योगिकी युक्त हैं और ऑन लाइन प्रणालियों का अनुसरण करते हैं। | 51-55 |
| आठ | : | भारत में ई-न्यायालयों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय आसूचना के प्रस्ताव | 56-60 |
| नौ | : | भारत में उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक डिवीजन में त्वरित प्रक्रिया | 61-69 |
| दस | : | सिफारिशों का सारांश | 70-77 |

## अध्याय-एक

# भारत में त्वरित, उच्च तकनीकी युक्त वाणिज्यिक न्यायालयों की आवश्यकता

विगत दशाब्दि में भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है जिनके परिणामस्वरूप हमारे वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में अत्यधिक विकास हुआ है। सरकार की नीतियों में वर्ष 1991 से, जब हमारी अर्थव्यवस्था को विस्तृत रूप में विदेशी पूंजीनिवेश के लिए खोला गया, आमूल परिवर्तन हुआ है। निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत आगे बढ़ाने में सहायता प्राप्त हुई है। साथ ही, विश्व हमारे लिए बहुत अधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है।

वाणिज्य और व्यापार में तीव्रगति से हुई वृद्धि के साथ-साथ अधिक जोखिम वाले वाणिज्यिक विवादों के बढ़ने की भी संभावना है। जब तक इनके तीव्रगति से और कुशलतापूर्ण समाधान के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं होगी, प्रगति अवरूद्ध हो जाएगी। भातर में विदेशी पूंजीनिवेशकों को यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि भारत के न्यायालय विश्व के अधिकांश विकसित देशों के न्यायालयों की भांति ही तीव्र है और न्यायिक प्रक्रिया में अब कोई विलम्ब नहीं होता है।

इसे ध्यान में रखते हुए, विधि आयोग ने उच्च न्यायालयों में, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका तथा अन्य देशों में उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक डिवीजनों की पद्धति पर वाणिज्यिक डिवीजन की व्यवहार्यता के विषय में विचार करना आवश्यक समझा है। इस रिपोर्ट के अध्याय-तीन में विभिन्न देशों में जिस रूप में 'वाणिज्यिक डिवीजनों' की स्थापना की गई है, दूसरे विषय में तथा वाणिज्यिक डिवीजनों के कार्यकरण के विषय में चर्चा की जाएगी। हम यह कह सकेंगे कि यूनाइटेड किंगडम में 100 वर्ष से भी अधिक पहले 1895 में वाणिज्यिक डिवीजन आरम्भ किया गया था और इसने व्यापारी वर्ग में विश्वास पैदा किया और लंदन में वाणिज्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। अमेरिका में वाणिज्यिक डिवीजन, हाल ही में 1993 के निकट या 1993 में आरम्भ किया गया। अन्य देशों में भी ऐसा ही किया गया है या किया जा रहा है।

इस रिपोर्ट का उद्देश्य, प्रत्येक उच्च न्यायालय में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग, ऑन लाइन फाइलिंग जैसी उच्च प्राद्यौगिकीय सुविधाओं के साथ वाणिज्यिक डिवीजनों की स्थापना के लिए सिफारिश करना है ताकि एक करोड़ रुपये या इससे अधिक के वाणिज्यिक मामले या ऐसी उच्चतर सीमा के मामले, जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाए (परन्तु जोड़ करोड़ से अधिक न हो), त्वरित आधार पर निपटाए जा सकें। त्वरित प्रक्रिया के बारे में वास्तव में, भारतीय मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के संशोधन विषय पर त्वरित माध्यस्थम के लिए रिपोर्ट में सिफारिश की गई थीं। उद्देश्य यह है कि इतनी बड़ी राशि के वाणिज्यिक मामले भारत के सभी राज्यों में एक वर्ष के भीतर या अधिक से अधिक दो वर्ष में निपटा दिए जाने चाहिए। अधिकतम दो वर्ष की अवधि पूर्णतया न्यायोचित है और यह विदेशों के अधिकांश न्यायालयों के, विशेषकर अमेरिका और ब्रिटेन के, समतुल्य है। प्रस्तावित डिवीजनों में उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीश होने चाहिए जिन्हें सिविल विधि में, विशेषकर वाणिज्यिक विधियों में, दक्षता प्राप्त हो। यह प्रस्ताव भी किया गया है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को विश्व पर्यन्त वाणिज्यिक विधियों में तीव्र गति से हो रहे परिवर्तनों के बारे में विस्तृत ज्ञान कराया जाना चाहिए और नई शाखाओं के विषय में उनके ज्ञान के स्तर को सतत् व्याख्यान कार्यक्रम द्वारा अद्यतन बनाया जाना चाहिए। एक करोड़ रूपये की राशि की धनीय सीमा से अधिक धनराशि वाले मामले, जैसाकि ऊपर बताया गया है, हमारे विचार से, मूलतः उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा लिए जाने चाहिए। इसके साथ-साथ, उपर्युक्त उच्च धनीय मूल्य के वाणिज्यिक मामलों के बारे में, खंड न्यायपीठों में लम्बित अपील भी, उच्च न्यायालयों में लम्बित अन्य सिविल अपीलों के साथ लाइन में लगने के बजाय, सीधी वाणिज्यिक डिवीजनों में की जानी चाहिए। इसी प्रकार मूल वादों में तथा स्थानान्तरित मामलों में भी वाणिज्यिक डिवीजनों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन भी उसी डिवीजन द्वारा किया जाना चाहिए।

रिपोर्ट के अध्याय-दो में, हाल ही में सामने आई एक अन्य समस्या के बारे में चर्चा की गई है। यूनाइटेड किंगडम तथा अमेरिकी न्यायालयों के निर्णयों में 'सुविधाजनक फोरम' न होने के सिद्धान्त को चयनात्मक रूप से

लागू करने की और अन्य यूरोपीय पक्षों द्वारा दायर किए गए वादों में कार्रवाई रोकने और इन देशों में अन्य देशीय पक्षों के विरूद्ध दायर किए गए वादों के लिए इसी सिद्धान्त को लागू करने से इंकार करने की प्रवृत्ति हाल ही में सामने आई है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि जहां कोई विदेशी कम्पनी भारत में भारत की किसी कम्पनी/फर्म आदि के साथ कारबार करती है तब उस विदेशी कम्पनी को न्यूयार्क और लंदन में न्यायालयों द्वारा इस धारणा के आधार पर न्यूयार्क या लंदन के न्यायालयों में वाद लाने की अनुज्ञा दी जाती है कि भारत के न्यायालयों में अत्याधिक विलम्ब होता है। ऐसी कार्यवाही तब भी की जाती है जब वाद हेतुक का कोई भी भाग उन देशों में उत्पन्न न हुआ हो। जहां किसी भारतीय कम्पनी या फर्म की अमेरिका या ब्रिटेन में कोई शाखा है, इन देशों के न्यायालयों द्वारा अब यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसी कम्पनियां विदेशी न्यायालयों की अधिकारिता के अध्यधीन हैं चाहे वाद हेतुक का कोई भी भाग उन देशों में उत्पन्न न हुआ हो। विदेशों के न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ब्रिटेन और अमेरिका के न्यायालय इन देशों में भारतीय/फर्मों के विरूद्ध दायर किए गए मामलों में ऐसी प्रमुख धारणा के आधार पर रोकादेश देने से इंकार कर सकेंगी कि यदि ये मामले भारत में दायर किए जाएंगे तो इनके निपटान में कम से कम 'पच्चीस वर्ष' का समय लग जाएगा। अमेरिका और ब्रिटेन के न्यायालयों के इस दुर्भाग्यपूर्ण दृष्टिकोण का अध्याय-दो में स्पष्टीकरण किया गया है। उच्च न्यायालयों में पृथक वाणिज्यिक डिवीजन के प्रस्ताव के लिए हम इसका निर्देश अतिरिक्त कारण के रूप में कर रहे हैं। जबकि हम ब्रिटेन और अमेरिका की इस सामान्य धारणा से पूर्णतया असहमत हैं कि भारत में सभी मामलों के निपटान में लगभग बीस वर्ष का समय लगता है। तथापि, हम यह महसूस करते हैं कि यदि हमारे प्रस्तावों को विधायी स्वरूप दे दिया जाता है तो ब्रिटेन और अमेरिका के न्यायालयों की यह प्रवृत्ति रुक जाएगी।

इसलिए, जैसाकि ऊपर बताया जा चुका है, मूलत: एक करोड़ रुपये की राशि से अधिक वाले वाणिज्यिक मामलों के बारे में कार्यवाही करने के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक पृथक डिवीजन के गठन का प्रस्ताव किया गया है। इन न्यायालयों में ऑन-लाइन फाइलिंग, कम्प्यूटरीकरण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और मामलों का निपटान एक वर्ष के भीतर या अधिक से अधिक दो वर्ष के भीतर किए जाने का विचार किया गया है। हमारी न्यायपालिका और उच्च न्यायालय बार को जिस प्रकार का विशिष्ट ज्ञान उपलब्ध है उसे देखते हुए शीघ्र ही वाणिज्यिक डिवीजन स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

यह प्रस्ताव किया गया है कि इतनी बड़ी राशि के मामले, जो वाणिज्यिक डिवीजन को निर्देशित किए जाते हैं, जो मूलत: उच्च न्यायालयों के दो न्यायाधीशों की एक या एक से अधिक खंडपीठों द्वारा निर्णित हुए हों, उच्चतम न्यायालय में सांविधिक अलील के अध्यधीन होंगे। हमने यह प्रस्ताव भी किया है कि पदासीन न्यायाधीशों के अतिरिक्त, इन न्यायालयों के लिए उच्च न्यायालयों के ऐसे सेवानिवृत न्यायाधीश भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 क के अधीन नियुक्त किए जा सकेंगे जिनकी कार्यकुशलता प्रमाणित है और जिन्हें सिविल और वाणिज्यिक विधियों में पर्याप्त अनुभव प्राप्त है। अनुच्छेद 224क के अधीन ऐसी नियुक्तियां तब भी की जा सकेंगी यदि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अन्य न्यायालयों से सेवानिवृत हुए हों।

अन्य अध्यायों में इस विषय पर की गई चर्चा प्रत्येक न्यायालय में वाणिज्यिक डिवीजन के गठन और कार्यकरण की आधारशिला होगी।

अध्याय-दो में हम, अमेरीका और ब्रिटेन जैसे अन्य देशों में उत्पन्न हुई 'सुविधाजनक फोरम' न होने की समस्याओं के बारे में विस्तार से निर्देश करेंगे अध्याय-तीन में, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों में कार्यरत वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना और कार्यकरण के बारे में चर्चा की जाएगी। अध्याय-चार में हम, 'वाणिज्यिक मामले' शब्दों के अभिप्राय पर विचार करेंगे। अध्याय-पांच में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या अनुच्छेद 225 और सातवीं अनुसूची की सूची-III की प्रविष्टि 11क के उपबंध संसद को प्रत्येक उच्च न्यायालय में 'वाणिज्यिक डिवीजन' बनाने की पर्याप्त शक्ति प्रदान करते हैं। अध्याय -छह, त्वरित प्रक्रियाओं के बारे में है। अध्याय-सात अन्य देशों में उच्च प्रौद्योगिकी प्रणाली के बारे में तथा अध्याय-आठ हमारे वाणिज्यिक न्यायालयों में उच्च प्रौद्योगिक प्रणाली के बारे में हमारे प्रस्तावों से संबंधित है। अध्याय-नौ में उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक डिवीजन के गठन के लिए हमारे अन्तिम प्रस्ताव अन्तर्विष्ट हैं। अध्याय-दस में हमारी सिफारिशें दी गई हैं।

अध्याय - दो

# भारत में उत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक मामलों का अमेरीका और यूनाइटेड किंगडम के न्यायालयों द्वारा भारत में 'सुविधाजनक फोरम' न होने के आधार पर अधिग्रहण किया जाना; कारण स्वीकार्य नहीं हैं

अध्याय-एक में यह बताया गया है कि आयोग का यह निश्चित मत है कि भारतीय पक्षकारों के बीच तथा भारतीय पक्षकारों और विदेशी पक्षकारों के बीच अधिक धनराशि वाले वाणिज्यिक मामलों का उच्च प्रौद्योगिक सुविधा युक्त त्वरित प्रणाली द्वारा शीघ्रता से निपटान करने के प्रयोजन से प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक 'वाणिज्यिक डिवीजन' होना चाहिए। इस अध्याय में आयोग 'वाणिज्यिक डिवीजन' गठित करने की सिफारिश के लिए एक अन्य अतिरिक्त कारण का उल्लेख कर रहा है। अतिरिक्त कारण यह है कि भारत में लगभग सभी प्रकार के मामलों के निपटान में 25 वर्ष का समय लग जाता है, एक सामान्य धारणा, हमारे विचार में जिसका कोई औचित्य नहीं है, ऐसे मामलों को, जो भारत में फाइल किए जाने चाहिए थे, इस कारण विशेष आधार पर ग्रहण करते हुए कि भारत में लगभग सभी प्रकार के मामलों के निपटान में 25 वर्ष का समय लग जाता है, एक सामान्य धारणा, हमारे विचार में जिसका कोई औचित्य नहीं है, अमेरीका और ब्रिटेन के न्यायालयों के हाल के निर्णयो को अर्थहीन बनाना अब आवश्यक हो गया है।

देश में न्याय प्रशासन के बारे में अपने समग्र दृष्टिकोण के साथ आयोग दृढ़तापूर्वक कह सकता है कि हजारों मामले, विशेषतया वे जो वाणिज्यिक विवादों से संबंधित है, वास्तव में, भारतीय न्यायालयों द्वारा अधिक तीव्र गति से निपटा दिए जाते है— कुछ तो एक वर्ष के भीतर और बहुत से दो या तीन वर्ष के भीतर और इसलिए, विदेशी न्यायालयों द्वारा भारतीय न्याय प्रणाली के बारे में यह कहना कि उसकी स्थिति शोचनीय है और यह कि यह मृत प्राय: हो गई है, हमें अतिश्योक्ति ही प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली उच्च न्यायालय में, धनराशियां वसूल करने के मामले बैंक गारंटियों या प्रत्यय पत्रों के अधीन हैं और इनका निपटारा एक वर्ष में या अधिक से अधिक दो वर्ष में हो जाता है।। परन्तु फिर भी जब हाल ही में न्यूयार्क की सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्ष 2003 में यह प्रश्न समाने आया, **शिन-ईटीएसयू कैमिकल कम्पनी लिमिटैड** बनाम **आई सी आई सी आई बैंक एण्ड स्टेट बैंक आफ इंडिया**, न्यायालय ने इस धारणा पर मामले को ग्रहण किया कि भारत में ऐसे मामलों के निपटान में भी पंद्रह वर्ष का समय लग जाएगा। यह मामला एक जापानी कंपनी द्वारा प्रत्यय पत्रों के आधार पर भारतीय बैंकों के विरुद्ध वाद से संबंधित था (जिसमें अमेरिका में कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ था) अमेरिका के न्यायालय में भारतीय विशेषज्ञ का एक शपथ-पत्र फाइल किया गया जिसमें कहा गया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय में पंद्रह वर्ष तक का विलम्ब होता है। वाद अमेरीका के वाणिज्यिक न्यायालय में इस आधार पर दायर किया गया कि भारतीय न्यायालय निपटान में पच्चीस वर्ष का समय लेते हैं। अमेरीका से केवल इतना संबंध था कि भारतीय बैंक की या तो न्यूयार्क में कोई शाखा थी या वह न्यूयार्क के स्टाक एक्सचेंज में व्यापार कर रहा था। हम इस मामले का निर्देश केवल यह दर्शाने के लिए कर रह हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन के न्यायालयों ने भारतीय विशेषज्ञ के शपथ-पत्र के साक्ष्य के आधार पर, एक या दो मामलों को लेकर यह सामान्यीकरण करना कि भारत में भारतीय न्यायालयों में सभी मामलों में पंद्रह से बीस वर्ष तक का समय लग जाता है, बहुत अनौचित्यपूर्ण और व्यापक सामान्यीकरण किए हैं। एयर इंडिया के विमान कनिष्क को बम से उड़ाने का 1985 का दांडिक मामला कनाडा के न्यायालयों में अभी तक चल रहा है परन्तु इस आधार पर हम ऐसी सामान्य धारणा नहीं बना सकते कि कनाडा में सभी दांडिक मामलों में बीस वर्ष का समय लगता है।

**अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसे मामलों में विसंगतियां जहां विदेशी वादी हैं और जहां विदेशी प्रतिवादी हैं:—**

वास्तव में, अमेरिका और ब्रिटेन के न्यायालयों के दृष्टिकोण में 'सुविधाजनक फोरम न होने' के सिद्धान्त को लागू करने में गंभीर विसंगतियां हैं। विदेशी वादियों की तुलना में भारतीय वादियों के प्रति विदेशी न्यायालयों के दृष्टिकोण में विशेष विषमता का निर्देश करने की आवश्यकता है। अधिकांशत:, यदि प्रतिवादी विदेशी हैं, तो ये विदेशी न्यायालय इस आधार पर मामले को तुरन्त ग्रहण कर लेते हैं कि विदेशी पक्षकार के देश में न्यायालयों में

विलम्ब होता है। यदि विदेशी वादी है, तो वही न्यायालय विदेशी पक्षकार को उसके देश के न्यायालयों में ही वापस भेज देते है। अमेरीका और ब्रिटेन के न्यायालयों के निर्णयों की इन विषमताओं का बहुत से न्यायविदों द्वारा विश्लेषण किया गया है और इनकी आलोचना की गई हैं (इस संदर्भ में देंखे, (क) डैसविड डब्ल्यू राबर्टसन, प्रो॰ ऑफ लॉ, टेक्सास यूनिवर्सिटी द्वारा 'फोरम नन कन्विनीयेंस' इन अमेरीका एंड इंग्लैड 'ए रादर फैनटैस्टिक फिक्शन' (1987), खंड 103 लॉ क्वार्टरली रिव्यू पृ॰ 398; (ख) भोपाल, बोगनविले एंड ओ॰के॰टेन्डी: पीटर प्रिंस द्वारा 'व्हाई आस्ट्रेलियाज नन कन्विनीयेंस अप्रोच इज बैटर', खंड 47, इन्टरनेशनल एंड कम्पैरेटिव क्वार्टरली, पृ॰ 553; और (ग) ट्रायल इन इंग्लैड एंण्ड अब्रोड: दी अन्डरलाईग पॉलिसी कन्सीडरेशस, खंड 9, ऑक्सफोर्ड जरनल ऑफ अफेयर्स, पृष्ठ 205)

राबर्टसन ने बताया है कि जहां विदेशी अमेरिका में आते हैं और अमेरीका के नागरिकों के विरुद्ध वाद दायर करते हैं या जहां विदेशी विदेशियों के विरुद्ध अमेरीका में वाद दायर करते है, अमेरीकी न्यायालय वादियों को उनके देशों की न्याय प्रणाली की प्रशंसा करते हुए उनके अपने देशों में ही भेज देते है; परन्तु जहां अमेरीका निवासी या विदेशी अमेरीका में विदेशियों के विरुद्ध वाद दायर करते हैं वहां न्यायालय 'सुविधाजनक फोरम न होने' का सिद्धान्त कहते हुए यह अभिनिर्धारित करते हैं कि विदेशियों के देशों के न्यायालय उपयुक्त न्यायालय नहीं है क्योंकि वहां अत्यधिक विलम्ब होता है और वहां के न्यायाधीशों को अमेरीका के न्यायाधीशों के समान विशेष ज्ञान नहीं है (पृष्ठ 405)। हम ऐसे विशिष्ट मामलों का निर्देश करेंगे जिनमें इस प्रकार का दृष्टिकोण स्पष्ट दृष्टिगत होता है।

(क) भोपाल का मामला इसका एक उदाहरण है। अमेरीका बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड के भोपाल स्थित संयंत्र के गैस प्रदूषण से भारत में हजारों लोगों की मृत्यु हुई। जब भारतीय पीड़ितों द्वारा या उनकी ओर से अमेरीकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के विरुद्ध अमेरीका में दावे फाइल किए गए तब अमेरीकी जिला न्यायालय, न्यूयार्क का दक्षिण जिला के न्यायाधीश कीनन ने भारतीय न्याय प्रणाली की प्रशंसा करते हुए दावों को खारिज करते हुए पीड़ितों को अपने देश के न्यायालयों में ही वाद दायर करने के लिए कहा था (देंखे दि यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन गैस प्लांट डिसास्टर एट भोपाल) (1986), 634, एफ॰ सप्ली॰ 842 (एस॰डी॰एन॰वाई॰)

> ''न्यायालय के विचार में, इस मुकदमे को इस न्यायालय में रखे रहना, जैसाकि वादियों ने अनुरोध किया है, एक और परिस्थिति के साम्राज्यिकीकरण का एक और उदाहरण होगा जिसके एक सुस्थापित प्रभुतासंपन्न देश एक विकासशील देश पर अपने नियमों, मानकों और मूल्यों को अधिरोपित करेगा। भारत वर्ष 1986 में विश्वशक्ति बन गया है और उसके न्यायालयों में निष्पक्ष और समान न्याय प्रदान करने की प्रमाणित क्षमता है। विश्व के समक्ष स्वयं को श्रेष्ठ दर्शाने के लिए भारतीय न्यायपालिका को इस अवसर से वंचित रखना और उसके लोगों की ओर से निर्णय देना अनुसेवा और पराधीनता के इतिहास को दोहराना होगा जिससे भारत मुक्त हुआ है। भारत और उसके लोगों को अपने दावे वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से विकसित हुई स्वतंत्र तथा वैध न्यायपालिका के समक्ष ही प्रमाणित करने चाहिए।''

न्यायाधीश कीनन के निर्णय में निम्नलिखित टिप्पणी भी इतनी ही महत्वपूर्ण है:

> ''न्यायालय, भोपाल की घटना तथा अन्य मामलों के उदाहरण से, जहां भारतीय न्यायपालिका द्वारा शीघ्र समाधान करने के लिए विशेष उपाय किए गए थे, इस बात से सहमत हुआ है कि अत्यन्त महत्वपूर्ण और किसी एक ही घटना से कभी भी उत्पन्न होने वाला तत्काल तथा विस्तीर्णवाद भारत में, यदि आवश्यक हो, न्यायिक समाधान द्वारा निपटाया जा सकेगा।
>
> ''इस विषय पर चर्चा के सारांश के रूप में, न्यायालय निर्धारित करता है कि भोपाल के मुकदमे के लिए **भारतीय विधिक प्रणाली में समुचित वैकल्पिक फोरम उपलब्ध है। ऐसी कोई भी अपर्याप्त या असंतोषप्रद प्रवृति प्रदर्शित करने से परे कि 'कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं' भारतीय न्यायालय इस मामले का समाधान करने में सक्षम प्रतीत होता हैं**..........दोनों विधि प्रणालियों के बीच अन्तर से, यदि वे वादी के अपकार में अभ्यस्त भी हैं, ऐसा संकेत नहीं मिलता है कि भारत समुचित वैकल्पिक फोरम नहीं है।''

विद्वत न्यायाधीश ने यह भी कहा कि दावों को अमेरीका में जारी रहने देने से अमेरीकी न्याय व्यवस्था के प्रशासनिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी और अमेरीका में ऐसे दावों का ग्रहण करने से अमेरीकी न्यायालयों के समय पर अनावश्यक भार बढ़ेगा उसने कहा:

> ''न्याय प्रणाली पर रहने वाले भार के अतिरिक्त, फोरम में इस वाद को जारी रखने से नागरिकों के समय और संसाधनों पर प्रत्यक्षत: भार पड़ेगा; .......इस वाद के प्रशासनिक खर्चे चकित करने वाले और महत्वपूर्ण हैं।''



उपर्युक्त मामले में, भारत में विलम्ब होने तथा दावों का निर्णय करने के लिए अमेरीकी न्यायालय क्यों उपयुक्त हैं के बारे में प्रो॰ मार्क गैलेन्टर का शपथ-पत्र न्यायाधीश कीनन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

(ख) अब हम भारतीय न्याय प्रणाली की उपर्युक्त प्रशंसाओं की तुलना भटनागर बनाम **सुरेन्द्र ओवरसीज लिमिटेड** (1995) 52 एफ॰ 2 डी॰ 1220 (थर्ड सर्किट), मामले में थर्ड सर्किट अपीलीय न्यायालय के कथन से करेंगे। (अमेरीका में फाइल किए गए मामलों के ग्रहण किए जाने और इन्हें वहां जारी रखे जाने के बारे में अमेरीकी न्यायालयों में इस मामले को सदैव उद्धृत किया जाता है) न्यायमूर्ति लेविस ने प्रो॰ मार्क गैलेटर तथा शारदूल श्राफ (भारत के एक वकील) के शपथ-पत्रों का निर्देश किया जिसमें दोनों ने दुर्भाग्यपूर्ण सामान्यीकरण किया था कि **''भारतीय न्यायालय प्रणाली विघटन के कगार पर है''**। न्यायमूर्ति लेविस ने शपथ -पत्रों को स्वीकार कर लिया और मामले को अमेरीका में जारी रखने के जिला न्यायालय के तर्क की पुष्टि की। उसने कहा:

> ''जिला न्यायालय ने........पाया है कि भारतीय न्यायालयों में अनिर्णित पड़े मामलों की संख्या बहुत अधिक है—इतनी अधिक कि इसे मुकदमे के निर्णय में, यदि इसे भारत में दायर किया जाता है, पच्चीस वर्ष का समय लग जाएगा।''

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इसी मामले में अमेरीकी न्यायालय ने मामले को अमेरीका में जारी रखने के लिए प्रो॰ मार्क गैलेन्टर (तथा भारत के श्री शारदूल श्राफ) के उपर्युक्त शपथ-पत्र पर निर्भर किया जबकि भोपाल मामले में प्रो॰ मार्क गैलेन्टर के इसी प्रकार के शपथ-पत्र को अस्वीकार कर दिया गया था और न्यायालय ने भारतीय पीड़ितों की ओर से अमेरीका में फाइल किए गए मामले को ग्रहण करने से इंकार कर दिया था।

उपर्युक्त, भटनागर मामले में पाइपर एयरक्राफ्ट (1981) 454 यू॰ एस॰ 235, मामले के इस आशय के कथन को उद्धृत करने के पश्चात कि अमेरिका के न्यायालयों में भी विलम्ब होते हैं और यह कि अमेरीकी न्यायालयों के विचार में दो या ढाई वर्ष तक का विलम्ब न्यायोचित है, न्यायमूर्ति लेविस ने कहा था कि उपचार नहीं है। यहां हम इस बात का भी उल्लेख कर सकेंगे कि उपर्युक्त मामलों में श्री शारदूल श्राफ के मतानुसार भारतीय विधिक प्रणाली लगभग विघटन के कगार पर है। भटनागर मामले में अमेरीका में फाइल किए गए मामले को अमेरीका में रोके रखने के लिए भारतीय प्रतिवादी द्वारा इस आधार पर किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था कि यदि मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय में वापस भेजा गया तो इसके निर्णय में 15–20 वर्ष का समय लगेगा और अपील में पांच वर्ष का समय और लग जाएगा। थर्ड सर्किट द्वारा इस अभिमत की पुष्टि कर दी गई।

अभी हाल ही में, **मोदी एन्टरप्राइजेज बनाम ई एस पी एन इंक** (दिनांक 4.3.2003) मामले में भारतीय पक्षकारों के विरुद्ध वाद को ग्रहण और धारित करते हुए न्यूयार्क स्टेट, न्यूयार्क काऊन्टी के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ईरा गैयरमैन ने कहा:

> ''.......यह स्पष्ट है कि भारतीय न्यायालयों में, दिल्ली उच्च न्यायालय सहित जहां यह मुकदमा चलेगा, पिछले बकाया मामले अनिर्णित पड़े हैं, न्यूयार्क न्यायालय में इसे असहनीय समझा जाएगा क्योंकि कभी-कभी इसके पूरा होने में 20 वर्ष का समय लग जाता है। ऐसे विलम्ब को सुविधाजानक फोरम उपलब्ध न होने के आधार को खारिज करने के प्रस्ताव के प्रत्याख्यान के समर्थनकारी पहलु के रूप में देखा गया है: देंखे भटनागर बनाम **सुरेन्द्र ओवरसीज लिमिटेड:** 52 एफ थर्ड 1220 (थर्ड सर्किट, 1995) अत्यधिक अनिर्णीत पड़े मामलों के कारण भारत में समुचित फोरम नहीं है)''

आश्चर्य की बात यह है कि अमेरीकी न्यायालय में मामले को धारित रखना न्यायोचित ठहराने के लिए न्यायमूर्ति गैयरमैन ने भोपाल मामले में जनसमूह के प्रति अपकृत्यों के दावों में भारत में विलम्ब होने के बारे में भारतीय वादियों के अभिवचनों का निर्देश किया परन्तु भोपाल मामले में अन्तिम निर्णय का निर्देश नही किया जिसमें अमेरीकी न्यायालय के न्यायमूर्ति कीनन ने भारत में विलम्ब होने के आधार पर दिए गए तर्क को अस्वीकार कर दिया था और, वास्तव में, भारतीय न्यायिक प्रणाली की प्रशंसा की थी। न्यायमूर्ति से यह आशा की गई थी कि वह भोपाल मामले में ऐसे तर्क पर निर्भर करने के बजाय, जिसे न्यायमूर्ति कीनन ने अस्वीकार कर दिया था, अमेरीकी न्यायालय के न्यायमूर्ति कीनन के अन्तिम निर्णय के अनुसार कार्रवाई करते।

मोदी एन्टरप्राइजेज के मामले में न्यायमूर्ति ईरा गैयरमैन ने अमेरीकी न्यायालय में मामला धारित रखने के लिए एक अन्य तर्क यह दिया था कि वाणिज्य के विषय में न्यूयार्क को विश्व प्रमुख के रूप में संरक्षित रखना आवश्यक है। न्यायमूर्ति ने कहा था कि मामला अमेरीका में निम्नलिखित दृष्टिकोण से रखा जा रहा है:

> ''अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य के प्रमुख के रूप में न्यूयार्क की प्रतिष्ठा की रक्षा करने और अन्य विदेशी कंपनियों को इस प्रकार के भय से मुक्त होकर न्यूयार्क में आकर कारोबार करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए कि न्यूयार्क के न्यायालय न्यूयार्क में कार्यरत कंपनियों के विरुद्ध उनके विधिक वादों को विदेशी कंपनियों के अपने देशों की अधिकारिताओं के विलम्ब-पीड़ित न्यायालयों में नही भेजेंगे।''

यदि अन्य देशों के न्यायालय भी यही सोचें कि न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार करने से उनके देशों के वाणिज्य के विकास में सहायता मिलेगी तो विभिन्न देशों के न्यायालयों के बीच सौजन्य का सिद्धान्त शीघ्र ही मिट जाएगा।

अभी हाल ही में, **शिन-ईटीएसयू केमिकल कम्पनी लिमिटेड बनाम आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ बैंक** (दिनांक 5.8.2003) मामले में न्यूयार्क स्टेट के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति ईरा गैयरमैन ने जापानी कम्पनी द्वारा भारतीय बैंक के विरूद्ध अमेरिका में फाइल किए गए वाद को धारित रखते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:

> ''भटनागर मामले में (52 एफ॰ 2 डी॰ 1220 थर्ड सर्किट 1995), जो इस मामले के अनुरूप है, थर्ड सर्किट ने सुविधाजनक फोरम न होने के आधार को खारिज करने के प्रस्ताव पर जिला न्यायालय के प्रत्याख्यान की यह कहते हुए पुष्टि की थी कि ''किसी परिस्थिति में, प्रत्यशित न्यायिक उपचार इतना दूरस्थ हो जाता है कि वह उपचार ही नहीं रह जाता और वैकल्पिक फोरम को स्पष्ट रूप से इतना असंतोषप्रद बना देता है कि वह उपयुक्त फोरम ही नहीं रह जाती। वही, पृष्ठ 1228''

और उसने आगे कहा:

> ''यहां वादी के विशेषज्ञ ने कहा है कि यदि कार्यवाही भारत में की जाती है तो इसके समाधान में 15 से 20 वर्ष का समय लग जाएगा। इस प्रकार वादी, यदि भारत में वाद चलाया जाता है, शीघ्र न्यायिक सुविधा प्राप्त होने से वंचित हो जाएगा।''

भोपाल के मामले में अमेरिकी न्यायालय ने जिसे समुचित उपचार बताया गया (अर्थात भारतीय न्यायालयों में उपचार) उसे भटनागर, मोदी और शिन-एटसू मामलों में कोई उपचार ही नहीं समझा । हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तर केवल इतना था कि भोपाल के मामले में दावेदार भारतीय पीडित थे जबकि इन मामलों में भारतीय प्रतिवादी थे।

एक समय, अमेरिकी न्यायालयों ने वास्तव में प्रादेशिक राष्ट्रवाद की दृष्टि से यह मत व्यक्त किया था कि ऐसे किसी मामले को ग्रहण करना जो किसी अन्य देश के न्यायालय में फाइल होना चाहिए था, अन्य देशों के न्यायालयों के लिए अपमानजनक होगा। इस सिद्धांत को भोपाल के मामले में लागू किया परन्तु बाद में, व्यंगात्मकरूप मे, सिद्धांत को त्याग दिया गया और भटनागर, मोदी और शिन-एटसू मामले में इसे लागू नहीं किया गया।

अमेरिकी न्यायालयों के हाल ही के इस दृष्टिकोण की अन्य न्यायविदों द्वारा भी गम्भीर आलोचना की गई है। श्री पीटर प्रिंस (1998) (खंड 47) (इन्टरनेशनल एण्ड कम्पैरेटिव लॉ क्वार्टरल, पृष्ठ, 73, पैरा 576) में नोट किया है कि अमेरिकी न्यायालय यह देखकर भिन्न-भिन्न निर्णय करते हैं कि वादी कौन है। उन्होंने कहा कि सुविधाजनक फोरम न होने का सिद्धांत

> ''......विदेशी वादियों के विरुद्ध जो अमेरीकी तथा ब्रिटिश प्रतिवादियों से उनके देश में क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर करते हैं, विनिर्दिष्टत: व्यंगोक्ति के रूप में कार्य करता है।''

श्री पीटर प्रिंस (वही पैरा 580) ने अन्य देशों के वादियों के विरूद्ध भेदभाव करने का निर्देश किया है और कहा है कि भोपाल मामले में विदेशी वादी के विरूद्ध 'सर्वाधिक उपयुक्त फोरम' का दृष्टिकोण अपनाया जाना स्पष्ट दिखता है।

राबर्टसन ने कहा है कि ''सुविधाजनक फोरम न होने का समर्थनकार बहुराष्ट्रिक कम्पनियों द्वारा अपनाया गया उग्र राष्ट्रवादी तर्क .... पूर्णतया नीति कुशलता संबंधी है।'' (दि फैडरल डॉक्ट्रीन ऑफ फोरम नान



कनवीनियेंस [1994] 29 टैक्सास आई. एल.जे. 353, पृष्ठ 372-373) उसने आगे कहा है कि ''अमेरिका में भोपाल मामले की सुनवाई में यूनियन कार्बाइड ने निश्छल रूप में भारतीय न्याय प्रणाली की प्रशंसा की थी''। जब मामले को भारत में स्थानांतरित कर दिया गया तब यूनियन कार्बाइड ने एक ''लम्पट की भांति उच्चतम न्यायालय (भारतीय) की गरिमा और प्राधिकार पर प्रहार किया''।

अमेरिकी न्यायालयों के दृष्टिकोण के अतिरिक्त, अमेरिकी बहुराष्ट्रीक कम्पनियों के दृष्टिकोण की भी गम्भीर आलोचना हुई है। पीटर प्रिंस ने भी (वही 580) अमेरिका से बाहर कारोबार करने वाली यूनियन कार्बाइड जैसी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अन्यायसंगत दृष्टिकोण पर ठीक ही अंगुली उठाई है। उसने कहा है:

> ''....यह बात स्पष्ट नहीं है-जैसाकि भोपाल मामले में है-कि भारतीय वादी के अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी से नुकसानी प्राप्त करने के अवसरों पर भारतीय न्याय प्रणाली के प्रति अमेरिकी सम्मान से क्योंकर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना चाहिए। यदि सुविधाजनक फोरम न होने के मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान को एक न्यायोचित पहलु माना जाता है तो अन्य देशों के लिए यह सुनिश्चित और अधिक सुविधाजनक होगा कि विकसित देशों की युनियन कार्बाइड जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपने देश के विधिक मानकों से बचने की, सुविधजनक फोरम न होने के अनावश्यक उदर सिद्धांत के कारण, अनुमति न दी जाए।''

श्री जोयल आर पॉल ने भी बहुराष्ट्रिकों के दृष्टिकोण की है (देंखे, काऊंटी इन इन्टरनेशनल लॉ: (1991) 32 हार्व.आई.एल.जे. 14)

> ''दि यूनियन कार्बाइड में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने से इंकार करके, न्यायालय अमेरिकी निर्माता को अपने अपकृत्य दायित्वों से बचाने की तथा अन्य निर्माताओं को विदेशों में अपने संयंत्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है।''

अमेरिकी बहुराष्ट्रिकों के ऐसे दृष्टिकोण अन्तत: विदेशों में अमेरिका के हितों का क्षति पहुंचाएंगे। जैसोकि मिलर ने कहा है (1991) 58 यू.चि.एल. रिव 1369 (1386) ''यदि दूसरे देश ऐसा विश्वास करते हैं कि अमेरिका अपने देश की कम्पनियों के मालिकों द्वारा विदेशों में अमेरिका में निषिद्ध रीति से कार्य करने की चिन्ता नहीं करता है तो इस प्रकार की अवधारणा से राजनयिक संबंधों में तनाव आ सकता है और अमेरिकी न्यायालय निश्चित रूप से अस्वीकार्य होने की स्थिति में आ जाएंगे''।

रैंकिन ने भी नोट किया है (देंखे, 1993 बास्टन कालिज इन्ट एण्ड काम एण्ड रिव 221) कि अमरिकी बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के विरूद्ध पर्यावरण को क्षति के लिए विदेशों में दायर किए गए वादों में अमरीकी बहुराष्ट्रिक कम्पनियों द्वारा अपने बचाव में दिए गए तर्कों से बनी ऐसी धारणा से बहुत अधिक क्षति हुई है कि अमरीकी विधि अपने देश की बहुराष्ट्रीक कम्पनियों को विदेशों में कार्य करते समय अमरीकी विधिक मानकों से बचने की अनुमति देती है।

विभिन्न न्यायविदों के उपर्युक्त मूल्यांकन से पता चलता है कि अमरीका के न्यायालयों और अमरीका की बहुराष्ट्रीक कम्पनियों का दृष्टिकोंण अमरीकी न्यायालयों में अन्य देशों के वादियों के प्रति निष्पक्ष नहीं है।

**यू॰ के॰**

इंग्लैण्ड की स्थिति भी सामान्यतया भिन्न नहीं है। एक समय प्रकरण यह था कि इंग्लिश न्यायालयों को अन्य देशों के न्यायालयों का, जहां न्याय की प्रणाली विकसित है, सम्मान करना चाहिए। **दी इएल अमरीका** 1981(2) लायड्स रिप 119: यही दृष्टिकोण, **महारानी ऑफ बडौदा बनाम वाइल्डेनस्टीन:** 1972(2) क्यू बी 283, मामले में रहा था।

परन्तु यूनाइटेड किंगडम में अधिकांश मामलों में यह दृष्टिकोण व्याप्त रहा।

यूनाइटेड किंगडम के न्यायालयों द्वारा हाल ही में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं जिनमें अमेरीकी न्यायालयों की तरह ही भारतीय न्यायालयों में विलम्ब का सामान्यीकरण किया गया है। **यूरोपीयन एशियन बैंक बनाम पंजाब एण्ड सिंध बैंक:** (1992) 2ए लायड्स रिप 336 (सी ए) मामले में यह कहा गया था कि इंग्लैण्ड की तुलना न तो भारत और न ही सिंगापुर वादों के विचारण के लिए उपयुक्त थे। उस मामले में वादी, पश्चिम जर्मनी के एक बैंक ने एक भारतीय बैंक के विरूद्ध ऋण पत्र के अधीन संदाय करने के लिए कार्यालय में रिट तामील कराके इंग्लैण्ड में वाद दायर किया। प्रतिवादी (प्रतिवादी-विदेशी बैंक) द्वारा रोकादेश के लिए दिया गया

आवेदन अस्वीकार कर दिया गया और मामला भारतीय न्यायालयों में विलम्ब होने की सामान्य धारणा के आधार पर ब्रिटेन के न्यायालय में चलता रहा था।

**विश्व आभा:** 1990(2) लायड्स रिप 312, मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया। **विश्वास अजय:** 1989(2) लायड्स रिप 558, मामले में भारत में विचारण आरम्भ होने से पूर्व दस वर्ष का असाधारण विलम्ब हो जाने के सामान्य तर्क को स्वीकार कर लिया गया और यह धारणा की गई कि विदेशों में न्याय नहीं मिलता है। प्रतिवादी द्वारा रोकादेश के लिए दिए गए आवेदन को अस्वीकार करके मामला इंग्लिश न्यायालय में चलता रहा। **जलाकृष्णा:** 1983(2) लायड्स रिप 628, मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ब्रिटेन में प्रक्रियात्मक सुविधाएं हैं जो सुसंगत हैं। (**विश्व आभा:** 1979 (2) लायड्स रिप 286 भी देंखे)।

प्रो॰ जे॰जे॰ फासेट द्वारा (ट्रायल इन इंग्लैण्ड एब्रोड: दी अन्डरलाइंग पालिसी कंसीडरेशन) (खंड 9 आक्सफोर्ड जरनल ऑफ लीगल अफेयर्स, पैरा 205, पृष्ठ 220) इंग्लिश न्यायालयों के दृष्टिकोण के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि जिन मामलों में हाउस ऑफ लार्डस द्वारा इंग्लैण्ड में कार्यवाहियों का रोका जाना स्वीकार किया गया है उनमें से किसी मामले में भी वादी इंग्लैंड का निवासी नहीं है। उसने कहा है कि यदि वादी इंग्लैण्ड का भी है तो भी यह दर्शाना बहुत कठिन होगा कि विदेश में स्पष्ट रूप में अधिक उपयुक्त फोरम विद्यमान है। प्रो॰ फासेट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही है कि यद्यपि, यह स्वीकार कर लिया जाता है कि इंग्लिश न्यायालयों में कार्यभार बहुत अधिक है और वहां वाणिज्यिक न्यायालयों में तीन वर्ष तक विलम्ब हो जाता है फिर भी उपर्युक्त दृष्टिकोण ही अपनाया जाता है। उन्होने कहा है:

> ''इस समय, लंदन में वाणिज्यक न्यायालय उसके सम्मुख लाए जा रहे अनेकों मामलों से उत्पन्न विलम्ब की गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहा है। यह कहा गया था कि यदि विचारण के लिए 1987 में आवेदन किया गया था तो 1990 तक विचारण निर्धारित नहीं किया जा सका था। (देंखे, **जखलेम इन्टल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम निपन कोकन के॰के॰** 1987 (2) लायड्स रिप 661) तथापि, इंग्लैंड में विचरण को अनुमति देने से इंकार करने के लिए इंग्लिश न्यायालयों में कभी भी इस तथ्य को कि न्यायालयों में पहले से मामलों का अत्यधिक भार है, कभी भी प्रयोग नहीं किया है। इसके बजाय यह कहा गया है कि यहां होने वाला विलम्ब विदेशों की तुलना में फिर भी कम ही होगा।''

**निष्कर्ष**

उपर्युक्त उद्धृत मामले यह दर्शाते हैं कि अमरीका और इंग्लैंड के न्यायालयों को विदेशियों द्वारा इन देशों में फाइल किए गए मामलों में कार्यवाही इस आधार पर रोकने में कि विदेशियों के देशों में न्याय प्रणाली बहुत अच्छी और तीव्र है, और विदेशियो के विरुद्ध फाइल किए गए मामलों में कार्यवाही इस आधार पर न रोकने में कि विदेशों में न्यायिक कार्यवाहियों में असाधारण विलम्ब होता है, विसंगत स्थिति है। केवल अपवादस्वरुप तथा बहुत ही थोड़े मामलों में, जहां विशिष्ट प्रकार के मामलों का शीघ्र निपटान का निर्देश करते हुए खंडन करने के लिए विशेष साक्ष्य फाइल किया गया वहां उपर्युक्त धारणा को लागू नहीं किया गया। भारत में सभी मामलों में विलंब होने की सामान्य धारणा करना और खंडन के लिए विदेशी प्रतिवादियों से प्रत्येक मामले में विशेष साक्ष्य की अपेक्षा करना पूर्णतया अनुचित है। हमारे विचार में, विशेष प्रकार के मामलों में विदेशों में विलम्ब होने का भार उस पक्षकार पर होना चाहिए जो अन्य देशों के न्यायालयों में असाधारण विलम्ब होने का तर्क देता है और भारत में सभी प्रकार के मामलों में विलम्ब होने की सामान्य धारणा नहीं की जा सकती।

आयोग का विचार है कि उपर्युक्त निर्दिष्ट अतिरिक्त कारण, अर्थात अमरीका तथा यू॰के॰ के न्यायालयों द्वारा भारत में दीर्घावधि का विलम्ब होने की सामान्य धारणा उच्च न्यायालयों में अधिक धनराशि के वाणिज्यक मामलों के त्वरित और उच्च प्रोद्यौगिकी सुविधाओं से युक्त एक पृथक डिवीजन, जिसे वाणिज्यिक डिवीजन कहा जाए, गठित करना आवश्यक है। एक बार यदि ऐसा हो जाता है, तो विदेशी न्यायालयों को भारत के न्यायालयों में विलम्ब होने का सामान्यीकरण करने अथवा ऐसी धारणा करने का कोई आधार नहीं रह जाएगा।

## अध्याय-तीन

# यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमरीका तथा बारह अन्य देशों में ''वाणिज्यिक न्यायालय''

अब हम यूनाइटेड, संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य देशों में 'वाणिज्यिक न्यायालय' के रूप में न्यायालयों के वर्गीकरण का निर्देश करेंगे।

### (1) यूनाइटेड किंगडम

यूनाइटेड किंगडम में 'वाणिज्यिक न्यायालय' के उद्गम का इतिहास खोजना बडा रूचिकर है (देंखे मि॰ लारेंस ''दी ट्र बिगैटर ऑफ इंग्लिश कामर्शियल कोर्टस्, (1994) खंड 110, लॉ क्वार्टरली रिव्यू, पृष्ठ 292'')इंग्लैण्ड में वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना का श्रेय, न्यायमूर्ति लारेंस ने (हास्यासात्मक रूप में जिन्हें लॉग जॉन कहा जाता है) 1981 में रोज बनाम **बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया** मामले में जो कुछ किया है उसमें खोजा जा सकता है। विद्वत न्यायाधीश को वाणिज्यिक विधि में कोई अनुभव प्राप्त नहीं था और वास्तव में, उच्च न्यायालय में उनकी नियुक्ति, जो कंजरवेटिव पार्टी के पक्ष में उनकी रूचि होने के कारण बताई जाती है, स्वयं लारेंस के लिए भी आश्चर्य का विषय थी। जहां वह काउंटी न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की आशा कर रहे थे, ऐसा प्रतीत होता है, उन्हें त्रुटि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया। गिलक्रिस्ट गिब्ब मिक्रोन्डर द्वारा ''दी टैम्पिल ऑफ नाइन्टीज (1938) (पृष्ट 229-331) में दिया गया विवरण बडा ही रूचिकर है। उन्होंने कहा है कि:

> ''संदेह और भी अधिक हैं (मि॰ डार्लिग की नियुक्ति से अधिक) कि लॉग जॉन लारेंस की नियुक्ति में उनका नाम ऊपर कैसे पहुंचा। यह कहा जाता है कि उन्होंने काउंटी न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की आशा की थी और जब गलती से उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव किया गया तो वह इतने अभिभूत हो गए कि वह अपने ही व्यवसाय के पुराने मित्र के पास गए और उनसे परामर्श मांगा। उनके मित्र ने कहा कि इसे नि:संकोच ग्रहण करो। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मै इस कार्य को कर सकता हूँ..... उनके मित्र ने उत्तर दिया 'इसे करो'। अपनी विद्वत भाषा में उन्होंने आगे कहा 'अपने कान खुले रखो और मुंह बंद तो सब कुछ ठीक करोगे'। लॉग जॉन ने परामर्श दृढ़ता से स्वीकार किया।''

रोज मामले में विनिश्चय करते हुए न्यायमूर्ति लारेंस ने अन्तत: जो कुछ किया वह भी बडा रूचिकर है। यह मामला लंदन शहर में समायोजकों द्वारा जटिल समायेज्य पर आधारित ''स्पोरा स्वामियों से सामान्य औसत अंशदान'' संबंधी बीमा विधि से संबंधित था। न्यायाधीश लारेंस निश्चित रूप से सामान्य औसत के विषय में, न तो इस बारे में और न ही न्यायपीठ में, कोई विशेषज्ञ थे। रोज के मामले में, 1891 में, बहस 22 तक चली और निर्णय आरक्षित रखा गया जो छह: मास पश्चात 12 नवम्बर, 1891 को, अधिवक्ता द्वारा निर्णय घोषित न किए जाने का स्मरण कराने के पश्चात्, घोषित किया गया। इस मामले में न्यायमूर्ति स्क्रटन एल. अधिवक्ता के रूप में उपस्थित हुए थे और उन्होंने नवम्बर, 1920 में कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी लॉ सोसाइटी के समक्ष न्यायमूर्ति लारेंस द्वारा जिस रूप में रोज के मामले में निर्णय दिया उसका उल्लेख किया: (देंखे स्क्रटन 'दी वर्क्स ऑफ कामर्शियल कोर्टस् (1923) सी एण्ड जे 6, पृष्ठ 14)

> ''निर्णय आरक्षित किए जाने के छह: माह पश्चात अधिवक्ता ने साहस जुटा कर पूछा कि क्या उनकी लार्डशिप अपने निर्णय के परिणाम शीघ्र घोषित करेंगी और न्यायमूर्ति ने कहा कि वह ऐसा करेंगे। वह न्यायालय में आए और उन्होंने कहा कि इस मामले में सामान्य औसत का प्रश्न उठाया गया है। पहला प्रश्न यह था। मि॰ कोहेन, पहला प्रश्न क्या था? मि॰ कोहेन ने उन्हें बताया कि पहला प्रश्न क्या था। उन्होंने कहा 'तो मै औसत स्टेटर से सहमत हूं'। और दूसरा प्रश्न मि॰ बरनीज, यह सही क्या प्रश्न था? और इसी प्रकार तीसरे प्रश्न के बारे में उन्होंने कहा कि 'मैं औसत स्टेटर से सहमत हूं, वादी के लिए निर्णय .... संबंधित विभिन्न व्यापारियों ने कहा'' आप यह किस प्रकार की प्रणाली हमें दे रहे हैं? हमें ऐसा न्यायाधीश

उपलब्ध होना चाहिए जो हमारे विवाद को समझ सके। हम अपने मामले को ऐसे लोगों को, जिन्होंने ऐसे मामले के बारे में कभी सुना ही न हों, शिक्षित करने के माध्यम के रूप में नहीं प्रस्तुत करना चाहते हैं।''

जब रोज के मामले में अपीलीय न्यायालय में अपील की गई तो लार्ड एशर ने कहा:

''यह बहुत कष्टकारी मामला है। यदि किसी को कमीशन दिया जाना चाहिए तो, मेरे विचार में न्यायालय को''

और न्यायमूर्ति लारेंस के निर्णय को उलट दिया गया। आगे और अपील किए जाने पर (देंखे 1894 ए.सी. 687) हाऊस ऑफ लार्डस् द्वारा अपीलीय न्यायालय के निर्णय को आंशिक रूप में उपांतरित कर दिया गया।

रोज का मामला न्यायाधीश परिषद के 17 जूल, 1892 के इस आशय के संकल्प से उत्पन्न हुआ था कि लन्दन शहर में व्यवसायियों और व्यापारियों के साधारण संव्यवहारों से उत्पन्न 'लन्दन के मामलो के लिए एक वाणिज्यिक न्यायालय' होना चाहिए। इनकी स्थापना 1895 में की गई और फ्लैमिश वस्त्र निर्माता द्वारा अपने लन्दन स्थित एजेन्ट के विरूद्ध हिसाब के दावे के रूप में पहला वाणिज्यिक वाद वाणिज्यिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति मैथ्यू के समक्ष 1 मार्च, 1995 को सुना गया। (1895) 1 कॉम केस IX वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना) अत्यन्त सफल और सार्थक न्यायिक परीक्षण था, जो लन्दन शहर तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के व्यापक लाभ के लिए किसी विधान या सरकारी सहायता के बिना कार्यान्वित किया गया। (दी ओरिजिन ऑफ कामर्शियल कोर्ट (1944) लॉ क्वार्टरली रिव्यू, 324, भी देंखे)

जैसाकि सभी सुधारों के मामले में होता है, उच्च न्यायालय में एक पृथक वाणिज्यिक डिवीजन स्थापित किए जाने के बारे में इंग्लैण्ड में भी आपत्तियां उठाई गई थीं। वास्तव में, इंग्लिश न्यायाधीशों के 17 जून, 1892 के संकल्प में यह कहा गया था कि बीस में से पांच न्यायाधीश अर्थात, न्यायाधीश लार्ड कालरिज, डैनमेंन, हाकिन्स के. और जे ग्रैन्थम ने मतभेद व्यक्त किया था। मतभेद रखने वालों में एक, लार्ड कालरिज अपनी न्यायवृत्ति के अन्तिम चरण में अपने इन शब्दों में अत्यंत संतुष्ट प्रतीत होते है 'जो हो रहा है होने दो', 'कोई कष्ट नहीं उठाना है', और रिपोर्टों में और न्यायालय की न्यायपीठों की तुलना में अपने प्रिय लेखकों की रचनाओं में आनन्द लेना है (दी टाइम्स, 15 जून, 1984)।

1895 में, यूनाइटेड किंगडम में, उपर्युक्त रूप में स्थापित किया गया वाणिज्यिक न्यायालय अभी तक उच्च न्यायालय में क्वीन की न्यायपीठ की डिवीजन का एक भाग है। प्रारम्भ में न्यायाधीशों के एक संकल्प द्वारा इसे इसी प्रकार नामांकित किया गया। तथापि, 1970 में, वाणिज्यिक न्यायालय की एक विधि द्वारा इसे उच्च न्यायालय के डिवीजन के रूप मे मान्यता दी गई। यह कार्य एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट, 1970 के अधीन किया गया (देंखे 3(1)। इस एक्ट का स्थान अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट, 1981 ने ले लिया है।

इंग्लिश वाणिज्यिक न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश, न्यायाधीश मैथ्यू ने एक विशेष न्यायालय की स्थापना का विचार किया था जिसकी प्रक्रिया सरल हो और जो वाणिज्यिक समुदाय की अपेक्षाओं को पूरा कर सके और इस प्रकार साधारण प्रक्रिया के अनावश्यक विलम्ब, असुविधा और अधिक व्यय से बचा जा सके (देंखे बैरी बनाम पैट्रवियन कारपोरेशन लिमिटेड (1896)(1) क्यू बी 208 (सीए)।

यू०के० के वाणिज्यिक न्यायालय ने अपनी प्रक्रिया को वाणिज्यिक समुदाय की निरन्तर बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रयास किया है। इस प्रयोजन से, न्यायालय तथा वादी प्रतिवादियों के रूप में या उनके व्यवसायिक सलाहकारों के रूप में न्यायालय में जाने वालों के बीच सूचना और सुझाव उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय प्रयोक्ता सम्पर्क समिति गठित की गई। (देंखें प्रैक्टिस नोटिस 1908(1) ए०एल०एल०ई०आर० 399)। इस समिति के स्थान पर अब वाणिज्यिक न्यायालय समिति बना दी गई है, जिसे रायल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसके सैक्रेटरी के माध्यम से अभ्यावेदन दिए जा सकेंगे। (हेल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैण्ड, खंड 37, प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजन, पैरा 591, पाद टिप्पण देंखे)।

हेल्सबरी द्वारा 'लॉज ऑफ इंग्लैण्ड' में बताया गया है (पैरा 591, खंड 37) कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट, 1981 की धारा 6 के अधीन वाणिज्यिक न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय के ऐसे अवर न्यायाधीश होंगे जो समय-समय पर लार्ड चांसलर द्वारा वाणिज्यिक न्यायाधीश होने के लिए नामनिर्देशित किए जाएंगे। वाणिज्यिक न्यायालय का प्रयोजन व्यवसायिक समुदाय को वाणिज्यिक मामलों में अनुभवी न्यायाधीशों के समक्ष अपेक्षाकृत संक्षिप्त अभिवचनों और शीघ्र सुनवाई और विचारण के साथ एक सरल प्रक्रिया उपलब्ध



कराना है। क्वीनस् बैंच डिवीजन में वाणिज्यिक कार्यवाहियों के लिए उच्चतम न्यायालय के नियमों में विशेष उपबंध किए गए थे (आर०एल०सी० आदेश 72) इसके पश्चात इन्हें सिविल प्रक्रिया नियमों द्वारा पुर:स्थापित किया गया।

अमरीका

(क) न्यूयार्क

न्यूयार्क राज्य में 1993 में, सुप्रीम कोर्ट, सिवित बैंक न्यूयार्क काउंटी द्वारा परीक्षण के आधार पर चार भागों में वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित किए गए। (http:www.courts.state.us/com.div./brief history of cd htm देंखे) इसका प्रयोजन उन भागों में मुकदमों को केन्द्रित करना था। वाणिज्यिक अधिवक्ताओं की प्रतिक्रिया बहुत अनुकूल रही। जनवरी 1995 में, न्यूयार्क राज्य बार ऐसोसिऐशन के वाणिज्यिक तथा संघीय वाद अनुभाग के कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की कि वाणिज्यिक भागों का विस्तार किया जाए। विशिष्ट रूप से यह प्रस्ताव किया गया कि राज्य के उच्चतम न्यायालय का **वाणिज्यिक डिवीजन** राज्य के उन क्षेत्रों में स्थापित किया जाए जिनमें वाणिज्यिक वाद चलाए गए थे।

इसके तुरन्त पश्चात, मुख्य न्यायाधीश जुडिथ एस० काए ने माननीय ई लियो मिलोनज और राबर्ट एल हेग की अध्यक्षता में न्यूयार्क बार ऐसोसिऐशन के वाणिज्यिक और संघीय अनुभाग की रिपोर्ट कर अध्ययन करने और अपनी सिफारिशें देने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय कार्यकारी दल गठित किया। कार्यकारी दल ने प्रस्ताव किया था कि वाणिज्यिक न्यायालय समुचित अधिकारिताओं में स्थापित किया जाए। कार्यकारी दल ने भी वाद-प्रबंधन, तकनीक तथा इस प्रकार की सिफारिशें कीं।

नवम्बर, 1995 में मॉनरो काउंटी (रोसेशटर) तथा न्यूयार्क काउंटी में वाणिज्यिक डिवीजन स्थापित किया गया जिनमें आरम्भ में पहले में एक और दूसरे में चार न्यायाधीश नियुक्त किए गए।

वाणिज्यिक डिवीजन से जटिल विवादों के समाधान की अपेक्षा की गई थी। इन विवादों के सफल समाधान के लिए न्यायालय से विस्तृत और जटिल वाणिज्यिक विधि में विशिष्ट विशेषज्ञ ज्ञान अपेक्षित था। क्योंकि वाणिज्यिक मामलों में प्रकटन कठिन, विलंबित और व्ययी हो सकता था इसलिए डिवीजन में प्रत्येक मामले में, प्रबल और कुशल वाद-प्रबंधन का दायित्व संभालने का प्रयत्न किया। समय सीमा निर्धारित की गई और लागू की गई और पता लगाने का प्रबंध इस प्रकार से किया गया कि खर्चों और विलम्ब को न्यूनतम स्तर पर रखते हुए निष्पक्ष प्रकटन के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। समावेदन पद्धति, विशेषकर खारिज करने या संक्षिप्त प्रक्रिया से निर्णय करने के लिए समावेदनों के रूप में, उच्च न्यायालय की तुलना में वाणिज्यिक न्यायालय में अधिक सामान्य हो गई। इस प्रकार डिवीजन में कार्यभार बहुत बढ़ गया जिसके लिए न्यायालय में विद्वतता, व्यय और ऊर्जा अपेक्षित है।

न्यूयार्क की वाणिज्यिक डिवीजन ने अपने कार्यभार को प्रभावी रूप से निपटाने में सहायता करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए, डिवीजन ने वाद-प्रबंधन के लिए साफ्टवेयर के विकास में योगदान किया और इसे कार्यरूप देने में पहल की। अब न्यूयार्क राज्य में अधिकांश रूप में प्रयोग किया जाता है। मुनरो काउंटी के डिवीजन में कलैंडर क्रियाशील है जिसका उत्तर इलैक्ट्रोनिकी रूप में दिया जा सकता है। न्यूयार्क काउंटी में, डिवीजन के न्यायाधीशों के निर्णय, जिन पर काउंटी क्लर्क की प्रविष्टि की मोहर लगी होती है, जारी होने के तुरन्त पश्चात वेबसाइट पर दे दिए जाते हैं। अन्य देशों में भी निर्णय ऑन-लाइन पर दे दिए जाते है।

न्यूयार्क काउंटी के उच्चतम न्यायालय का नई सहस्त्राब्दि का न्यायालय-कक्ष प्रौद्योगिकी के उल्लेखनीय स्वरूप का विशिष्ट उदाहरण है। इस न्यायालय कक्ष में साक्षी कठघरे पर ज्यूरी कक्ष में तथा अधिवक्ता की मेज पर फ्लैट स्क्रीन कम्प्यूटर मानीटर, इलैक्ट्रानिक ब्लैक बोर्ड, वास्तविक समय, न्यायालय की रिपोर्टिंग, एक इलेक्ट्र प्रोजैक्टर, अधिवक्ता के लिए कम्प्यूटर डाकिंग स्टेशन, वीडियो क्षमता तथा अन्य ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समस्त देश में अन्य स्थानों पर भी ऐसे ही न्यायालय कक्ष स्थापित किए जाएंगे।

न्यूयार्क काउंटी में वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) कार्यक्रम, 1996 के आरम्भ में स्थापित किया गया था। इस कार्यक्रम के नियमों के अनुसरण में, न्यायाधीशों द्वारा मामले मध्यस्थता के लिए या वैकल्पिक विवाद समाधान कार्यक्रम के लिए निर्दिष्ट किए जाते हैं। जहां पक्षकार जाने की इच्छा व्यक्त करते हों। लगभग 200 तटस्थ स्वयंसेवी संस्थान वैकल्पिक विवाद समाधान कार्यक्रमों की कार्यवाहियों को संभालते हैं। नियमों में प्रक्रिया के लिए समय-सीमा उपबंधित है। वैस्ट मिनिस्टर काउंटी में ऐसा ही कार्यक्रम चल रहा है और अधिकारिताओं के लिए

इसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है। इस डिवीजन की शाखाएं एरिक, नास्सौ और वैस्टमिनिस्टर काउंटियों में 1999 में और अलबानी तथा सफ्फोक काउंटियों में 2002 में स्थापित की गईं थीं।

जहां तक वाणिज्यिक मामलों का संबंध है, बार ने तथा व्यवसायी वर्ग के प्रमुख प्रतिनिधियों ने डिवीजन के कार्य का समर्थन किया है। उदाहरण के लिए, वाणिज्यिक तथा संघीय वाद अनुभाग ने डिवीजन को सफल न्यायिक प्रशासन में निर्णयज अध्ययन बताया है। न्यूयार्क स्टेट के व्यापारिक अधिवक्ता ने वर्ष 2000 में न्यायालय को "अन्य राज्यों में व्यापारिक ईर्ष्या" बताते हुए डिवीजन के कार्य की सराहना की है। अमरीकी कारपोरेट कौंसिल ऐसोसिएशन ने भी डिवीजन के लिए अपनी सराहना और समर्थन व्यक्त करते हुए अन्य राज्यों से न्यूयार्क की पद्धति का अनुसरण करने का अनुरोध किया है। अमरिकी बार एसोसिऐशन बिजनेस लॉ सैक्शनस् ने वर्ष 2000 में डिवीजन को व्यापारिक विवादों के समाधान के लिए एक आदर्श विशिष्ट न्यायालय की संज्ञा दी है।

सामान्यतया न्यूयार्क काउंटी की सुप्रीम कोर्ट की वाणिज्यिक डिवीजन ऐसे जटिल वाणिज्यिक और व्यापारिक विवादों के ऐसे मामलों को ग्रहण करती है जहां कोई पक्षकार नुकसानी के लिए कुल 125,000 डालर (ब्याज तथा खर्चों और एटर्नी की फीस के अतिरिक्त) प्रतिकर का दावा करता है। कार्यभार के विचार से, डिवीजन के न्यायाधीशों को ऐसे मामलों को, पक्षकार द्वारा मामले को वाणिज्यिक मामला बताए जाने पर भी, डिवीजन से बाहर स्थानान्तरित करने की शक्ति प्राप्त है जो उनके मतानुसार इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

उपर्युक्त, 125,000 डालर की सीमा के रहते हुए भी, ऐसे वाणिज्यिक मामले जिनमें नुकसानी के लिए प्रतिकर की 25,000 डालर या इससे अधिक राशि मांगी गई है, डिवीजन से बाहर स्थानांतरित नहीं किए जाएंगे, यदि ये मामले डिवीजन को "इलैक्ट्रानिक साधन कार्यक्रम द्वारा फाइल" करने की प्रक्रियाओं के अनुसार फाइल किए गए हैं। इस प्रयोजन से 'वाणिज्यिक मामले' शब्दों में वास्तविक वाणिज्यिक सम्पत्ति विवाद और, 125,000 डालर की मौद्रिक सीमा का ध्यान रखे बिना भी, ऐसे मामले जैसे (1) व्यवसायिक फीस वसूल करने के लिए वाद, (2) व्यक्तिगत क्षति या सम्पत्ति की नुकसानी के लिए बीमे की राशि के बारे में घोषणात्मक अधिनिर्णय की मांग किए जाने वाले मामले, (3) किसी मामले के अन्तर्निहित स्वरूप का ध्यान रखे बिना किसी अधिनिर्णय को क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही, (4) पृथक पक्षकार के बीमें के दावे तथा कार्यवाही तथा बीमाकर्ताओं द्वारा प्रीमियम की राशि वसूलने या पालिसियों को रद्द करने के लिए बीमा दावे तथा कार्यवाहियों, (5) अटार्नी कदाचार कार्यवाहियों, (6) संविदा भंग या वैश्वसिक कार्यों का भंग किया जाना, धोखाधडी, गलत प्रतिनिधित्व व्यवसायिक अपकृत्य (उदाहरणार्थ अनुचित प्रतिस्पर्धा), या कारोबारी कार्यों से उत्पन्न विधिक उल्लंघन (जैसे परिसम्पत्तियों या प्रतिभूतियों का विक्रयों, निगमित संरचना, भागीदारी, शेयरधारी, संयुक्त उपक्रम तथा अन्य व्यवसायिक करार, व्यापारिक गोपनीयताएं और प्रतिबंधात्मक प्रसंविदा), (7) समान वाणिज्यिक संहिता द्वारा शासित संव्यवहार (व्यक्तिगत व्यय यूनिटों से संबंधित को छोड़कर), (8) वाणिज्यिक वास्तविक सम्पत्ति से संबंधित जटिल संव्यवहार, (9) वाणिज्यिक बैंक संव्यवहार, (10) कारोबारी संगठनों के आन्तरिक कार्य या तीसरे पक्षकारों या उनके अधिकारियों के प्रति देयताएं, (11) लेखाकारों या बीमांकको द्वारा कदाचार, (12) जटिल पर्यावरणीय बीमा संबंधी वाद आदि।

**http://www.ny.courts.guv/comdiv/guidelines for assignment of casesnye.htm देंखे)**

न्यूयार्क में, वाणिज्यिक कार्य से निपटने के लिए चार अनुभवी न्यायाधीशों को कार्यभार सौंपा गया जिसके परिणामस्वरूप 1992 की तुलना में 1993 में 35 प्रतिशत अधिक व्यापारिक मामलों का समाधान हुआ (देंखे, मैरीलैण्ड टास्क फोर्स रिपोर्ट, 2002 का परिशिष्ट-ख) न्यूयार्क राज्य बार ऐसोसिऐशन के वाणिज्यिक और संघीय वाद अनुभाग की 1995 की रिपोर्ट के पश्चात, जिसमें वाणिज्यिक न्यायालय की सिफरीश की गई थी, वाणिज्यिक डिवीजन ने, मुनरो काउंटी के लिए एक अतिरिक्त वाणिज्यिक डिवीजन न्यायाधीश पदाभिहित करके, न्यूयार्क काउंटी के मामलों की सुनवाई आरम्भ कर दी। 1996 के अन्त तक न्यूयार्क काउंटी के मुख्य प्रशासनिक न्यायाधीश ने बताया कि व्यापारिक न्यायालय के कार्य करने के परिणामस्वरूप उसे सौंपे गए मामलों के निपटान में लगे समय में 29 प्रतिशत की कमी आयी है। इसके अतिरिक्त, विचारण आरम्भ होने से पूर्व ही मामलों का समाधान हो जाने के मामले में भी 85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और लम्बित पड़े मामलों की संख्या में 20 प्रतिशत की कमी आयी है। 1998 तक, न्यायालय ने बताया कि मामलों के निपटान में लगने वाले समय में, औसतन 36 प्रतिशत की कमी आयी है, निपटान में 648 दिन तक या अब वह कम होकर 412 दिन रह गया है। मामलों की संख्या में हुई कमी के परिणामस्वरूप न्यूयार्क काउंटी में एक व्यापारिक न्यायालय के एक न्यायाधीश को सामान्य मामलों का कार्यभार सौंप दिया गया क्योंकि पहले जो कार्य चार न्यायाधीशों द्वारा किया जाता था वह अब



तीन न्यायाधीशों द्वारा ही किया जा सकेगा। इसके परिणामस्वरूप न्यूयार्क के सिविल और आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए एक न्यायाधीश का पूरा समय उपलब्ध हो गया जिससे न केवल वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष लम्बित मामलों के लिए अपितु सभी मामलों के लिए न्यायिक दक्षता उपलबध हुई।

न्यूयार्क की 'वाणिज्यिक डिवीजन' की सफलता की व्यापारी वर्ग द्वारा देशव्यापी प्रशंसा की गई कामर्शियल कोर्ट टास्कफोर्स, न्यूयार्क के सह सभापति तथा व्यापारिक वादों के समाधन के लिए विशिष्ट वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित करने के वर्ष में 9 राज्यों ओर 5 काउंटियों के लिए सलाहकार, राबर्ट हेग ने 'टास्क फोर्स' के समक्ष यह प्रमाणित किया कि वाणिज्यिक डिवीजन की स्थापन से न्यूयार्क की अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ा और यह कि व्यापारी वर्ग डिवीजन के निरन्तर कार्य संचालन से बहुत उत्साहित है।

वाणिज्यिक डिवीजन की न्यूयार्क काउंटी शाखा में एक न्यायालय संलग्न वैकल्पिक विवाद समाधान कार्यक्रम भी सम्मिलित है जिसके पक्षकार वाणिज्यिक मामलों विशेष रूप से प्रशिक्षित अनुभवी वृत्तिक सलाहकारों की सूची से किसी मध्यस्थ की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। नवम्बर, 1999 तक वैकल्पिक विवाद समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1000 मामले लिए गए और 85 प्रतिशत मामलों में समाधान प्राप्त हुआ। न्यूयार्क राज्य की वैस्ट चैस्टर काउंटी में वैकल्पिक विवाद समाधान कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है।

न्यूयार्क की वाणिज्यिक डिवीजन को प्रौद्योगिकीय प्रगतियों का, जैसे न्यायालय कक्ष, 2000 का, जिसमें कम्प्यूटरों का प्रयोग, गति और प्रभाविता बढ़ाने के लिए प्रदर्शन मानीटर और बहुसंचार माध्यम, जिसमें अटार्नी अपने वादों का विचारण कर सकते हैं। अंकीय साक्ष्य प्रस्तुतीकरण प्रणाली, जिससे पिछले समस्त विवरण की जानकारी और अंकीकृत दस्तावेजों का प्रदर्शन तुरन्त प्राप्त हो जाता है, लाभ प्राप्त हैं। न्यायालय की तत्काल रिपोर्टिंग से पक्षकार कार्यवाहियों का प्रतिलेख देख सकते हैं, उदाहरणार्थ, साक्ष्य का विचारण समय 40 प्रतिशत कम कर दिया गया है। अब न्यूयार्क की वाणिज्यिक डिवीजन का विस्तार मुनरो, नासा, वैस्ट चैस्टर और एरिक काउंटियों के लिए भी हो गया है।

**(ख) डेलावेयर**

ऐसे राज्य जिनमें जटिल व्यवसायिक वादों के विचारण के लिए किसी प्रकार के 'विशेषज्ञ न्यायालय' हैं उनमें डेलावेयर का नाम सभी को ज्ञात है जो बहुत सम्मानित और दीर्घकालिक है। डेलावेयर की चांसलरी न्यायालय 200 वर्ष पुराना है और यहां पारंपरिक साम्या न्याय की व्यवस्था है। यहां व्यवसायिक विशेषज्ञता किसी औपचारिक निर्णय के कारण उपलब्ध नहीं है अपितु डेलावेयर में अनुकूल निगमित विधियों के कारण बड़ी संख्या में कंपनियों के समाविष्ट हो जाने के कारण से और अधिकांश विवदों में, जिनमें ये कंपनियां अन्तर्ग्रस्त होती हैं, साम्या के सिद्धांतों को लागू किए जाने के कारण से है।

डेलावेयर के चांसरी न्यायालय में पांच सदस्य हैं जिनमें से प्रत्येक प्रतिवर्ष 200 से 225 मामलों की सुनवाई करता है। न्यायालय के प्रत्येक सदस्य पर उसे सौंपे गए प्रत्येक मामले का, उसका समाधान होने तक, पर्यवेक्षण करने का उत्तरदायित्व है। सदस्य प्रतिवर्ष लगभग 60 अभिमतों का आदर्शस्वरूप प्रारूपण करते हैं। जिनमें से आधे प्रकाशित किए जाते हैं। काउंटी की वाद सूची में लगभग 95 प्रतिशत वाद व्यापार से संबंधित होते हैं और न्यायालय की प्रभाविता और देश में उसकी प्रतिष्ठा न्यायालय के निगमित विषयों के गहन समझ से प्रदर्शित होती है। अनुरोध किए जाने पर तथ्यों का पता लगाकर और विचारण पूरा करके मामले तीन महीने की अल्प अवधि में ही निपटा दिए जाते हैं। पक्षकार डेलावेयर के उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं।

**(ग) फिलाडेलफिया:**

फिलाडेलफिया ने हाल ही में अपना वाणिज्यिक डिवीजन स्थापित किया है। इस डिवीजन ने 2 जनवरी, 2000 से कार्य आरम्भ किया और न्यूयार्क वाणिज्यिक डिवीजन के विपरीत यह डिवीजन केवल नए फाइल किए जाने वाले मामलों को ग्रहण करता है (लम्बित मामले इस डिवीजन को हस्तांतरित नहीं किए गए)। इस डिवीजन में दो न्यायाधीश हैं और अभिमतों को जनता की जानकारी के लिए वेबसाइट पर दे दिया जाता है।

**(घ) मैरीलैण्ड:**

(देंखे मैरीलैण्ड बिजनेस एण्ड टैक्नालाजी कोर्ट, टास्क फोर्स् रिपोर्ट: लंदन विधेयक सं॰ 15 द्वारा गठित। मैरीलैण्ड एक्टस्, 2000 का अध्याय-दस)।

मैरीलैण्ड में वाणिज्यिक न्यायालय को 'बिजनेस एण्ड टैक्नालाजी कोर्ट' कहा जाता है। कार्यकारी दल की रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की गई:

"प्रौद्योगिकी अन्तर्ग्रस्त विषयों के अनुपम और विशिष्ट मामलों सहित व्यापारी वर्ग के विवादों के समाधान के लिए विशेषरूप से प्रशिक्षित न्यायाधीशों और मध्यस्थों को नियुक्त करके राज्यव्यापी कार्यक्रम तैयार करना। कार्यकारी बल ने मात्र कतिपय काउंटियों में पृथक न्यायालय डिवीजन के बारे में भी विचार किया है, परन्तु यह निष्कर्ष निकाला है कि बहुत से न्यायाधीशों तथा वकीलों ने कहा है कि स्थानीय विशेषज्ञ न्यायालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता नहीं है और यह कि इससे राज्य के अन्य क्षेत्रों के व्यापारी वर्ग के साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं हो पाएगा।"

कार्यकारी बल द्वारा अन्य अधिकारिताओं के कार्यरत विभिन्न स्वरूप के 'व्यापारिक न्यायालयों' की पुनरीक्षा की गई। मैरीलैण्ड की पृथक वाद प्रबंधन प्रणाली की प्रभाविता को स्वीकार करते हुए, कार्यकारी बल ने यह निष्कर्ष निकाला कि व्यापारिक और प्रौद्योकीय विवादों का समाधान करने के लिए एक अनुपम और विशिष्ट फोरम उपलब्ध कराने में, अन्य राज्यों की विभिन्न व्यापारिक न्यायालय पद्धतियों पर, आंशिक रूप में आधारित 'कार्यक्रम' को वर्तमान पृथक वाद प्रबंधन प्रणाली का बहुत लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा:........व्यापारिक प्रतिस्पर्धात्मक राष्ट्रीय बाजार में ऐसे कार्यक्रम की स्थापना से मैरीलैण्ड की प्रतिष्ठा में और वृद्धि होगी कि वह एक ऐसा स्थान है जहां ऐसे मामलों का समाधान जिनमें पर्याप्त व्यापारिक हित अन्तर्ग्रस्त होते हैं, प्रीवी और कुशलतापूर्ण रूप से किया जाता है और इस प्रकार मैरीलैण्ड की प्रतिष्ठा में अनुकल फोरम के रूप में और वृद्धि होगी।"

कार्यकारी बल ने बताया कि न केवल इन्टरनेट द्वारा अपितु जीव विज्ञान, वायु अन्तरिक्ष तथा सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योगों से हुई महत्वपूर्ण प्रगति की दृष्टि से व्यापारिक परिवेश में भी तीव्र गति से प्रगति हुई है। ऐसे व्यापार आज सामान्य हो गए हैं जिनकी कुछ वर्ष पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इन प्रौद्योकीय प्रगतियों से संघ तथा राज्य सरकारों के सभी तीनों अंगों के लिए दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा:

"न्यायपालिका का कार्य और अधिक समस्याजनक हो गया है क्योंकि उसका कार्य प्रतिक्रियाशील है न कि पूर्व-क्रियाशील। नई प्रौद्योगिकियों और नए व्यापारों के परिणामस्वरूप न्यायाधीशों के सम्मुख नए और विचित्र मामले आते हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। न्यायिक निर्णयों में पहले प्रौद्योगिकी के प्रीव संघात को देखना होगा और बाद में सुस्थापित विधायी पूर्व निर्णयों को। इसके होते हुए भी न्यायपालिका इन नई चुनौतियों के अनुकूल अपने कार्यों के लिए नए नियम और प्रस्थापनाएं विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभा सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हमारी न्यायपालिका ने देश पर्यन्त जिला न्यायालय प्रणाली और पृथक वाद प्रबंधन प्रणाली विकसित की है उसी प्रकार परिवर्तन के इस दबाव से न्यायपालिका को अपने अनुकूल संस्थान गठित करने का अवसर प्राप्त हुआ है।"

व्यापारिक और प्रौद्योगिकीय विवादों के समाधान के लिए प्रीवी और कुशलतापूर्ववक कार्य करने हेतु एक विशेषज्ञ न्यायालय की स्थापना की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए एक कार्यकारी बल स्थापित करने के मैरीलैण्ड जनरल एसेम्बली ने हाऊस विधेयक सं॰ 15 पारित किया था।

कार्यकारी बल ने वैकल्पिक विवाद समाधान कार्यक्रम, जिसमें विशेष नियम बनाकर वादों के इलैक्ट्रानिकी फाइलिंग, वाद प्रबंधन और त्वरित अपील प्रक्रिया की सिफारिश की गई।

मैरीलैण्ड कार्यकारी बल के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

(1) मैरीलैण्ड व्यापारिक और विधिक समुदाय दोनों ही मैरीलैण्ड राज्य के सर्किट न्यायालयों में व्यापारिक और प्रौद्योगिकीय विवादों के प्रशासन के लिए एक कुशल मितव्ययी और सत्कारपूर्ण फोरम चाहते हैं। इस फोरम के लिए महत्वपूर्ण यह है कि यहां ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए जो न्यायालय की भौगोलिक स्थिति, विवाद या पक्षकारों पर ध्यान दिए बिना जटिल व्यापारिक और प्रौद्योगिक मामलों से अन्तर्ग्रस्त वादों पर कुशलतापूर्ण ढंग से और उचित समय पर कार्यवाही कर सकें।

(2) अन्य राज्यों का, जिन्होंने व्यापारिक न्यायालय स्थापित किए हैं, यह अनुभव है कि इन राज्यों में इस प्रकार के मामलों में सामान्य अधिकारिता वाले न्यायालयों द्वारा संतोषप्रद रूप में कार्यवाही



नहीं हो पा रही थी। इन कमियों के कारण ही उन राज्यों में विशेषज्ञ व्यापारिक न्यायालयों की स्थापना की प्रेरणा मिली जो अब विभिन्न स्वरूप के हो गए हैं। इन विशेषज्ञ न्यायालयों द्वारा जिस कुशलता से इन व्यापारिक वादों में कार्यवाही की जाती है उसमें महत्वपूर्ण सुधार किया है। तथापि, इनमें से किसी भी राज्य ने जटिल प्रौद्योगिकीय मामलों के प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी न्यायालय स्थापित नहीं किए हैं।

(3) जिन राज्यों ने विशेषज्ञ व्यापारिक न्यायालय स्थापित किए हैं उनमें से किसी भी राज्य ने मैरीलैण्ड में पहले से अपनायी गई पृथक वाद प्रबंधन या ऐसी ही अन्य किसी प्रणाली को ग्रहण नहीं किया है। यहां तक कि अन्य राज्यों के जिन साक्षियों ने कार्यकारी बल के समक्ष साक्ष्य दिया उन्होंने भी मैरीलैण्ड की पृथक वाद प्रबंधन प्रणाली की महत्ता को स्वीकार किया था जिसमें व्यापारिक और प्रौद्योगिकी से संबंधित वादों, जटिल वादों पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

(4) यद्यपि, मैरीलैण्ड राज्य के सर्किट न्यायालयों में व्यापारिक और प्रौद्योगिकीय वादों का समाधान करने के मामले में कोई संकट नहीं है, फिर भी सुधार करने के लिए अवसर हैं। सुधार के स्वरूप की तुलना में उसका सार अधिक महत्वपूर्ण है। जिन राज्यों ने 'व्यापारिक न्यायालय' 'व्यापारिक डिवीजन' या 'व्यापारिक वाद प्रबंधन कार्यक्रम' आरम्भ किए हैं, कार्यकारी दल ने, ऐसे डिवीजन की आवश्यकता है अथवा नहीं इसका निर्देश किए बिना, उन राज्यों के अनुभव से प्राप्त लाभों को सूचीबद्ध किया है।

(5) मुख्य व्यापारिक और प्रौद्योगिकीय विवादों पर कार्यवाही करने हेतु विशेष प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण लाभों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(क) व्यापारिक और प्रौद्योगिकीय मामले में अनुभव प्राप्त न्यायाधीशों के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षण और शिक्षा तथा उन मामलों पर कार्यवाही करने के लिए विशिष्ट वाद प्रबंधन तकनीकियों को क्रियान्वित करना।

(ख) न्यायाधीशों, क्लर्कों तथा कर्मचारियों को विशेषज्ञ और शिक्षा तथा ऐसे वादों को फाइल करने और उन पर कार्यवाही के लिए अति आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने के परिणामस्वरूप कार्यकुशलता में वृद्धि।

(ग) न्यायाधीशों से, जो सुसंगत विषय-वस्तु में बेहतर रूप से प्रशिक्षित और शिक्षित हैं और जिनके लिए ऐसे मामलों में कार्यवाही करना सुविधाजनक है, अधिक उपयुक्त समय पर युक्तिसंगत, विधिक रूप से सही और संभवतया सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित विनिर्णय।

(घ) न्यायाधीशों के अलग पहचान वाले एक वर्ग के विनिर्णयों की सही होने की बढ़ती हुई संख्या के कारण, जिनकी सक्षमता न्यायिक शिक्षा और प्रशिक्षण से प्रभावित है और जिनके अभिमतों को इन्टरनेट तथा अन्य उपलब्ध मीडिया पर परिचालित किया जाता है, व्यापारिक तथा प्रौद्योगिकीय मामलों के समाधान की प्रतिशतता में वृद्धि।

(ङ) न्यायालय की सामान्य सूची से अधिक समय लगने वाले व्यापारिक और प्रौद्योगिकीय मामलों के निकाल दिए जाने के परिणामस्वरूप अधिक समय उपलब्ध होने के कारण सर्किट न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन अन्य प्रकार के मामलों के निपटाए जाने में अधिक कार्यकुशलता।

(च) विशेष न्यायालय स्थापित करने के बजाए व्यापार तथा प्रौद्योगिकी प्रबंधन कार्यक्रम आरम्भ करना ही पर्याप्त है। बार में वाणिज्यिक मामलों में विशेषज्ञता अर्जित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और यदि वे जो मामले लेते हैं वे सामान्य विचारण न्यायाधीशों के समक्ष जाते हैं, जिनके पास ऐसे मामलों के लिए न तो ज्ञान ही है और न समय, तो इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति आ जाएगी जो न तो स्वीकार्य होगी और न ही सहन करने योग्य।

(छ) 'व्यापार तथा प्रौद्योगिकी वाद प्रबंधन कार्यक्रम'; (क) संगठन, (ख) व्यापार तथा प्रौद्योगिकी वाद प्रबंधन कार्यक्रम को मामले सौंपकर, (ग) ऐसे कार्यों को विनिर्दिष्ट करके जो इस कार्यक्रम को नहीं सौंपे जाएंगे, (घ) वाद प्रबंधन प्रक्रिया, निश्चित करके आरम्भ किया जाएगा।

(ज) अपीलों का शीघ्र समाधान भी इस कार्यक्रम का भाग है।

(झ) वैकल्पिक विवाद समाधान।

(ञ) इलैक्ट्रानिक फाइलिंग।

(ट) मैरीलैण्ड का न्यायिक संस्थान, जिसे मैरीलैण्ड बार एसोसिएशन के परामर्श से मैरीलैण्ड में न्यायाधीशों को शिक्षित करने का कार्यभार सौंपा गया है, एक आई सी पी ई एल और मैरीलैण्ड के विश्वविद्यालय और बल्टीमोर के विधि स्कूल न्यायाधीशों, क्लर्कों तथा कर्मचारियों के, जिन्हें कार्यक्रम को सौंपे गए कार्य करने होंगे, प्रशिक्षण और उनकी सतत शिक्षा के लिए कार्यक्रम विकसित करेंगे।

(ठ) व्यापार तथा प्रौद्योगिकी वाद प्रबंधन कार्यक्रम वेबसाइट पर दिया जाएगा ताकि उसका व्यापक प्रचार हो सके।

(ड़) कार्यकारी दल (मैरीलैण्ड) की रिपोर्ट का परिशिष्ट-ख अमरीका के अन्य राज्यों के अनुभवों का निर्देश करता है। इसमें कहा गया है कि अमरीका में—

(1) दस राज्यों में व्यापारिक न्यायालय या ट्रैक्स चल रहे हैं — डेलावेयर, इलियन्स, मैसशेसटस्, विसवनसिन, नेवेदा, न्यूजर्सी, न्यूयार्क, नार्थ कारडीन, पेनसिल्वेनिया और वर्जीनिया,

(2) दो राज्यों ने 'जटिल वाद न्यायालय' स्थापित किए हैं जो अन्य प्रकार के मामलों के साथ-साथ जटिल व्यापारिक वादों की सुनवाई भी करते हैं-केलीफोर्निया और कनेक्टीकर

(3) चौदह राज्यों की 'व्यापारिक न्यायालय' स्थापित करने के बारे में व्यवहार्यता का अध्ययन करने हेतु 'कार्यकारी दल' गठित करने वाले कतिपय राज्य के साथ चर्चा चल रही है—

अरिजोना, करोवैडो, फ्लोरिडा, ज्यौरजिया, केनटकी, मैरीलैण्ड, मिशीगन, मिनेसोटा मिस्सीसिपी मिस्सौरी, न्यू हैम्पशायर, ओहियो ओकलाहोमा और टैक्सास।

(चौबीस राज्यों की वर्तमान में कोई योजना नही है)

**(3) फ्रांस :**

(http://216.239.39.104/translat c?hl = n&u:
(http://www.justic. gouv.fr/publicity/tclod/807.htm.)

वाणिज्यिक न्यायालयों में सुधार लाने के लिए एक विधेयक 18 जुलाई, 2000 को मंत्रिपरिषद को प्रस्तुत किया गया। 30 जुलाई, 1999 की डिक्री सं॰ 94-659 के अधीन, इन अधिकारिताओं के चार्ट को उपांतरित करने के लिए, सुधार प्रथम चरण में है।

वाणिज्यिक न्यायालयों में इन परिवर्तनों को 1 जुलाई, 2002 से प्रभावी बनाने की परिकल्पना की गई थी। विधेयक में (1) उन अधिकारियों में मिश्रित कक्षों की व्यवस्था, (2) वाणिज्यिक न्यायालय के प्रेजीडेन्ट की क्षमताएं, और (3) निर्वाचित न्यायाधीशों के परिनियमों का उपबंध किया गया था।

प्रस्ताव यह था कि इन अधिकारियों के प्रत्येक न्यायालय में मिश्रित कक्ष होने चाहिए और उनमें एक मजिस्ट्रेट और निर्धारकों के रूप में दो निर्वाचित न्यायाधीश होने चाहिए। मजिस्ट्रेट 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे। इन मिश्रित कक्षों में विलेख या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए 2 जुलाई, 1996 की विधि द्वारा परिभाषित वित्तीय लिखतों से संबंधित विवादों के आर्थिक हितों को (गठन, संचालन और परिसमापन) समूहित करने संबंधी समस्त वादों के लिए और मूल्यों तथा प्रतिस्पर्धा की स्वतंत्रता तथा यूरोपीय समुदाय स्थापित करने के लिए संधि के अनुच्छेद 81 और 82 से संबंधित अध्यादेश लागू करने संबंधी विवादों के लिए एक सामूहिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

जहां तक सुधारात्मक प्रक्रियाओं का संबंध है, ऐसे न्यायाधीशों और मुख्य पुलिस अधिकारी के कृत्य, जिनमें आर्थिक आयाम विद्यमान हैं, चुने गए न्यायाधीश द्वारा किए जाते रहेंगे।



न्यायालय दिवालिया संबंधी अधिकारिता का भी प्रयोग करता है।

विधेयक विधिक संगठन संहिता की बुक सं॰ 4 के शीर्षक को उपांतरित करता है। संशोधनों से संबंधित विधेयक के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन किसी विधिक निकाय के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के साथ चुने गए न्यायाधीशों तथा एक क्लर्क को लेकर किया जाता है। अपील अपीलीय न्यायालय में की जाती है। अनुच्छेद 1 के एक खंड के अनुसार वाणिज्यिक न्यायालय —

(1) व्यापारियों तथा ऋण संस्थानों के बीच संव्यवहारों से संबंधित विवाद,

(2) वाणिज्यिक कम्पनियों से संबंधित विवाद,

(3) सभी लोगों के वाणिज्यिक संव्यवहारों से उत्पन्न विवाद। न्यायालय प्रामिजरी नोट्स से संबंधित विवादों के बारे में भी कार्यवाही करते हैं।

तथापि, पक्षकार इन विवादों का निर्देश मध्यस्थों का भी कर सकते हैं।

अनुच्छेद 4 के अधीन, वाणिज्यिक न्यायालयों के निर्णय न्यायाधीशों की विषय संख्या कम से कम तीन की न्यायपीठ द्वारा दिए जाते हैं। विधेयक में समाधान की विस्तृत प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है।

**(4) आयरलैण्ड:**

आयरलैण्ड में, सरकार द्वारा नियुक्त की गई न्यायालय व्यवहार और प्रक्रिया समिति, 2002 ने अपने 27वीं अन्तरिम रिपोर्ट में डबलिन स्थित वाणिज्यिक न्यायालय के प्रश्न पर विचार किया।

(http://www.courts.ie/press.nsf)

आयरलैण्ड में उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आयरलैण्ड के अत्यन्त महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मामलों में कार्यवाही की जाती है। ऐसे मामले न्यायालय की उस अधिकारिता की विभिन्न सूचियों के अधीन आ जाते हैं। अन्य अधिकारियों के अधीन भी वाणिज्यिक मामलों की सुनवाई की जाती है।

समिति ने पाया है कि वाणिज्यिक मामलों के लिए अधिक विशेषज्ञ दृष्टिकोण लाभप्रद होगा। सुसंगत अधिकारिता के प्रेसीडेंट के निदेशाधीन, उस अधिकारिता की एक डिवीजन वस्तुतः वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में विकसित की जा सकती है। इससे कोई पृथक न्यायालय नहीं बनेगा। अपितु, जैसाकि पहले से बहुत से क्षेत्रों में किया जा रहा है, विशेष अनुभव प्राप्त न्यायाधीश अधिकारिता के उस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकेंगे। उच्च न्यायालय के बड़े और अधिक महत्वपूर्ण मामले लिए जाते हैं। उच्च न्यायालय में ही वाणिज्यिक न्यायालय सम्मिलित होगा। विशेषज्ञता प्राप्त होने से, जनता राज्य, प्रमुख संस्थानों, अमरीकी कम्पनियों और बहुराष्ट्रीय निगमों को सुविधा होगी। इस प्रकार की व्यवस्था से जनता को सुविधा दी जा सकेगी और न्यायालय में मामलों का अधिक कुशलतापूर्ण रूप में समाधान किया जा सकेगा।

वाणिज्यिक न्यायालयों द्वारा चुने जाने वाले मामलों के स्वरूप का विस्तार किया जा सकेगा। मामलों की सीमित सूची से जैसे बौद्धिक सम्पदा के मामले, और/या माध्यस्थम (अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक) अधिनियम, 1998 के अधीन आवेदनों, आरम्भ करना उत्तम होगा। कम्पनी विधि प्रवर्तन अधिनियम, 2001 के अधीन आवेदनों को सम्मिलित करने पर भी विचार किया जा सकेगा। तथापि, यदि प्रारम्भिक परियोजना इतनी विस्तृत हो कि उसमें पर्याप्त संख्या में मामले सम्मिलित हों तो ऐसी परियोजना के लिए उच्च न्यायालय के प्रेसीडेन्ट द्वारा नामनिर्देशित न्यायाधीशों की संख्या से मामलों को अनुमोदित संख्या तथा उनकी जटिलता परिलक्षित होनी चाहिए। जैसे-जैसे परियोजना की प्रगति होती है, उसमें सम्मिलित मामलों के वर्गों की पुनरीक्षा करना उपयुक्त होगा। उच्च न्यायालय का प्रेसीडेन्ट न्यायालय सेवा की सहायता से, अनुमानित परामर्श के पश्चात, न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करेगा और उनका नामनिर्देशन करेगा।

सर्किट न्यायालय की अधिकारिता के विस्तार के साथ, हो सकता है कि उच्च न्यायालय में उसकी विशेषज्ञ डिवीजन की स्थापना पर भी विचार किया जा सकेगा।

समिति ने कहा है कि 'वाणिज्यिक न्यायालय की प्रारम्भिक परियोजना' की सुविधा के लिए प्रस्तावित प्रारम्भिक वाणिज्यिक न्यायालय प्रशासन के प्रबंध हेतु न्यायालय सेवा द्वारा एक पृथक कार्यालय स्थापित किया जाए। इससे थोड़े मामलों में नए निदेशों, नियमों या इलैक्ट्रानिकी प्रक्रिया और व्यवहार के अनुसार तीव्रगति से कार्यवाही की जा सकेगी। यह कार्य 'वाणिज्यिक न्यायालय सेवा' स्थापित करके ही किया जा सकेगा।

यदि वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित कर दिए जाते हैं तो आयरलैण्ड को वित्तीय तथा अन्य लाभ प्राप्त हो सकते हैं। भूतकालिक आयरिश समर्थ अर्थव्यवस्था के होते हुए भी, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वर्तमान वास्तविकताएं, सुस्थापित देशी कम्पनियों और उद्यमों और राज्यों में आन्तरिक पूंजी निवेश दोनों ही के लिए वाणिज्यिक विवाद प्रक्रियाओं और/या माध्यस्थम द्वारा तीव्र गति समाधान किए जाने के लिए एक कुशल और सुसंगत विधिक प्रणाली की आवश्यकता है।

समिति ने बताया है कि वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित करने से पर्याप्त लाभ होंगे। इनमें निम्नलिखित लाभ सम्मिलित हैं। परन्तु ये लाभ इतने तक सीमित नहीं हैं—

(1) वाणिज्यिक न्यायालय के कार्यकरण, जो एक ऐसी प्रणाली प्रदान करता है जिसमें आधुनिक व्यापार की वाणिज्यिक आवश्यकताएं समाहित हैं, की अधिकारिता के लाभों से आकर्षित नई व्यापारिक स्थिति की प्राप्ति।

(2) वर्तमान व्यापार में ऐसी स्थिति प्राप्त करना जिसमें वाणिज्यिक न्यायालय की सेवाओं की उपलब्धता का लाभ है।

(3) न्यायालय के समक्ष इलैक्ट्रानिक वाणिज्यिक विवाद समाधान आधुनिक संचार तकनीकियों से प्राप्त होने वाली व्यापारिक बचत।

(4) इलैक्ट्रानिकी (ई) न्यायालय सेवाओं का उपबंध करते हुए राष्ट्र की विश्व अग्रणी और ई-वाणिज्य में प्रयोगकर्त्ता होने की इच्छा का अनुकरण करना। वाणिज्यिक न्यायालय विद्यमान होने से प्राप्त होने वाले लाभों की दृष्टि से राज्य की अन्य विद्यमान प्रेरणाओं की ओर आकर्षण।

समिति ने पाया है कि पायलट वाणिज्यिक न्यायालय के लिए सुसंगत बातें निम्नलिखित हैं:

(क) पायलट वाणिज्यिक न्यायालय को संबंधित संस्थानों से समर्थन प्राप्त होने की आवश्यकता है।

(ख) चार न्यायालयों के प्रक्षेत्र में न्यायालयों की आयोजना में ई-कोर्ट की आधारभूत संरचना के साथ वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित करना संभव होना भी सम्मिलित होना चाहिए।

(ग) प्रैक्टिस संबंधी निदेश समुचित होने चाहिए।

(घ) इलैक्ट्रानिकी—सरकारी विधान संबंधी नियम उद्यम विभाग के साथ मिलकर बनाए जा सकेंगे।

(ङ) उच्च न्यायालय का प्रेसीडेन्ट कतिपय न्यायाधीशों से स्काटलैण्ड और इंग्लैड जैसी, अन्य अधिकारियों में ऐसे ही न्यायालय में जाने के अनुरोध पर विचार कर सकेगा।

(च) न्यायालय सेवा — राज्य में न्यायालय सेवा में कार्यरत सिविल कर्मचारियों का चयन करके प्रशिक्षण दे सकेगा ताकि वे ऐसी अन्य परियोजनाओं में भाग ले सकें।

(छ) ऐसी परियोजना के लिए उपयुक्त संसाधनों की योजना बनाई जानी चाहिए और संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

सिफारिशें:

(1) समिति आयरलैण्ड के ई-कोर्टस् के निरन्तर समर्थन और विकास की सिफारिश करती है।

(2) समिति सिफारिश करती है कि डबलिन में तत्काल पायलट वाणिज्यिक न्यायालय परियोजना आरम्भ की जाए।

(3) ऐसी परियोजना का प्रबंधन उच्च न्यायालय के प्रेसीडेन्ट और न्यायालय सेवा के मार्ग निर्देशन में किया जा सकेगा।

(4) ऐसी परियोजना में जिन मामलों पर विचार किया जाना चाहिए उनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(i) उच्च न्यायालय में प्रेसीडेन्ट द्वारा विशिष्ट न्यायाधीशों का पदाभिधान और न्यायाधीशों के लिए समुचित न्यायिक अध्ययन की उपलब्धता।



(ii) पायलट वाणिज्यिक न्यायालय परियोजना और उसके सभी अभिवचनों और कार्यवाहियों का प्रशासन के प्रबंधन के लिए न्यायालय सेवा द्वारा एक पृथक कार्यालय की स्थापना। राज्य के नामनिर्देशित सिविल कर्मचारियों का प्रशिक्षण।

(iii) परियोजना क्रियान्वयन के अन्तिम चरण में परियोजना के भाग के रूप में वाणिज्यिक न्यायालय में पायलट ई-कोर्ट स्थापित करने पर विचार करना। इसके लिए एक ई-कोर्ट रूप की और सभी संबंधित पक्षों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी और यह ई-कोर्ट के लिए न्यायालय की नीति होगी।

(iv) पायलट वाणिज्यिक न्यायालय में, विधान बनाकर नियम या व्यवहार निदेश, अभिवचन या कार्यवाहियों को बदलने पर विचार करना।

(v) माध्यस्थम केन्द्रों से सम्पर्क स्थापित करना या किसी आवश्यक विधायी या नियम परिवर्तन पर विचार करना। वाणिज्यिक न्यायालय की सेवा हेतु एक माध्यस्थम केन्द्र स्थापित करने पर विचार करना।

(vi) माध्यस्थम केन्द्रों से मामले को वाणिज्यिक न्यायालय में ले जाने के लिए कोई आवश्यक कदम उठाना।

(5) सिंगापुर :

**सिंगापुर में विशेष वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना:** (नावधिकरण न्यायालय से आरम्भ करना)

राष्ट्रीय नीति के अनुसार सिंगापुर की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए और विधिक कार्यक्रम से प्राप्त आदानों के अनुसरण में, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय में एक विशेषज्ञ वणिज्यिक न्यायालय गठित करने के लिए की गई सिफारिश स्वीकार कर ली थी। यह प्रस्ताव वाद माध्यस्थम और मध्यस्थता में सिंगापुर का प्रीमीयर अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान न्यायालय का स्तर प्रदान करने के लिए सिंगापुर की न्यायपालिका की वचनबद्धता दर्शाता है।

वाणिज्यिक विवाद समाधान तथा संबंधित विधायी सेवाओं में सिंगापुर तथा विश्वपर्यन्त वृद्धि हुई है। ऐसी सेवाओं की व्यवस्था के लिए स्थिति विश्वपर्यन्त अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक है। अतः घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों दोनों में ही सिंगापुर को अग्रणी आधिकारिता की स्थिति के लिए प्रोत्साहित करने से एक विशेषज्ञ वाणिज्यिक न्यायालय आरम्भ करना एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आरम्भ किया जाने वाला प्रथम विशेषज्ञ न्यायालय नावधिकरण न्यायालय है। इस नए नावधिकरण न्यायालय की स्थापना से एक अग्रणी नौवहन हब के रूप में सिंगापुर की स्थिति और सुदृढ होगी। अन्य विशेषज्ञ न्यायालय उपयुक्त समय पर स्थापित किए जाएंगे। (फिट्ज थ्यान ई जी, असिसटे. रजि.) (Supreme Court: E-Mail : Thian-Yee-Sze@ supcourt. Gor.sg) (http:/www. supreme s.g./news/ssemediare. 123.pdj) (देखें http:/216.239100/search?q=cacg :QPGLOHRtlM........mediarel 127 pgf+Commercial+Courts&h=en&ie-UTF-) (4.2.2002)

(6) स्काटलैण्ड :

(http:/www.scotcourts. gov.uk/commercial-1.htm)

स्काटलैण्ड में एडिनबरा में काफी पहले से एक वाणिज्यिक न्यायालय है। उसकी पृष्टभूमि यह है कि सैशन न्यायालय को कई वर्षों से वाणिज्यिक मामलों में कार्यवाही करने के लिए विशेष उपबंध किए गए थे। वर्तमान पुनरीक्षित प्रबंध सितम्बर, 1994 से प्रभावी है।

प्रमुख रूप से, उनके उद्देश्य विशेष न्यायालयों को वाणिज्यिक मामले तीव्र गति से और उदारात्मक रूप में निपटाने के लिए समर्थ बनाना था। वाणिज्यिक कार्यवाही हेतु समुचित नियम तथा व्यवहार टिप्पण उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

'वाणिज्यिक कार्यवाही' की परिभाषा विस्तृत है और इसलिए बहुत प्रकार के मामलों पर उन प्रबंधों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी। प्रमुखतया इनमें वाणिज्यिक या व्यापारिक स्वरूप का कोई भी संव्यवहार या विवाद सम्मिलित है। उदाहरण के लिए, बैंकिंग तथा बीमा संबंधी संव्यवहार। विक्रय तथा वस्तुओं या सेवाओं की

सप्लाई की संविदाएं (राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय) और वाणिज्यिक मामले। न्यायालय भवन निर्माण संविदाओं, भागीदारी करारों और व्यवसायी सम्पत्ति के मामलों में भी कार्यवाही करता है।

एडिनबरा स्थित वाणिज्यिक न्यायालय में तीन विशेषज्ञ न्यायाधीश हैं। पूर्णकालिक वाणिज्यिक न्यायाधीश लार्ड मैक फदाइन हैं और दो अंशकालिक न्यायाधीश लार्ड ई जी तथा क्लार्क हैं।

वाणिज्यिक मामले का प्राथमिक चरण निम्नलिखित है। मूलत: मामला तीन में से किसी एक न्यायाधीश के लिए नियत किया जाता है। सामान्यतया न्यायाधीश पर मामले की प्रगति पर ध्यान देने और प्रथमत: निर्णय करने का दायित्व है। यदि कोई परिवर्तन करना है तो मामला दूसरे वाणिज्यिक न्यायाधीश को हस्तांतरित किया जाएगा। विशिष्ट न्यायाधीश को मामला नियत किए जाने के तुरन्त पश्चात मामला प्राथमिक सुनवाई कि लिए उसके समक्ष लाया जाएगा। इस सुनवाई का उद्देश्य विवाद के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उसके समाधान के लिए सर्वोत्तम प्रतीत होने वाले माध्यम का चयन करना है। कभी-कभी वाद-पूर्व चर्चा या अन्यथा के परिणामस्वरूप विवाद के पहलु स्पष्ट होते हैं और थोड़े से प्राथमिक प्रयास से ही मामला न्यायनिर्णय के लिए भेज दिया जाता है, जहां विवाद विधि के किसी प्रश्न पर है, जैसेकि किसी संविदा की व्याख्या और न्यायालय साक्ष्य की सुनवाई के बिना ही अपना निर्णय दे सकता है। जब तथ्यों के बारे में कोई विवाद होता है, न्यायालय तुरन्त साक्ष्य की सुनवाई के लिए आदेश करता है। अधिकांशत: मामले को चर्चा के लिए या साक्ष्य की सुनवाई का आदेश किए जाने के लिए विवादात्मक पहलुओं पर पर्याप्त रूप से प्रकाश डाले जाने से पूर्व प्राथमिक या अन्य ऐसी ही सुनवाईयां करना आवश्यक होगा।

उन सभी प्राथमिक चरणों में, न्यायाधीश चर्चा में सक्रिय भाग लेगा। उसके हस्तक्षेप से पक्षकारों के बीच के मतभेद कम करने में सहायता मिलेगी और मामले का शीघ्र निपटान हो सकेगा। अन्य मामलों में, कतिपय महत्वपूर्ण विवाद्यक या विवाद्यकों को शेष से पृथक करके उन पर इस आशा से अलग से कार्यवाही की जा सकेगी कि उन विवाद्यकों का समाधान करने से सम्पूर्ण विवाद का समाधान हो जाएगा। न्यायालय मामले के किसी तकनीकी पहलु पर किसी तकनीकी विशेषज्ञ से निर्णय करने के लिए कह सकेगा या उसके विचार मंगा सकेगा। उदाहरण के लिए, न्यायालय किसी भवन संविदा के मामले में मूल्यांकन के प्रश्न को किसी सर्वेक्षक को भेज सकेगा। किसी गैर-विधिक मध्यस्थ द्वारा किए गए माध्यस्थम के मामले में पक्षकार उत्पन्न हुए किसी विधि के प्रश्न पर वाणिज्यिक न्यायाधीश से निर्णय करने के लिए आग्रह कर सकेंगे।

प्राथमिक चरण अनिवार्य रूप में अनौपचारिक हैं और इनका स्वरूप अध्यक्षपीठ के साथ चर्चा का है न कि न्यायालय की सुनवाई का। इसी के अनुरूप न तो न्यायाधीश और और न ही पक्षकारों के प्रतिनिधि उन सुनवाईयों में औपचारिक न्यायालय ड्रेस पहनते हैं।

दूसरा चरण मामले का अभिवादन करना है जहां लिखित अभिवचन (समन और प्रतिवाद) ऐसी प्राथमिक पद्धति है जिसमें पक्षकार अपने मामले निर्धारित करते हैं, वाणिज्यिक न्यायाधीश वैकल्पिक तकनीकियों के प्रयोग को प्रोत्साहन देते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात लचीलापन है। जहां कोई मामला या उसका कोई भाग वाद-पूर्व दस्तावेज में तैयार किया गया है (जैसेकि भवन विवाद के मामले में दावे के दस्तावेज के रूप में), न्यायाधीश न्यूनतम लिखित अभिवचन के साथ, उसके प्रयोग से ही संतुष्ट होगा। इसी प्रकार, विशेषज्ञों की रिपोर्टों का अधिवक्ताओं की भाषा में उनका अनुवाद किए बिना ही सामान्य रूप से निर्देश किया जाता है। जटिल मामलों को विस्तृत रूप से निश्चित करने में कम्प्यूटर से स्प्रैडसीट का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है जैसाकि भवन और किराएदार के बीच भवन की मरम्मत संबंधी विवाद के मामले में किया जाता है।

निर्णय के स्तर पर वाणिज्यिक न्यायाधीश संबंधित (केवल संबंधित) दस्तावेजों के स्पष्ट और शीघ्र प्रकटन पर जोर देते हैं। इससे पक्षकारों की सबल और दुर्बल स्थितियों का पता चलता है। मामले के समाधान में सहायता मिलती है। जब मामला पूर्ण सुनवाई के लिए लिया जाता है, वह सुनवाई अधिक औपचारिक हो जाती है। इस स्तर पर विस्तृत विधिक तर्क दिए जाते हैं और साक्षियों के साक्ष्य सुने जाते हैं तथापि, प्रभावी और शीघ्र निपटारे पर बल दिया जाता है। पक्षकारों को अविवादास्पद मुद्दों पर सहमत होने और विवादास्पद मुद्दों के अनावश्यक विस्तार में जाए बिना कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

वाणिज्यिक कार्यवाही के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधों का एक महत्वपूर्ण भाग है। न्यायाधीश की न्यायालय डायरियां कोर्ट रूप के कम्प्यूटर पर उपलब्ध होती हैं। तद्नुसार, जब अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित करनी होती है, तो तभी वहां ही तिथि और समय निर्धारित किया जा सकता है। न्यायालय के आदेशों के लिए और उपलब्ध



जानकारी की गति और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अन्यथा भी कम्प्यूटर का प्रयोग किया जाता है। किसी कार्यवाही के दौरान आवश्यक दस्तावेज, commercial @ scotcourts.gov.uk ई॰ मेल पते पर प्रयोग करते हुए वाणिज्यिक न्यायालय को ई-मेल किए जा सकते हैं। हस्ताक्षरित हो जाने पर अंतवर्ती आदेश पक्षकारों को भेजने के लिए सालिसिटरों को ई-मेल किए जाते हैं।

वाणिज्यिक कार्यवाही के बारे में वाणिज्यिक न्यायाधीशों, विधि व्यवसाय तथा वाणिज्य और उद्योग विभाग के प्रतिनिधियों से एक परामर्शदायी समिति गठित की जाती है। न्यायालय सूचना तथा वाणिज्यिक न्यायालय के व्यवहारिक संचालन के बारे में न्यायालय और व्यापारी वर्ग के मध्य विचारों के निर्बाध प्रसारण को भी प्रोत्साहन देता है।

(7) फिलीपीन्स (मनीला):

(http:/www.manilatimes.net/national/2003/jun./26/busssinnes/20030626bus17 htmt)

मनीला, फिलीपीन्स स्थित सुप्रीम कोर्ट ने एक संकल्प जारी किया है जिसमें देश के 65 निचले न्यायालयों को विशेष वाणिज्यिक न्यायालयों के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया जो अपनी अधिकारिता में आने वाले बौद्धिक संपदा अधिकारों के हनन के मामलों की और उन मामलों की पहले प्रतिभूति तथा विनिमय आयोग द्वारा संज्ञान किया गया था, सुनवाई करेंगे।

17 जून, 2003 के संकल्प में, उच्चतम न्यायालय ने बौद्धिक सम्पदा के मामलों पर कार्यवाही करने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने के अपने निर्णय की दृष्टि से बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के पदाभिधान को प्रतिसंहृत कर दिया।

संकल्प में कहा गया कि विशेष वाणिज्यिक मामलों की अपने-अपने क्षेत्रीय अधिकारिता में उत्पन्न होने वाले मामलों में अधिकारिता होगी।

> "उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार विशेष वाणिज्यिक न्यायालय के शासकीय केन्द्र में न्यायालय के क्लर्क के कार्यालय में मामले फाइल किए जाएंगे।"

नए संकल्प के जारी किए जाने से पूर्व, न्यायालय ने नवम्बर, 2000 के अपने विनिर्णय में, क्षेत्रीय विचारण कतिपय शाखाओं का पहले प्रतिभूति तथा विनिमय आयोग द्वारा सुने जाने वाले मामलों की सुनवाई के लिए पदाभिहित किया था।

उसी संकल्प के अनुसरण में, उच्चतम न्यायालय ने देश पर्यन्त 65 क्षेत्रीय विचारण न्यायालयों को प्रतिभूति विनियम आयोग के न्यायालयों के रूप में नामनिर्दिष्ट किया था।

अक्तूबर, 1996 में जारी किए गए माध्यस्थम आदेश सं॰ 104-96 में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा क्षेत्र सं॰ 3, 4, 6, 7, 10, 11 और 27 में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के हनन के मामलों के विचारण और निर्णय के लिए न्यायाधीश नामनिर्दिष्ट किए गए थे।

बौद्धिक सम्पदा संहिता के उल्लंघन के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने, 19 फरवरी, 2002 के संकल्प के माध्यम से क्षेत्र 1, 2, 5, 8 और 12 के क्षेत्रीय विचारण न्यायालयों के लिए कुल सात न्यायाधीश नामनिर्दिष्ट किए गए थे और मनीला स्थित क्षेत्रीय विचारण न्यायालय शाखा 24 को विशेष बौद्धिक सम्पदा न्यायालय का दर्जा दिया गया।

इस समय, विशेष बौद्धिक सम्पदा न्यायालयों में कुल 503 मामले अनिर्णित हैं। इनमें से बौद्धिक संपदा के 434 मामले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के न्यायालयों में लंबित हैं।

इस समय जो विशेष बौद्धिक संपदा न्यायालय स्थापित हैं, उनमें से विभिन्न क्षेत्रों के 15 न्यायालयों में बौद्धिक संपदा न्यायालय के रूप में नामनिर्दिष्ट रहने देने की आवश्यकता नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया:

> "न्यायालय संरचना में सुधार करने और ऐसे विशेष मामलों में शीघ्र और कुशल कार्यवाही करने को प्रोत्साहन देने के लिए, बौद्धिक संपदा तथा प्रतिभूति विनियम आयोग के मामलों को सुनने और उन पर निर्णय देने के लिए अधिकारिता को एक न्यायालय में समेकित करना सर्वोत्तम है।"

उच्चतम न्यायालय का संकल्प 1 जुलाई, 2003 से प्रभावी हुआ (जोयल आर॰ सेन जुआन, रिपोर्टर)

(8) पाकिस्तान:

(http://www.dawn.com/2000/02/24/ebr3.htm)(24.2.2000)

पाकिस्तान में जिन मामलों में विशेष कार्यवाही की जाती है उनमें निर्यातकर्ताओं के बीच अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद भी एक प्रकार के विवाद हैं। इनमें, उदाहरण के लिए, सप्लाई किए गए माल की मात्रा कम होना, माल का घटिया किस्म का होना या कमीशन संदत्त ने किए जाने, आदेशित माल का लदान न किए जाने या आदेशों को रद्द किए जाने के मामले शामिल हैं। आयात तथा निर्यात नियंत्रण आदेश , 1950 में वाणिज्यिक न्यायालयों का उपबंध किया गया है जो संघीय सरकार को इतने वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है जितनी कि वह आवश्यक समझे। संघीय सरकार में निहित शक्तियों के संदर्भ में ऐसे व्यापारिक विवादों का निर्णय करने के लिए लाहौर और कराची में एक-एक न्यायालय स्थापित किया गया है। निर्यात संवर्धन ब्यूरो के किसी अधिकारी की लिखित शिकायत पर न्यायालय विवादों का संज्ञान करते हैं। वाणिज्यिक न्यायालयों का निर्णय अन्तिम है और उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी।

(9) संयुक्त अरब अमीरात:

(http://www.ameinfo.com/rews/detailed/17527.html)(22.1.2003)

यहां प्रस्ताव यह था कि संयुक्त अरब अमीरात में सुप्रीम या वाणिज्यिक न्यायालय होने चाहिए जिनमें उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित न्यायाधीश नियुक्त हों। इसका निर्देश लंदन स्थित विधि फर्म क्लाइड एण्ड कम्पनी में भागीदार मि॰ मिल्स द्वारा किया गया था। उसने कहा था कि समस्या यह कि जो न्यायाधीश पड़ोसियों के छोटे-मोटे विवादों के बारे में कार्यवाही करते हैं वहीं नौवहन बीमा और वाणिज्यिक जैसे जटिल मामलों के बारे में कार्यवाही करते हैं जिनमें बहुत बडी राशि अन्तर्ग्रस्त होती हैं। अधिकांश न्यायाधीशों को इन मामलों के बारे में कोई अनुभव प्राप्त नहीं होता या बहुत ही अल्प अनुभव प्राप्त होता है और इससे भ्रांति उत्पन्न हो सकती है। हमें क्षेत्र में शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना होता है। उदाहरण के लिए, किसी विशेष पोत के विरुद्ध विभिन्न दावों का समेकन एकरूपता और शीघ्र निपटारे में सहायक होगा। इसने यह सुझाव भी दिया कि न्यायालय को सफल वादी के पक्ष में पर्याप्त विधिक खर्चों की राशि का आदेश पारित करने की शक्ति भी प्राप्त होनी चाहिए। वर्तमान प्रणाली के अधीन विजयी पक्षकारों को केवल कोर्ट फीस तथा नाममात्र की अधिवक्ता की फीस प्राप्त करने का अधिकार है जिससे उन पर व्यय का बहुत अधिक भार पडता है। (http://www.seatiade-middleeast.com. भी देखें)

(10) पोलैण्ड:

(http://www.prawo.org.pl/clcf/legal/courtprocedure.html)

'वाणिज्यिक न्यायालय' आर्थिक निकायों द्वारा व्यवसायिक रूप में किए गए वाणिज्यिक कार्यों से संबंधित मामलों की जांच करते हैं। वाणिज्यिक न्यायालय पर्यावरण सुरक्षित करने के क्षेत्र तथा उसे पूर्व स्थिति में लाने और संबंधित क्षति की पूर्ति करने से संबंधित तथा एकाधिकार की नीति से संबंधित आर्थिक निकायों के विरुद्ध कम्पनियों के मामलों में कार्यवाही करने के लिए भी सक्षम है।

वाणिज्यिक मामलों में कार्यवाही इस प्रकार से की जाती हैं कि पक्षकारों के बीच प्रतिरोध कम हो जाए क्योंकि उनके बीच अक्सर सहयोग रहता है इस कारण से सुलह संबंधी कार्यवाहियां आबद्धकारी रहती हैं, सामान्यतया वाणिज्यिक मामलों में कार्यवाहियां साधारण कार्यवाहियों से भिन्न नहीं हैं अपितु इस प्रकार से की जाती हैं कि उनमें तीव्रता आ जाए।

(11) रूस:

(http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/ugrad/study/course-mats/russian/ctsys.html)

रूस की विधायी व्यवस्था की यह एक रूचिकर विशिष्टता है कि वहां प्रभावी वाणिज्यिक न्यायालयों की एक पृथक प्रणाली है पर कोई वाणिज्यिक संहिता नहीं है।

न्याय प्रणाली की शीर्षस्थ हाई आरबिट्राज कोर्ट व्यापारियों के मध्य विवादों का समाधान करते हैं। कतिपय विवाद हैं परन्तु कम्पनियों के विरुद्ध दिवाला मामले, शेयरधारी वाद, यद्यपि इनमें प्राइवेट नागरिक अन्तर्ग्रस्त होते



हैं, इस समय केवल इन न्यायालयों द्वारा ही सुने जाते हैं। अपील उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती हैं। वाणिज्यिक मामले, यदि उनमें संवैधानिक विषय विशेषकर जहां कराधान विधियों की वैधता अन्तर्ग्रस्त हो, वाणिज्यिक संवैधानिक न्यायालय में जा सकते हैं।

(http://home.law.uiuc.edu/rpmaggs/concom.htm देखें)

(12) रूमानिया:

(http://www.bsus.umd.edu/ecom/murrel/romania/romlaw.html)

(पीटर मुरैल की वेबसाइट) रूमानिया के वाणिज्यिक न्यायालयों में मांग तथा आपूर्ति संस्थागत सुधार के लिए सूचना तैयार करना:

संक्रमणकालीन देशों में संस्थागत सुधारों पर बहुत जोर दिया गया है, परन्तु व्यवहाहिक संस्थान स्थापित करने की प्रक्रिया इस प्रक्रिया का एक तत्व जो अक्सर परिलक्षित होता है, परीक्षण पर निर्भर सूचना तैयार करना है जो संस्थागत डिजाइन की प्रक्रिया में सहायक हो सकती है।

ऐसी सूचना संक्रमणकालीन तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में और वाणिज्यिक न्यायालयों में सुधार के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए तैयार की जा सकती है। आपूर्ति-मांग मॉडल के प्राक्कलन रूमानिया में वाणिज्यिक न्यायालय सेवाओं को प्रोत्साहन देते हैं। तैयार मॉडल विद्यमान अध्ययन में प्रणालीतंत्र संबंधी समस्याएं और प्राक्कलन में संभव पक्षपात के परिणाम की ओर इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप संस्थागत डिजाइन पर त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकलेंगे। परिणाम से अत्यधिक कार्यभार और संसाधनों, विधिक संस्कृति, अपहल के विकल्प तथा आर्थिक पर्यावरण के वाहृय प्रभावों का सीधा संबंध होना दर्शाते हैं। साथ ही, रूमानिया ने हाल ही में अत्यावश्यक सुधारों को क्रियान्वित किया है। संस्थागत सुधारों की कतिपय विफलताएं संस्थागत डिजाइन में अनुभविक आदानों के अभाव के कारण से हैं।

आपातकालिक सरकारी अध्यादेश 138 (14 सितम्बर, 2000) में, रूमानिया की सरकार ने रूमानिया में वाणिज्यिक मामलों की सुनवाई से संबंधित प्रक्रियात्मक सुधारों की घोषणा की है।

प्रो॰ पीटर मुरैल (मैरीलैण्ड विश्वविद्यालय) ने इन न्यायालयों में विलंब के बारे में सांख्यिकीय विश्लेषण किया है।

(13) उक्रेन:

(http://www.pwcgloble.com/servlet/printformat?url=http://pwcgloble.com/extweb/pw.)

''उक्रेन तथा कोर्ट सी विधि'' में संशोधन करके उक्रेन की न्याय प्रणाली में सुधार किए गए जो 5 जुलाई, 2001 से प्रभावी हुए ''उक्रेन कोर्ट की न्याय प्रणाली के बारे में'' वाणिज्यिक न्यायालय की नई प्रणाली निम्नलिखित रूप में परिभाषित की गई है:

वाणिज्यिक न्यायालयों का नया तंत्र इस प्रकार होगा:

(क) स्थानीय वाणिज्यिक न्यायालय (पहले क्षेत्रीय अंतरयणन न्यायालय और काईव और सेवारतोपोल के अंतरयणन न्यायालय);

(ख) अपीलीय वाणिज्यिक न्यायालय; और

(ग) उक्रेन का उच्चतम वाणिज्यिक न्यायालय (पहले उच्चतम अंतरयणन न्यायालय)

वाणिज्यिक न्यायालयों को विधायी निकायों के बीच तथा विधायी निकायों और राज्य प्राधिकरण के बीच (कराधान प्राधिकरणों सहित) के विवादों की सुनवाई का तथा दिवाला मामलों में निर्णय करने का प्राधिकार परंपरागत रूप में प्राप्त हुआ।

स्थानीय वाणिज्यिक न्यायालय ऐसा प्राथमिक न्यायालय है जो उक्रेन के प्रशासनिक क्षेत्रों के किसी भी विवाद (स्थानीय कर प्राधिकारियों के साथ विवाद सहित) का विचारण करता है। उक्रेन के राज्य कराधान प्रशासन तथा अन्य राष्ट्रीय निकायों से विवाद वाणिज्यिक न्यायालय काइव की अधिकारिता में आते हैं। पहले ऐसे विवाद उक्रेन के अंतरयणन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते थे। स्थानीय वाणिज्यिक न्यायालय की एक डिवीजन उसकी स्वीकृति के दस दिन के भीतर प्रभावी हो जाएगा।

अपीलीय वाणिज्यिक न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय हैं। यहां कुल आठ अपीलीय न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता में छह विशिष्ट क्षेत्र आते हैं। अपीलीय वाणिज्यिक न्यायालय स्थानीय वाणिज्यिक न्यायालयों के निर्णयों की पुनरीक्षा कर सकेंगे और नए ज्ञात हुए तथ्यों के कारण वे अपने निर्णयों की भी पुनरीक्षा कर सकेंगे।

उच्चतम वाणिज्यिक न्यायालय स्थानीय और अपीलीय वाणिज्यिक न्यायालयों के कार्यों को शासित करता है और दावें खारिज किए जाने की कार्यवाहियों के अधीन उनके निर्णयों की पुनरीक्षा करता है तथा नई परिस्थितियों में मामलों का पुनर्विचारण भी करता है। उच्चतम वाणिज्यिक न्यायालय वाणिज्यिक कार्यों को विनियमित करने वाले विधानों के प्रवर्तन के व्यवहार के संबंध में स्पष्टीकरण देता है। मंसूख कर दिया गया दावा स्थानीय वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा दिए निर्णय की तारीख से या उस तारीख से, जिसको अपीलीय वाणिज्यिक न्यायालय का संकल्प प्रवर्तन में आया है, एक मास के भीतर दावा उच्चतम वाणिज्यिक न्यायालय में फाइल किया जा सकेगा। मंसूख किए गए दावे की पुनरीक्षा, दावा प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर की जाएगी।

किसी दावे पर विचार करके उच्चतम न्यायालय एक संकल्प पारित करता है जो उसके जारी होने की तारीख से प्रभावी हो जाएगा।

उक्रेन का सामान्य अभियोजक या विधिवाद के पक्षकार उच्चतम वाणिज्यिक न्यायालय के संकल्प का विरोध उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं जो सामान्य अधिकारिता वाले न्यायालयों का शीर्षस्थ न्यायिक निकाय है। उच्चतम वाणिज्यिक न्यायालय के संकल्प में विरोध में मंसूख दावा संकल्प जारी किए जाने की तारीख से एक मास से अधिक समय पश्चात प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्चतम वाणिज्यिक न्यायालय के संकल्प के बारे में पुनरीक्षण कार्यवाहियां कम से कम पांच न्यायाधीशों की सहमति से आरम्भ की जा सकेंगी और मंसूख दावा प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर उस पर विचार किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय का संकल्प अन्तिम होगा और उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकेगी।

वाणिज्यिक न्यायालय अपने निर्णय की, नई परिस्थितियां प्रकाश में आने के कारण जो दावे के लिए सारवान हैं और जिनके बारे में दावेदार को पता नहीं था, पुनरीक्षा कर सकेगा, जो प्रभावी हो गया है।

(14) कीनिया:

(http://www.legalbrief.co.2a/view-qhp?artnum=8703)

कीनिया के न्यायालय अक्षमता और उदासीनता से पीडित हैं। उच्चतम वाणिज्यिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश टांग म्बालू ने सुनवाई के लिए निर्धारित मामलों में स्थगन की स्वकृति न देने सहित विभिन्न सुझावों का प्रस्ताव किया है। वाणिज्यिक न्यायालयों के समक्ष मामलों की सुनवाई में विलम्ब नहीं किया जाएगा जब तक कि पक्षकारों के अधिवक्ता अन्य मामलों में अपीलीय न्यायालय में व्यस्त न हों। उन्होंने कहा है कि यदि अधिवक्ता उच्च न्यायालयों में या निचले न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेटों के समक्ष व्यस्त है तो स्थगन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(15) घाना:

(http:.//www.pefghana.org/news/details.n.cfm?Empl D=824)

यह महसूस किया गया है कि पारदर्शिता तथा कार्यकुशलता सुनिश्चित करने और निवेशकों के मध्य विवाद के निपटारे की प्रक्रिया को तीव्र करने तथा व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के लिए वाणिज्यिक विवादों में कार्यवाही करने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। 30 अप्रैल और 2 मई, 2003 को आयोजित वर्कशॉप में यह विचार व्यक्त किया गया कि स्थापित हो जाने पर वाणिज्यिक न्यायालय व्यवसायिक वर्ग की आवश्यकता पूरी कर सकेंगे और वाणिज्यिक विवादों का ठीक समय पर कुशलतापूर्ण ढंग से निपटारा सुनिश्चित कराने से व्यापार का विकास होगा और पूंजी निवेश में वृद्धि होगी। न्यायालय द्वारा कार्यवाही किए जाने वाले मामलों में, जैसाकि प्रस्ताव किया गया है, निम्नलिखित सम्मिलित है:

(क) किसी व्यापार या वाणिज्यिक संगठन के संविदात्मक संबंध;

(ख) किसी वाणिज्यिक या व्यापार संगठन का दायित्व;

(ग) किसी व्यापारिक या वाणिज्यिक संगठन या व्यक्ति द्वारा या उसे वाणिज्यिक ऋणों का पुनर्प्रबंधन या संदाय;



(घ) किसी वाणिज्यिक या व्यापारी संगठन या व्यक्ति का कारोबार बंद कराना या दिवाला; और

(ङ) वाणिज्यिक न्यायालय पंचाट का प्रवर्तन।

सारांश:

यह देखा जा सकता है कि बहुत से देशों ने अपनी न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में 'वाणिज्यिक डिवीजन' की अवधारणा आरम्भ की है। कतिपय विशिष्टताओं में अन्तर हो सकते हैं परन्तु वाणिज्यिक डिवीजन आरम्भ करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकांशत: ये वर्तमान न्याय प्रणाली बाह्य न्यायालय नहीं हैं अपितु वर्तमान प्रणाली में ही एक नई डिवीजन की स्थापना है। ये डिवीजन ऐसे मामलों में कार्यवाही करेंगे जिनमें बहुत बड़ी धनराशियां अन्तर्ग्रस्त होंगी और ये उच्च स्तर के न्यायालय होंगे न कि ऐसे न्यायालय जहां अन्यथा वाद सामान्यतया फाइल किया जा सकता। विभिन्न देशों में इन न्यायालयों में वाणिज्यिक मामलों में अनुभव रखने वाले न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। प्रक्रिया अपेक्षाकृत तीव्र है। न्यायालयों में राज्य की उच्च प्रौद्योगिकीय प्रणाली भी उपलब्ध है।

अध्याय-चार

## वाणिज्यिक डिवीजन-ब्रिटेन, अमरीका और दिल्ली उच्च न्यायालय को कौन से मामले सौंपे गए

महत्वपूर्ण प्रश्न यह है: वाणिज्यिक डिवीजन को सौंपने के लिए वाणिज्यिक मामले की पहिचान कैसे की जाती है? ऐसे अनेक मामले हो सकते है जो उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक डिवीजन को नियत किए जाने के प्रयोजन से 'वाणिज्यिक' शब्द के अर्थ के अन्तर्गत आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि इनमें से कतिपय मामले हमारे देश में कतिपय विशेष न्यायालयों की अनन्य अधिकारिता में आते हैं तब ऐसे मामलों का चाहे वे वाणिज्यिक भी हों, अपवर्जन करना होगा। हम आरम्भ में ब्रिटेन और अमरीका में वाणिज्यिक मामलों के नियतन की पद्धति का निर्देश करेंगे और यह देखेंगे कि दिल्ली उच्च न्यायालय नियमों में कौन से मामले वाणिज्यिक मामले परिभाषित किए गए हैं। हम दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमों का भी निर्देश करेंगे जिनमें 'वाणिज्यिक मामलों' और 'वाणिज्यिक अपीलों' के निपटान का निर्देश किया गया है।

**ब्रिटेन:**

ब्रिटेन में सिविल प्रक्रिया नियमों के नियम 58.1(2) के अनुसार वाणिज्यिक दावे को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:

> "नियम 58.1(2): इस संभाग में और उसके कार्य संचालन निदेशों में, वाणिज्यिक दावे से व्यापार तथा वाणिज्यिक संव्यवहार से उत्पन्न कोई दावा अभिप्रेत है और निम्नलिखित से संबंधित कोई दावा सम्मिलित है—
>
> (क) कारोबारी दस्तावेज या संविदा;
>
> (ख) वस्तुओं का निर्यात या आयात;
>
> (ग) माल की सड़क, पोत, विमान या पाइपलाइन से ढुलाई;
>
> (घ) तेल तथा गैस निक्षेपों या अन्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन;
>
> (ङ) बीमा तथा पुनर्बीमा;
>
> (च) बैंककारी तथा वित्तीय सेवाएं;
>
> (छ) बाजारों तथा एक्सचेंजों का संचालन;
>
> (ज) वस्तुओं का क्रय और विक्रय;
>
> (झ) पोत निर्माण;
>
> (य) कारोबार एजेन्सी; और
>
> (ट) माध्यस्थम।"

**अमरीका:**

(I) सुप्रीम कोर्ट, मनरो काउंटी, न्यूयार्क राज्य : (20 नवम्बर, 2000)

वाणिज्यिक डिवीजन को मामले सौंपने के लिए लागू होने वाले मार्ग निर्देशों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट, सिविल बैंच, मनरो काउंटी, न्यूयार्क राज्य ने कहा है कि उक्त डिवीजन में ऐसे जटिल वाणिज्यिक और कारोबारी विवादों की सुनवाई होगी जिनमें कोई पक्षकार, दण्डात्मक नुकसानी खर्चे और अटर्नी की फीस के अतिरिक्त और किसी गैर वाणिज्यिक दावे, गैर वाणिज्यिक प्रतिदावे या गैर वाणिज्यिक प्रतिदावे के अतिरिक्त प्रतिकारात्मक नुकसानी के रूप में 25,000 डालर या इससे अधिक राशि की मांग करता है। उन्होंने कहा है:





"(क) ऐसे कारोबारी और वाणिज्यिक विवादों में निम्नलिखित प्रकार के मामले सम्मिलित होंगे:

**संविदा**

1. निम्नलिखित से संबंधित, संविदाभंग, धोखाधडी या कार्रवाई का दुर्व्यपदेशन:
   - (क) प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय
   - (ख) समान वाणिज्यिक संहिता संव्यवहार
   - (ग) किसी कारोबार की परिसंपत्तियों का क्रय या विक्रय या किसी कारोबार का विलय, समेकन या पुनर्पूंजीकरण
   - (घ) किसी कारोबारी एकक को या उसके द्वारा माल या सेवाओं का उपलब्ध कराया जाना
   - (ङ) वाणिज्यिक वास्तविक सम्पत्ति या व्यक्तिगत सम्पत्ति का क्रय, विक्रय, पट्टे पर देना या उसमें प्रतिभूति हित
   - (च) भागीदारी, शेयरधारिता या संयुक्त उद्यम संबंधी करार
   - (छ) फ्रैनचाइज, वितरण या लाइसेंसिंग करार।

**व्यवसाय निगम विधि**

2. शेयरधारी व्युत्पन्न कार्रवाई।
3. निगमों का विघटन या परिसमापन।
4. निगमित निदेशकों और अधिकारियों के दायित्व और क्षतिपूर्ति से संबंधित कार्रवाई।
5. शेयरधारियों के मतदान तथा निरीक्षण संबंधी अधिकार, निगमित कार्यों के लिए प्राधिकृत करना या अनुच्छेदों और उपविधियों की व्याख्या जैसे निगमों के आन्तरिक कार्यों संबंधी कार्रवाई।

**भागीदारी विधि**

6. सामान्य तथा सीमित भागीदार और भागीदारी संबंधी कार्रवाई।

**समान वाणिज्यिक संहिता**

7. वाणिज्यिक ऋण (वाणिज्यिक ऋणों के भुगतान में असफलताओं सहित), पराक्रम्य लिखत, ऋण पत्र और बैंक संव्यवहार।
8. अनुचित प्रतिस्पर्धा, कारोबारी लाभ में हस्तक्षेप या संविदात्मक संबंधों सहित व्यापारिक अपकृत्यों के आरोपों संबंधी कार्रवाई।

**अन्य वाणिज्यिक मामले**

9. नियोजन संबंधी करारों का कर्मचारियों को प्रोत्साहन या सेवानिवृति योजनाओं (सापेक्ष सेवानिवृति योजनाओं को छोडकर) से संबंधित कार्रवाई जिनमें कारोबारी या वाणिज्यिक हित प्रमुख हैं।
10. घोषणात्मक निर्णय संबंधी कार्रवाई और बीमा कम्पनियों के विरुद्ध तीसरे पक्षकारों के क्षतिपूरक दावे, जहां वाद हेतुक संविदात्मक स्वरूप का है या वह अन्यथा यहां निर्धारित किए गए मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत आता है। (आग लगने से हुई क्षति, मोटरयान संबंधी कार्रवाईयों या अपकृत्य दावों से संबंधित तीसरे पक्षकारों के दावों और घोषणात्मक निर्णयों को विशिष्ट रूप से सम्मिलित न करते हुए)।
11. वाणिज्यिक वर्ग की कार्रवाईयां।
12. ऐसे दोषपूर्ण निर्णयों पर पुनर्विचारण जहां वाद हेतुक वाणिज्यिक स्वरूप का है और अन्यथा यहां निर्धारित किए गए धनीय या अधिकारिता संबंधी मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत आएगा।
13. जब सभी मानदंड पूरे होते हों तो कार्रवाई व्यक्तियों या कारोबारी एककों के विरुद्ध की जाएगी।

(ख) निम्नलिखित विषय वाणिज्यिक न्यायालय के मामलों में सम्मिलित नहीं होंगे:

भूस्वामियों/किरायेदारों के गैर वाणिज्यिक विवाद

विवाह संबंधी विवाद, पृथक्करण करारों या विवाह-विच्छेद डिक्रियों के प्रवर्तन सहित

पुरोबंध, चाहे उनमें वाणिज्यिक भवन या वाणिज्यिक पक्षकार ही अन्तर्ग्रस्त क्यों न हों।

वास्तविक सम्पत्ति कार्रवाईयों और विधिक कार्रवाईयों से संबंधित उपबंधों के अधीन आने वाले मामले।

इस बात का विचार किए बिना कि विचाराधीन विषय वाणिज्यिक स्वरूप का है अथवा नहीं सपीना तथा अवमानना संबंधी जानकारी के लिए आवेदन सहित, किसी निर्णय को लागू करने के लिए कार्यवाही।

उत्पाद दायित्व दावे, कतिपय विशिष्ट प्रयोजन दावों के लिए वाणिज्यिक क्षमता और उपयुक्तता सहित।

उन्मोचन, यांत्रिकी उपांतरण या परोबंध या अन्य धारणाधिकार

गैर वाणिज्यिक स्वरूप की कार्रवाईयों से संबंधित, आग लगने से हुई क्षति, मोटरयान संबंधी कार्रवाई और अपकृत्य दावों सहित अपितु इन तक सीमित नहीं, बीमा पालिसियों के अधीन क्षतिपूरण दावों संबंधी घोषणात्मक निर्णय कार्रवाईयां।

गैर वाणिज्यिक स्वरूप की कार्रवाईयों में दोषपूर्ण निर्णयों के बारे में, निर्धारित किए गए अधिकारिता संबंधी मार्गनिर्देशों और धनीय सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले सभी मामलों सहित, पुनर्विचारण करना/खारिज करना या उन्हें उपांतरित करना।

मेडीकेयर, मेडीसियाड, या समाज सेवा विभाग द्वारा या उनके विरुद्ध कार्यवाही या विधि के अधीन विधिक अधिकारों के प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई भेदभाव के मामले (आयु, लिंग आदि) उन मामलों के सिवाय जहां वे किसी संविदा के भाग हैं या उसकी शर्तों के अधीन आते हों।

विधिक, चिकित्सीय, लेखा या वस्तु शुल्क वसूली संबंधी वसूली के मामले।

विधिक, चिकित्सीय या लेखा कदाचार संबंधी कार्रवाइयों, वहां भी जहां संविदा वाद हेतुक भी बताया गया हो।"

(II) **मैरीलैण्ड, बिजनेस एण्ड टेकनालाजी न्यायालय (कार्यकारी दल की रिपोर्ट)**

व्यापार तथा प्रौद्योगिकी वाद प्रबंधन कार्यक्रम को मामलों का सौपा जाना

1. व्यापार तथा प्रौद्योगिकी वाद प्रबंधन के अधीन मामले

कार्यकारी दल का विश्वास है कि कार्यक्रम को मामला सौंपने का निर्णय करने वाली कोई भी प्रणाली उदार होनी चाहिए। यह सिफारिश की गई है कि चयन प्रणाली एक रूपविधान पर आधारित होनी चाहिए जो यह स्थापित करे कि कतिपय वाद उपधारणात्मक रूप में सम्मिलित किए जाएंगे, जबकि कतिपय अन्य अपवर्जित होंगे। जैसे-जैसे सदैव विकसित होती हुई प्रौद्यागिकी के साथ विधायी और व्यवसायी विश्व का विकास होगा, यह उपधारणा और वास्तव में आशा की गई है कि ऐसी उपधारणाओं को न्यायिक निर्णय और/या नियम द्वारा उपांतरित किया जाएगा।

यदि दोनों पक्षकार कार्यक्रम के विलम्ब से सहमत नहीं हैं तो उन्हें इसकी अनुज्ञा दी जानी चाहिए। उपधारणाओं के समाधान में, दोनों पक्षकारों की इच्छा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

कार्यक्रम को सौंपने के लिए ऐसे मामले आरक्षित रखे जाने चाहिए जिनमें पर्याप्त विवादास्पद विषय हो। इसमें न केवल प्रतीकात्मक रूप में ऐसे मामले सम्मिलित होंगे जिनमें महत्वपूर्ण धनीय क्षति अन्तर्ग्रस्त होगी अपितु ऐसे मामलों पर विचार किया जाना भी सम्मिलित होगा जिनमें भविष्य में पर्याप्त आर्थिक क्षति होने की संभावना है परन्तु मांगी गई प्राथमिक राहत धन संबंधी नहीं है (अर्थात व्यादेशात्मक या घोषणात्मक राहत)

यह कार्यक्रम मूलतः ऐसे मामलों तक सीमित होना चाहिए जिनमें एकल स्वामित्व या जहां दावा भागीदार के विरुद्ध है वहां भागीदारों सहित, व्याख्यात्मक उद्यम अन्तर्ग्रस्त हों। तथापि, व्यक्तियों को कार्यक्रम से लाभान्वित होने की अनुज्ञा होनी चाहिए यदि वे कार्यक्रम के लिए उपयुक्त विवाद में अन्तर्ग्रस्त हों।



मामलों में ऐसे जटिल वाणिज्यिक और/या प्रौद्योगिकीय विषय होने चाहिए कि विचाराधीन विषय के विशिष्ट ज्ञान और विशेषज्ञता या लागू होने वाली विशिष्ट विधि या विधायी सिद्धान्तों की आवश्यकता के कारण विशिष्ट कार्यवाही से विवाद के निष्पक्ष और न्यायोचित समाधान की आशा में सुधार की संभावना हो सके।

इस प्रकार, कार्यकारी दल सिफारिश करता है कि किसी पृथक वाद प्रबंधन कार्यक्रम में किसी विपरीत बात के होते हुए भी मामले निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित व्यापार तथा प्रौद्योगिकी वाद प्रबंधन कार्यक्रम को सौंपे जाएं:

(क) यदि निम्नलिखित मानदंड पूरे होते हों तो केवल ऐसी शिकायतें जिनमें नुकसानी के लिए 50,000 डालर प्रतिकर राशि की मांग की गई हो या जिनमें प्राथमिक व्यादेश या अन्य समान राहत की मांग की गई हो, कार्यक्रम को सौंपने के लिए वांच्छनीय समझी जाएंगी।

(ख) ऐसी कार्यवाहियां जिनमें मूल दावों में निम्नलिखित बातें हों कार्यक्रम को सौंपी जानी चाहिए:

(i) प्रौद्योगिकीय विकास, अनुरक्षण और परामर्शदात्री करारों, साफ्टवेयर नेटवर्क और इन्टरनेट वेबसाइट विकास तथा अनुरक्षण करारों सहित, से उत्पन्न विवाद।

(ii) व्यापारिक उद्यमों के लिए इन्टरनेट वेबसाइट तैयार करने से उत्पन्न होने वाले विवाद।

(iii) प्रौद्योगिकी लाईसेंस देना संबंधी करारों, साफ्टवेयर तथा जैव प्रौद्योगिकी लाईसेंस संबंधी करारों सहित, या किसी ऐसे करार सहित जिसमें बौद्धिक सम्पदा अधिकार और पेटेन्ट अधिकार अन्तर्ग्रस्त हों, से उत्पन्न विवाद।

(iv) व्यवसायों के आन्तरिक कार्यों संबंधी कार्रवाईयां (अर्थात्, निगमों, सामान्य भागीदारियों, सीमित दायित्व भागीदारियों, एकल स्वामित्व, व्यवसायिक एसोसिएशनों, वास्तविक संपदा निवेश न्यासों और संयुक्त उपक्रमों के), शेयरधारियों, भागीदारों और सदस्यों के मध्य अधिकार और दायित्व या अधिकारियों, निदेशकों, प्रबंधकों, न्यासियों या भागीदारों के दायित्व या अधिकारियों, निदेशकों, प्रबंधकों, न्यासियों या भागीदारों के दायित्व या क्षतिपूर्ति सहित।

(v) व्यवसायिक व्यवहार से संविदा भंग, धोखाधड़ी, दुर्व्यपदेशन या कानूनी उल्लंघन का दावा करने वाली कार्रवाईयां।

(vi) शेयरधारी व्युत्पन्न और वाणिज्यिक वर्ग कार्यवाहियां।

(vii) वाणिज्यिक बैंक संव्यवहारों से उत्पन्न कार्रवाईयां।

(viii) बीमाकर्ताओं द्वारा या उनके विरुद्ध घोषणात्मक निर्णय और क्षतिपूरण दावे जहां बीमा पालिसी कारोबारी या वाणिज्यिक पालिसी है और जहां अन्तर्निहित विवाद अन्यथा कार्यक्रम को सौंपा जाएगा।

(ix) व्यापारिक गोपनीयता, निगमेतर, याचनेतर और गोपनीयता करारों संबंधी कार्रवाईयां।

(x) व्यवसायिक अपकृत्य संबंधी कार्रवाईयों, अनुचित प्रतिस्पर्धा या मैरीलैण्ड ट्रेड सीक्रेट या अनुचित और प्रबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियमों का उल्लंघन।

(xi) स्वामियों/किरायेदारों के विवादों के अतिरिक्त वाणिज्यिक वास्तविक संपदा विवाद।

(xii) मैरीलैण्डस् यूनीफार्म कम्प्यूटर इन्फारमेशन ट्रान्जैक्शनस् एक्ट संबंधी विवाद, इस अधिनियम में उपबंधित वारंटी उपबंधों के कथित उल्लंघन सहित।

(xiii) व्यवसायिक उद्यमों को व्यवसायिक सेवाएं प्रदान करने के संबंध में व्यवसायिक कदाचार संबंधी दावे।

(xiv) मैरीलैण्डस् एन्टी-ट्रस्ट एक्ट के उल्लंघन संबंधी दावे।

(xv) मैरीलैण्डस् सीक्योरिटीज एक्ट के उल्लंघनों से उत्पन्न दावे।

(ग) कार्रवाईयां जिनमें मूल दावे निम्नलिखित से संबंधित हैं, व्यापार तथा प्रौद्योगिक वाद प्रबंधन कार्यक्रम को नहीं सौंपे जाएंगे:

(i) व्यक्तिगत क्षति, जीवित रहना या सदोषमृत्यु के मामले।

(ii) चिकित्सीय कदाचार के मामले।

(iii) भूस्वामियों/किरायेदारों के मामले।

(iv) व्यवसायिक शुल्क विवाद।

(v) किसी व्यवसायिक उद्यम को व्यवसायिक सेवा प्रदान करने के संबंध में लाए गए वादों के अतिरिक्त अन्य व्यवसायिक कदाचार संबंधी दावे।

(vi) कार्यक्रम को अन्यथा सौंपे जाने वाले मामलों के अतिरिक्त कर्मचारी/नियोक्ता विवाद।

(vii) प्रशासनिक अभिकरण, कर, क्षेत्रीयता संबंधी तथा अन्य अपील।

(viii) आपराधिक मामले, कम्प्यूटर संबंधी अपराधों सहित।

(ix) किसी भी प्रकार के निर्णय के प्रवर्तन संबंधी कार्यवाहियां।

**दिल्ली उच्च न्यायालय नियम:**

जहां तक दिल्ली उच्च न्यायालय का संबंध है, कतिपय मामलों को 'वाणिज्यिक मामले' निर्दिष्ट करने के लिए नियम बनाए गए प्रतीत होते हैं। 'वाणिज्यिक अपीलों' में लागू होने के लिए भी नियम हैं।

अधिकारिता के संबंध में नियमों के अध्याय–तीन के भाग-पांच में चार भाग दिए गए हैं। अध्याय–तीन के भाग–क में वाद हेतुक तथा अन्य मामलों की सुनवाई में उच्च न्यायालय के व्यवहार को विनियमित करने संबंधी नियम दिए गए हैं। अध्याय-तीन का भाग–ख एकल न्यायाधीश की तथा न्यायालय की न्यायपीठों की अधिकारिता के बारे में है। भाग-ग कतिपय न्यायिक मामलों को निपटाने के लिए रजिस्ट्रार को प्रत्यायोजित की गई शक्तियों के बारे में है।

अपील: भाग-घ हमारे प्रयोजन से सुसंगत है और इसे **वाणिज्यिक मामलों में डिक्रियों के विरुद्ध** अपील शीर्षक दिया गया है। इसमें चार नियम अन्तर्विष्ट हैं:

"1. "वाणिज्यिक हेतुक" में वाणिज्यिक दस्तावेज तैयार करना, पण्य के निर्यात या आयात, माल वहन के लिए पोत तय करने, सड़क से माल की ढुलाई, बीमा, बैंकिंग और वाणिज्यिक दस्तावेज, वाणिज्यिक एजेन्सी, ट्रेड मार्कस् का वाणिज्यिक प्रयोग और उल्लंघन और कार्रवाईयों के लोप से संबंधित जैसे वणिकों, बैंकरों तथा व्यापारियों के साधारण संव्यवहारों से उत्पन्न हेतुक सम्मिलित हैं। साधारण ऋण और बंधकों संबंधी वाद वाणिज्यिक नहीं हैं।

2. मुख्य न्यायाधीश 'वाणिज्यिक मामलों' की सुनवाई के लिए समय-समय पर न्यायालय के एक न्यायाधीश को नामनिर्दिष्ट करेगा।

3. (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन आने वाले सभी मामले और माल वाहक के रूप में रेल प्रशासन के उत्तरदायित्व को प्रभावित करने वाले मामले "वाणिज्यिक मामले" समझे जाएंगे।

(ख) तथापि, माननीय न्यायाधीश पक्षकारों के अनुरोध पर या स्वमेव ही, यदि इस बात से संतुष्ट हों कि मामला नियम-I की परिभाषा के अनुसार "वाणिज्यिक मामला" है, किसी मामले को 'वाणिज्यिक मामले' के रूप में चिन्हित कर सकते हैं।

4. वे सभी अपील जिन्हें नियम 3 के अधीन न्यायाधीश के आदेश द्वारा "वाणिज्यिक हेतुक" के रूप में चिन्हित किया गया है यथाशीघ्र सुनवाई के लिए प्रस्तुत की जाएंगी और 'वाणिज्यिक वाद हेतुकों' की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर नियुक्त किए गए न्यायाधीश के सम्मुख या किसी ऐसी न्यायपीठ के सम्मुख उक्त न्यायाधीश जिसका सदस्य है, प्रस्तुत की



जाएंगी। सुनवाई के दिन ऐसे वादों को, ऐसी अपीलों को जिनकी आंशिक रूप में सुनवाई हो चुकी है और बार-बार स्थापित किए गए मामले को छोड़कर, अन्य सभी अपीलों के विरुद्ध प्राथमिकता दी जाएगी।"

**मूल विषय:**

नियमों के भाग-छह में, दिल्ली उच्च न्यायालय नियम, 1967 दिए गए हैं जो अपनी साधारण मूल सिविल अधिकारिता के प्रयोग के लिए व्यवहार और प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 122 और 129 और दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं।

अध्याय-सोलह में 'वाणिज्यिक वादों' का निर्देश है। इसमें दो नियम दिए गए हैं:

"1. वाणिज्यक मामलों की परिभाषा–वाणिज्यिक विवादों में वणिकों, बैंकरों तथा व्यापारियों के साधारण संव्यवहारों से उत्पन्न मामले सम्मिलित हैं, और अन्य दूसरे वे मामले जो वाणिज्यिक दस्तावेज तैयार करने, पण्यों के निर्यात और आयात, माल वहन करने के लिए पोत तय करने, सड़क, जहाज और विमानों द्वारा माल की ढुलाई, बीमा, बैंकिंग और वाणिज्यिक एजेंसी और वाणिज्यिक उपयोग से संबंधित हैं।

2. ऐसे मामलों में वाद-पत्रों को 'वाणिज्यिक' वादों के रूप में चिन्हित किया जाएगा–जहां वाद-पत्र प्रस्तुत करने पर वादी यह आवेदन करता है कि उसके वाद पर वाणिज्यिक वाद के रूप में कार्रवाई की जाए तो रजिस्ट्रार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि वाद वाणिज्यिक वाद है और यह अनावश्यक विलम्ब के बिना ही लाया गया है, वाद-पत्र को अन्य सामान्य पृष्ठांकनों के साथ "वाणिज्यिक वाद" शब्द लिखकर चिन्हित करेगा।

**स्पष्टीकरण**–कोई वाद जो वाद हेतुक उत्पन्न होने के छह मास की अवधि, के भीतर लाया गया है, अनावश्यक विलम्ब के बिना ही लाया गया है।

यह देखा जा सकेगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमों में 'वाणिज्यिक', 'अपील' तथा 'प्रारम्भिक स्थिति वाले मामलों' के रूप में विशिष्ट वर्गीकरण की आवश्यकता है। नियमों में 'वाणिज्यिक' शब्द परिभाषित किया गया है।

हमारे प्रस्ताव है कि ऐसे 'वाणिज्यिक मामलों' पर, जिनमें न्यूनतम एक करोड़ या इससे अधिक की राशि अन्तर्ग्रस्त है, आरम्भिक स्थिति में उच्च न्यायालयों के 'वाणिज्यिक डिवीजनों' द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए और कार्रवाई प्रक्रिया त्वरित होनी चाहिए और निर्णय के विरुद्ध केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील का उपबंध होना चाहिए। इसलिए, पर्याप्त विधायी परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी जो न केवल दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए अपितु सभी उच्च न्यायालयों के लिए प्रभावी होंगे। इन प्रस्तावों का उल्लेख अध्याय-आठ में किया जाएगा।

**सारांश:** उपर्युक्त चर्चा और ब्रिटेन अमरीका में वाणिज्यिक डिवीजनों के लिए आबंटन के प्रयोजन से वाणिज्यिक मामले के रूप में मामलों का वर्गीकरण और दिल्ली उच्च न्यायालय में संविदात्मक मामलों का वर्गीकरण हमें इस प्रणाली की संक्षिप्त रूपरेखा प्रदान करता है। मुख्य रूप में, हमें निम्नलिखित बातें करनी होंगी:

(क) उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक डिवीजन में जो मामले सूचीबद्ध किए जाएंगे हमें आरम्भ में इसके लिए न्यूनतम धन संबंधी अधिकारिता के रूप में एक करोड़ या इससे अधिक की आर्थिक सीमा निर्धारित करनी होगी।

(ख) इसके पश्चात हमें इस प्रकार के मामलों को सूचीबद्ध करना होगा जो वाणिज्यिक कहे जा सकेंगे और जिनका नियतन उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक डिवीजन को किया जा सकेगा।

(ग) हमें विनिर्दिष्ट श्रेणियों के मामले, जो वाणिज्यिक स्वरूप के नहीं दिखते हैं, वाणिज्यिक डिवीजन से निकालने होंगे।

(घ) वाणिज्यिक डिवीजन से हमें ऐसी विनिर्दिष्ट श्रेणियों के मामलों को भी निकालना होगा जो वाणिज्यिक हैं परन्तु जिनके लिए विधि में एक पृथक अनन्य न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण की अधिकारिता विनिर्दिष्ट की गई है। उदाहरणार्थ वाणिज्यिक कम्पनियों, ट्राई, टी.डी.एस.ए. टी. का परिसमापन।

(ङ) हमें यह उपबंध करना होगा कि ऐसे सभी मामले मूलत: उच्च न्यायलय में इलैक्ट्रानिक फाइलिंग तथा अन्य उच्च प्रौद्योगिकीय सुविधाओं के साथ त्वरित प्रक्रिया के अधीन सुने जाएंगे और यह कि भारत के उच्चतम न्यायालय में सांविधिक अपील की जा सकेगी।

(च) ऐसी लम्बित अपीलें जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों के विरुद्ध दायर की गई हैं, वाणिज्यिक डिवीजन को स्थानांतरित करना आवश्यक होगा। वाणिज्यिक डिवीजन द्वारा निर्णित ऐसी अपीलों के लिए सांविधिक अपील का उपबंध करने की आवश्यकता नहीं है।

(छ) वाणिज्यिक डिवीजन में दायर किए गए या उसे स्थानांतरित किए गए वादों या अपीलों से उत्पन्न निष्पादन कार्यवाहियां भी वाणिज्यिक डिवीजन द्वारा ही की जानी चाहिए।

(ज) सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 में उपबंधित सीमा के सिवाय उच्चतम न्यायालय में सांविधिक अपील करने का उपबंध करने की आवश्यकता नहीं है।

इन सभी पहलुओं पर अध्याय-नौ में चर्चा की जाएगी।

## अध्याय-पांच

# संसदीय विधि द्वारा उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक डिवीजन को मामलों का नियतन-संवैधानिक रूप से अनुज्ञेय

जैसाकि पिछले अध्यायों में बताया गया है कि ऐसे वाणिज्यिक मामलों का तेजी से समाधान किए जाने की आवश्यकता है जिनमें बड़ी धनराशियां अन्तर्ग्रस्त हैं। ऐसे मामलों के समाधान के लिए हमें अपने विचारण न्यायालयों की वर्तमान प्रक्रिया को, उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक डिवीजन का उपबंध करके जिसमें एक पृथक डिवीजन में त्वरित प्रक्रिया वाली खंड न्यायपीठ हों, परिवर्तित करना होगा। वाणिज्यिक डिवीजन के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विधिक अपील की जा सकेगी। आरम्भिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाने वाली अपीलों के लिए उच्चतम न्यायालय के नियमों में उपबंध किया जा सकेगा जैसाकि उन सभी मामलों में किया जाता है जहां इस समय विधिक अपील करने की सुविधा उपलब्ध है।

अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि डिवीजन गठित करने और खंड न्यायपीठ गठित करने और उनमें न्यायाधीश नामनिर्दिष्ट करने की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय की वर्तमान शक्तियों के संदर्भ में, क्या संसद विधि बनाकर उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक डिवीजन स्थापित कर सकती है।

यह भली-भांति ज्ञात है कि पृथक डिवीजन गठित करना उच्च न्यायालय का परमाधिकार है और अपेक्षित संख्या में न्यायपीठ गठित करना और उच्च न्यायालय की उन न्यायपीठों में न्यायाधीशों को न्यायिक कार्य सौंपना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का विशेषधिकार है। विशिष्ट प्रकार के मामले एकल न्यायाधीश द्वारा सुने जाएंगे या डिवीजन न्यायपीठ द्वारा इसका उल्लेख सामान्यतया उच्च न्यायालय के नियमों में अन्तर्विष्ट है या यह विषय उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के संकल्पों पर आधारित होगा।

क्योंकि, जैसाकि प्रस्ताव किया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के भीतर ही एक वाणिज्यिक डिवीजन होना चाहिए (और हमारा यह प्रस्ताव नहीं है कि इस प्रकार के वाणिज्यिक न्यायालय उच्च न्यायालय से असंबद्ध रूप में स्थापित किए जाएंगे), इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस संबंध में संवैधानिक उपबंधों का अक्षरत: पालन किया जाए। क्योंकि डिवीजन गठित करने की शक्ति उच्च न्यायालय का कृत्य है और न्यायिक कार्य का नियतन करने की शक्ति उच्च न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की शक्तियों से टकराव न हो। हमारे प्रस्तावों का आशय, उच्च न्यायालय में एक पृथक डिवीजन स्थापित करके, ब्रिटेन और अमरीका की पद्धति पर, इन शक्तियों को और बढ़ाने का है। जैसाकि देखा जा सकता है, भारत का संविधान वाणिज्यिक डिवीजन गठित करने और उसकी प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए तथा वाणिज्यिक डिवीजन द्वारा पारित डिक्रियों/आदेशों के विरुद्ध अपीलों के संबंध में संसद को विधि बनाने की अनुज्ञा देता है।

''पेटेन्ट्स्, एडमिरलटी एण्ड कामर्शियल कोर्टस्''

धारा 6 (1)

(क) चांसरी डिवीजन के भाग के रूप में एक पेटेन्ट्स् कोर्ट और

(ख) क्वीनस डिवीजन के भाग में, एक एडमिरलटी एण्ड कामर्शियल कोर्ट,

(2) पेटेन्ट्स् कोर्ट, एडमिरलटी और कामर्शियल कोर्ट के न्यायाधीश उच्च न्यायालय के ऐसे अवर न्यायाधीश होंगे जो लार्ड चांसलर द्वारा क्रमश: पेटेन्ट्स् कोर्ट, एडमिरलटी और कामर्शियल कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में समय-समय पर नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।''

भारत में, जैसाकि पीछे बताया जा चुका है, उच्च न्यायालय में डिवीजनों का वर्गीकरण उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा बनाए गए नियमों या पारित संकल्पों के आधार पर किया जाता है। उच्च न्यायालय के विभिन्न

न्यायाधीशों को न्यायिक कार्य सौंपने की शक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में निहित है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई और समाधान करने के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए रोस्टर के अनुसार न्यायाधीश द्वारा कतिपय न्यायाधीश रिट याचिकाओं की अधिकारिता में और कतिपय सिविल और आपराधिक अधिकारिताओं आदि के लिए नियत किए जाते है। दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रस जैसे उच्च न्यायालयों में, जहां उच्च न्यायालयों की मूल अधिकारिता है जहां वाद तथा मूल सिविल कार्यवाहियों पर विचारण होता है, मुख्य न्यायाधीश आरम्भिक सुनवाई के लिए समय-समय पर विशिष्ट न्यायाधीशों को नामनिर्दिष्ट करता है।

परन्तु, यद्यपि भारत में ब्रिटेन, अमरीका तथा अन्य देशों की भांति पृथक वाणिज्यिक डिवीजन नहीं है, हम देखते हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमों के अध्याय-चार में ऐसे मामलों का निर्देश है जिन्हें अपील के प्रयोजन से तथा आरम्भिक स्थिति में निर्णय के प्रयोजन से 'वाणिज्यिक मामलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार का वर्गीकरण सभी उच्च न्यायालयों में उपलब्ध नहीं है। वाणिज्यिक मामलों पर पृथक रूप से निर्णय किए जाने की प्रणाली देश के सभी न्यायालयों में आरम्भ की जानी चाहिए। हमने यह प्रस्ताव भी किया है कि जिन मामलों में 1 करोड रुपए तक की बडी राशि अन्तर्ग्रस्त है उनमें उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ में आरम्भिक दशा में त्वरित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए और निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय मे एक विधिक अपील का उपबंध होना चाहिए। उच्च न्यायालय वाणिज्यिक डिवीजन द्वारा सुनवाई के लिए मामले में अन्तर्ग्रस्त धनराशि की न्यूनतम सीमा एक करोड़ रुपये से अधिक निर्धारित कर सकता है। परन्तु, हमारे विचार से उच्च न्यायालय को 5 करोड़ रुपये की राशि से अधिक न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं करनी चाहिए।

हमने यह प्रस्ताव भी किया है कि आरम्भिक स्थिति में उच्च न्यायालय में लम्बित वाणिज्यिक मामलों और ऐसी अनिर्णत अपीलों का समाधान, जिनमें प्रत्येक में एक करोड़ रुपये या इससे अधिक धनराशि अन्तर्ग्रस्त है, दो न्यायाधीशों की न्यायापीठ द्वारा त्वरित प्रक्रिया से किया जाना चाहिए। इनसे उत्पन्न निष्पादन संबंधी कार्यवाहियां भी वाणिज्यिक डिवीजन के समक्ष जानी चाहिए।

तथापि, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उच्च न्यायालय की मूल शाखा में एक करोड़ रुपये से अधिक राशि के मामलों या इतनी राशि की लम्बित अपीलों को विचारण के लिए उच्च न्यायालय की डिवीजन को वाणिज्यिक डिवीजन की संज्ञा देने के लिए विधिक उपबंध करने से क्या उच्च न्यायालय की किन्हीं शक्तियों में या ऐसा डिवीजन गठित करने और विभिन्न श्रेणियों के न्यायिक कार्य संविधान के उपबंधों के अनुरूप विभिन्न न्यायाधीशों को सौंपने के लिए ऐसी एक न्यायपीठ गठित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति में कोई हस्तक्षेप तो नहीं होगा।

**संवैधानिक स्थिति : 26.1.1950 को विद्यमान तथा इसके पश्चात गठित किए गए उच्च न्यायालय, 26.1.1950 को विद्यमान उच्च न्यायालय**

प्रारम्भ में, हमें संविधान के अनुच्छेद 225 का निर्देश करना है जो हमें विधि के पूर्ववर्ती कार्यशील उपबंधों की ओर ले जाता है, अर्थात् भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 223। यह धारा हमें और पीछे, अर्थात भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 106 (1) और 108 की ओर ले जाती है। हम इस समय इन उपबंधों का और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का निर्देश करेंगे।

(क) भारत का संविधान

"अनुच्छेद 225: इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस संविधान द्वारा समुचित विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर उस विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता और उसमें प्रशासित विधि तथा उस न्यायालय में न्याय प्रशासन के संबंध में उसके न्यायाधीशों की अपनी-अपनी शक्तियों, जिनके अन्तर्गत न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति तथा उस न्यायालय और उसके सदस्यों की बैठकों का, चाहे वे अकेले बैठें या खंड न्यायालयों में, विनियमन करने की शक्ति है, वही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले थी।

परन्तु राजस्व संबंधी अथवा उसका संग्रहण करने में आदिष्ट किए गए किसी कार्य संबंधी विषय की बाबत उच्च न्यायालय में से किसी की आरम्भिक अधिकारिता का प्रयोग, इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले, जिस किसी निर्बन्धन के अधीन था वह निर्बन्धन ऐसी प्रारम्भ के पश्चात लागू नहीं होगा।



(ख) भारत सरकार अधिनियम, 1935: अनुच्छेद 225 में प्रयुक्त 'वही होगी जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले थी' शब्दों की दृष्टि से, हमें भारत सरकार का अधिनियम, 1935 की धारा 223 का निर्देश करना होगा। इसका पाठ निम्नलिखित है:

"धारा 223: इस अधिनियम के इस भाग के उपबंधों, इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन काउंसिल में पारित किसी आदेश के उपबंधों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के अधीन किसी ओदश के उपबंधों, और किसी समुचित विधानमंडल के किसी अधिनियम, जो इस अधिनियम द्वारा उस विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियों के अधीन अधिनियमित किया गया है, के उपबंधों के अधीन, किसी विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता और उसमें प्रशासित विधि, और उसके न्यायाधीशों की अपनी-अपनी शक्तियां, न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति और न्यायालय और उसके सदस्यों की बैठकों, चाहे अकेले बैठे या खंड न्यायपीठों में, को विनियमित करने की शक्ति सहित, वही होंगी जो डोमिनियन की स्थापना से ठीक पहले थी।"

(1) जब तक समुचित विधानमंडल के अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो, राजस्व संबंधी किसी भी मामले में, देश की प्रक्रिया और व्यवहार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार उसका संग्रहण करने में आदिष्ट या किए गए किसी कार्य संबंधी विषय की बाबत, किसी भी उच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता नहीं होगी।"

(ग) भारत सरकार अधिनियम, 1915

"धारा 106 (1) : बहुत से न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और उन्हें खुले समुद्र में किए गए अपराधों के संबंध में नावधिकरण की अधिकारिता सहित, मूल तथा अपीलीय अधिकारिता प्राप्त है, और न्यायालय के लिपिक और अनुसचिवीय अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति सहित, न्याय प्रशासन की या उसके संबंध में वे सभी शक्तियां और प्राधिकार और न्यायालय प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है जो उनमें लेटर्स् पेटेन्ट द्वारा, और ऐसे किन्हीं लेटर्स् पेटेन्ट के उपबंधों के अधीन निहित हैं और वे शक्तियां तथा प्राधिकार प्राप्त हैं जो उनमें अलग-अलग इस अधिनियम के प्रवर्तन के समय निहित थे।"

"धारा 108 : (1) प्रत्येक उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एक या अधिक न्यायाधीशों द्वारा, या दो या अधिक न्यायाधीशों से गठित खंड न्यायपीठों द्वारा न्यायालय में निहित मूल तथा अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपने नियमों में ऐसे उपबंध कर सकेगा जो वह उचित समझता है।

(2) प्रत्येक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यह निश्चित करेगा कि प्रत्येक मामले में कौन न्यायाधीश अकेला बैठेगा और कौन से न्यायाधीशों से, मुख्य न्यायाधीश सहित या उसके बिना, विभिन्न खंड न्यायापीठ गठित होंगे।"

यह नोट करने वाली महत्वपूर्ण बात भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 108(1) द्वारा उच्च न्यायालय में निहित शक्तियां और इसी अधिनियम की धारा 108(2) द्वारा प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में शक्तियां निहित हैं और ये शक्तियां भारत सरकार अधिनियम, 1935 और इसके उपरांत संविधान में अनुच्छेद 225 द्वारा भी कायम रखी गई हैं।

यह स्थिति विद्यमान उच्च न्यायालयों (26-1-1950 को) के बारे में है। 1-11-56 को या इसके पश्चात् राज्य पुनगर्ठन अधिनियम, 1956, बम्बई पुनगर्ठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनगर्ठन अधिनियमों के परिणामस्वरुप विद्यमान उच्च न्यायालयों में से अन्य नए उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इन नए उच्च न्यायालयों के मामले में मूल उच्च न्यायालयों और मुख्य न्यायाधीशों की शक्तियां अलग-अलग राज्य पुनगर्ठन अधिनियमों में भी कायम रखी गई हैं।

नए उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, कर्नाटक उच्च न्यायालय अधिनियम और केरल उच्च न्यायालय अधिनियम आदि जैसी अनन्य अधिनियमितियों के अधीन कतिपय उच्च न्यायालय अलग से गठित किए गए हैं। इन अधिनियमों में नीचे दिए जा रहे उपबंध अन्तर्विष्ट हैं।

उदाहरण के लिए, दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 में, धारा 4(घ) में कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 225 लागू नहीं होगा, धारा 7 में पंजाब उच्च न्यायालय की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों का दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए लागू होने का निर्देश किया गया है और धारा 10(2), मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों का निर्देश करती है जो निम्नलिखित है:

"धारा 10(2). उपधारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन, यह कि पंजाब के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एकल न्यायाधीशों और खंड न्यायालयों की शक्तियों से संबंधित तथा उन शक्तियों के प्रयोग के आनुषंगिक सभी विषयों के बारे में नियत दिन के ठीक पहले प्रवृत्त विधि, दिल्ली उच्च न्यायालय के संबंध में आवश्यक उपांतरणों के साथ लागू होगी।"

इसका अर्थ है कि यदि भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 108 पंजाब उच्च न्यायालय के लिए लागू होती है तो दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए लागू होगी।

यहां दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का निर्देश करना भी आवश्यक है जिसका शीर्षक 'व्यावृत्तियां' है। इस धारा का पाठ निम्नलिखित है:

'धारा 15. व्यावृत्तियां-धारा 4 में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम की किसी बात का प्रभाव व संविधान के किसी उपबंध का दिल्ली उच्च न्यायालय को लागू होने पर नहीं पड़ेगा और यह अधिनियम किसी ऐसे उपबंध के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा जिसे ऐसे उपबंध करने की शक्ति रखने वाला कोई विधानमंडल या अन्य प्राधिकारी नियत दिन को या उसके पश्चात, उस उच्च न्यायालय की बाबत बनाए गए किसी उपबंध के अध्यधीन, प्रभावी होगा।"

केरल उच्च न्यायालय अधिनियम, कर्नाटक उच्च न्यायालय अधिनियम और अन्य ऐसे ही अधिनियम के उपबंध भी उपबंधों के समान ही हैं और इसलिए पश्चातवर्ती विधान के अध्यधीन हैं।

**सारांश**

इस प्रकार 26-1-1950 को विद्यमान उच्च न्यायालय और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम या बम्बई पुनर्गठन अधिनियम या अन्य पुनर्गठन अधिनियमों के उपबंधों के अधीन विद्यमान न्यायालयों में से अस्तित्व में आए अन्य उच्च न्यायालय पर अनुच्छेद 225 लागू होता है। यहां उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश की शक्तियां समुचित विधानमंडल द्वारा उपांतरित की जा सकती है। जहां तक दिल्ली उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय या केरल उच्च न्यायालय आदि जैसे विशेष अधिनियमों से उच्च न्यायालयों के शासित होने का संबंध है, इनमें किसी विधानमंडल या अन्य प्राधिकरण द्वारा, जिसे ऐसे उपबंध करने की शक्ति प्राप्त हो, उपांतरित करने की अनुज्ञा दी गई है।

**विधायी प्रविष्टियां और 'न्याय प्रशासन' से संबंधित प्रविष्टि**

इसके आगे संविधान के उन उपबंधों का निर्देश करना आवश्यक होगा जो वर्तमान प्रस्तावों से संबंधित हैं।

हम विधायी प्रविष्टियों में आए शब्द 'न्याय प्रशासन' के अर्थ का भी निर्देश करेंगे जब हम बाद में भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सूची-I की प्रविष्टि 1 और संविधान सूची-II की प्रविष्टि 3 (31-1-1977 तक) और 31-1-1977 का पश्चात सूची-III की प्रविष्टि 11क का निर्देश करेंगे कि कौन सा विधानमंडल ऐसा उपबंध करने के लिए उपयुक्त विधानमंडल है जो उच्च न्यायालय की न्यायपीठ को 'वाणिज्यिक डिवीजन' के नाम से पदाभिहित करने के लिए उपबंध कर सकेगा ताकि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर 'वाणिज्यिक डिवीजन' के लिए न्यायाधीशों को नामनिर्दिष्ट कर सके।

अब हम वर्तमान में संविधान की सातवीं अनुसूची की सूचियों में सुसंगत प्रविष्टियों का निर्देश करेंगे:

**भारत का संविधान (31-1-1977 से प्रभावी संशोधनों के रूप में)**

**सूची-I**

(क) प्रविष्टि 77: उच्चतम न्यायालय का गठन, संगठन, अधिकारिता और शक्तियां (जिनके अन्तर्गत उस न्यायालय का अवमान है) और उसमें ली जाने वाली फीस, उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि-व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति।



(ख) प्रविष्टि 78: उच्च न्यायलय के अधिकारियों और सेवकों के बारे में उपबंधों को छोड़कर उच्च न्यायालयों का गठन, संगठन (जिसके अन्तर्गत दीर्घावकाश है), उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि-व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति।

(ग) प्रविष्टि 95: इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां, नावधिकरण विषयक अधिकारिता।

**सूची-II**

(क) प्रविष्टि 3: उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक, भारक और राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया; उच्चतम न्यायलय से भिन्न सभी न्यायालयों में ली जाने वाली फीस।

(ख) प्रविष्टि 65: उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां।

**सूची-III**

(क) प्रविष्टि 11क: न्याय प्रशासन; उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और संगठन।

(क) प्रविष्टि 13: सिविल प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारम्भ पर सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आते हैं, परिसीमा और माध्यस्थम।

(ग) प्रविष्टि 46: उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां।

प्रश्न यह है कि इस संबंध में संसद की विधायी शक्तियां क्या है? संविधान की उपर्युक्त प्रविष्टियों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जहां तक सूची-I और सूची-III के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों के मुकाबले में **संसद की विधायी शक्तियों** का संबंध है, स्थिति निम्नलिखित है:

(क) सूची-I की प्रविष्टि 78 के अधीन संसद उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों के बारे में उपबंधों को छोड़कर उच्च न्यायालय के गठन और संगठन (जिसके अन्तर्गत दीर्घावकाश है); उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्तियों के बारे में विधि बना सकती है, प्रविष्टि 95 के अधीन, संसद, सूची-I के किसी भी विषय के बारे में सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियों के बारे में विधि बना सकती है।

(ख) सूची-III की प्रविष्टि 11क के अधीन संसद 'न्याय प्रशासन' के संबंध में विधि बना सकती है। (यह बात नोट करनी होगी कि प्रविष्टि 11क के शब्द "उच्चतम और न्यायालयों से भिन्न" जो संघ तथा राज्य विधानमंडलों को सूची-III के अधीन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के गठन और संगठन के बारे में विधि बनाने से विवर्जित करने का प्रभाव रखते हैं संसद की शक्तियों को प्रभावित नहीं करते हैं क्योंकि उच्च न्यायालय के गठन और संगठन के बारे में विधि बनाने की शक्ति सूची-I की प्रविष्टि 78 के अधीन पहले से ही निहित है। इसलिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के बारे में विधि बनाने का निषेध केवल राज्य विधानमंडलों के लिए ही सीमित है)

इसके अतिरिक्त, प्रविष्टि 13 के अधीन संसद सिविल प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारम्भ पर सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आते हैं, परिसीमा और माध्यस्थम के बारे में विधि बना सकती है।

इसके अतिरिक्त, सूची-I की प्रविष्टि 95 और सूची-III की प्रविष्टि 46 के अधीन संसद सूची-I के विषयों में से तथा नावधिकरण अधिकारिता और सूची-III के बारे में उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियों के बारे में विधि बना सकती है। जहां तक इन प्रविष्टियों में उन शब्दों के अर्थ का संबंध है, अब विधि ठीक प्रकार से निर्धारित है जैसी कि नीचे विस्तार से उद्धृत की जा रही है।

इस प्रकार, जहां तक सूची-I और सूची-III के अधीन संसद की शक्तियों का संबंध है, यदि हम सूची-I की प्रविष्टि 78 और सूची-III की प्रविष्टि 11क और 13 को एक साथ मिला दें तो ये निम्नलिखित विषयों से

संबंधित हैं: उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के बारे में उपबंधों को छोड़कर उच्च न्यायालयों का गठन और संगठन (जिसके अन्तर्गत दीर्घावकाश); उच्च न्यायालय के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति; न्याय प्रशासन; सूची-I के किसी भी विषय के संबंध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियां तथा सूची-III के किसी भी विषय के बारे में नावधिकरण अधिकारिता (जिसके अन्तर्गत सूची-III की प्रविष्टि 13 सिविल प्रक्रिया संहिता भी है)।

सूची-I,सूची-II और सूची-III की इन प्रविष्टियों की व्याख्या करते समय भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित कतिपय प्रमुख मामलों का निर्देश करेंगे।

यहां ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा सूची-II की प्रविष्टि 3 से कतिपय शब्दों का लोप किया जाना और प्रविष्टि 11क में उनका जोडा जाना है। उपर्युक्त 42वें संशोधन से पूर्व (जो 3.1.1977 से प्रभावी हुआ) 'न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और संगठन' शब्द सूची-II की प्रविष्टि 3 के आरम्भिक भाग में अन्तर्विष्ट थे। बम्बई राज्य बनाम नरोत्तम दास (ए॰आई॰आर॰ 1951 सु को. 69) और **महिन्द्र ओ॰एन॰** बनाम **बार काउंसिल ऑफ** दिल्ली (ए॰आई॰आर॰ 1968 सु को. 888) मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात कि 'न्याय प्रशासन....... उच्च न्यायालयों को सूची-II की प्रविष्टि 3 से सूची-III में अन्त:स्थापित की जाने वाली नई प्रविष्टि 11क में स्थानांतरित कर दिए जाने चाहिए। अत: 3.1.1977 से पूर्व सूची-II की प्रविष्टि 3 में अन्तर्विष्ट 'न्याय प्रशासन, सभी न्यायालयों का गठन और संगठन' शब्दों की व्याख्या करने वाला उच्चतम न्यायालय का निर्णय 3.1.1977 को या इसके पश्चात सूची-III की प्रविष्टि 11क में स्थानांतरित किए गए इन्हीं शब्दों की व्याख्या के लिए भी समान रूप से लागू होना चाहिए।

वास्तव में, सर्वप्रथम ऐसे निर्णय भारत सरकार अधिनियम, 1935 की तत्स्थानी धाराओं के बारे में हैं। **बम्बई राज्य** बनाम नरोत्तम दास (ए॰आई॰आर॰ 1951 सु को॰ 69) मामला भारत सरकार अधिनियम, 1935 की तत्स्थानी प्रविष्टियों की व्याख्या से संबंधित था। संविधान न्यायपीठ को बम्बई विधानमंडल द्वारा पारित किए गए बम्बई सिविल न्यायालय अधिनियम, 1948 की वैधता पर विचार करना था। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची को सूची-I की तत्स्थानी प्रविष्टि 53, सूची-II की तत्स्थानी प्रविष्टि 13 और 2, सूची-III की तत्स्थानी प्रविष्टि 15 के बारे में विचार किया गया। पांच न्यायाधीशों ने बम्बई विधानमंडल द्वारा पारित विधान को वैध ठहराते हुए पृथक-पृथक सहमत निर्णय दिए। 1935 के अधिनियम की प्रविष्टियां निम्नलिखित है:

(क) सूची-I की प्रविष्टि 53: सूची के किसी भी विषय के बारे में संघीय न्यायालय को छोडकर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां......

(ख) (i) सूची-II की प्रविष्टि 1:......... **न्याय प्रशासन**, संघीय न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन

(ii) सूची-II की प्रविष्टि 2: **इस सूची के किसी भी विषय के बारे में** संघीय न्यायालय को छोडकर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां.........

(ग) सूची-III की प्रविष्टि 15: **इस सूची के किसी भी विषय के बारे में** संघीय न्यायालय को छोडकर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां.......

उपर्युक्त मामलें के तथ्य निम्नलिखित थे:

बम्बई अधिनियम, 1948 का प्रयोजन ग्रेटर बम्बई के लिए एक अतिरिक्त सिविल न्यायालय का गठन करना था जिसे, कतिपय अपवादों के अध्यधीन, एक निश्चित धनराशि से अनधिक राशि के सभी सिविल मामलों का विचारण करने, इन्हें ग्रहण करने और उनका समाधान करने की अधिकारिता प्राप्त हो। मामला वचन-पत्र पर आधारित वाद से संबंधित था और प्रश्न यह था कि क्या राज्य विधानमंडल द्वारा न्यायालयों की धन संबंध अधिकारिता 10,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये की जा सकती है।

प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि अधिनियम बम्बई राज्य विधानमंडल की शक्तियों के अधिकारातीत है क्योंकि यह केवल उन विषयों में ही अधिकारिता प्रदान नहीं करता है जिनमें सातवी अनुसूची की सूची-II के अधीन प्रांतीय विधानमंडल विधान बनाने के लिए सक्षम है अपितु उन विषयो के लिए भी जिनके लिए



केवल केन्द्र या संघ सरकार ही सूची-I के अधीन (उदाहरण के लिए, वचन-पत्र, जिसका उल्लेख सूची-I की प्रविष्टि 28 में किया गया है) विधि बनाने के लिए सक्षम है। मामले में तीन प्रश्न उत्पन्न हुए:

(1) क्या बम्बई अधिनियम राज्य विधानमंडल के अधिकारातीत है?

(2) क्या किसी भी स्थिति में अधिनियम की धारा 4 राज्य विधानमंडल के अधिकारातीत है?

(3) क्या वाद पर विचारण करने के लिए बम्बई उच्च न्यायालय की अधिकारिता है?

यह बात नोट की जा सकेगी कि अधिनियम की धारा 4 प्रांतीय विधानमंडल को नगर सिविल न्यायालय की अधिकारिता को 25,000 रुपये तक बढाने के लिए प्राधिकृत करती है। वर्तमान अधिकारिता 10,000 रुपये थी। राज्य विधानमंडल द्वारा बढ़ाई गई इस सीमा पर आपत्ति की गई कि यह विषय राज्य विधानमंडल की शक्तियों में नहीं आता है।

उच्च न्यायालय प्रश्न 1 और 3 को राज्य विधानमंडल के पक्ष में अभिनिर्धारित किया और प्रश्न 2 के बारे में यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 4 विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित है अत: शून्य होगी।

भारत सरकार अधिनियम की अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 1 में "........ न्याय प्रशासन, संघीय न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और संगठन"।

परन्तु प्रतिवादी का तर्क यह था कि राज्य विधानमंडल को सूची-I की प्रविष्टि 53 के बारे में कोई शक्तियां प्राप्त नहीं हैं जिसमें "इस सूची के किसी भी विषय के बारे में संघीय न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां" शब्दों का प्रयोग किया गया है। तर्क यह दिया गया कि वचन-पत्र सूची-I की प्रविष्टि 28 के अधीन आते हैं और इस प्रकार वचन-पत्रों के मामलें में संघीय विधानमंडल ही विधान बना सकता है।

उच्चतम न्यायालय में , न्यायमूर्ति फजल अली ने, जिनसे चार अन्य न्यायाधीशों ने सहमति व्यक्त की थी, यह अभिनिर्धारित किया था कि 1935 के अधिनियम की **सूची-II की प्रविष्टि 1** में प्रयुक्त शब्द "न्याय प्रशासन, और न्यायालयों का गठन और संगठन" राज्य विधानमंडलों की सिविल तथा दांडिक स्वरूप के वादों और कार्यवाहियों, पक्षकार या विषय चाहे जो भी हों, के विचारण के लिए विस्तृत और सामान्य विधायी शक्तियां प्रदान करते हैं (अब 3.1.1977 से ये शब्द सूची-III की प्रविष्टि 11क में स्थानांतरित कर दिए गए हैं) इन शक्तियों में न्यायालयों की अधिकारिता परिभाषित करने, उसे बढाने, संशोधित करने या कम करने और उनकी क्षेत्रीय तथा धन संबंधी अधिकारिता परिभाषित करने की शक्ति भी अवश्य ही सम्मिलित होनी चाहिए।

जहां तक प्रतिवादी के सूची-I की प्रविष्टि 53 पर निर्भर करने का संबंध है, न्यायमूर्ति फजल अली ने यह भी कहा कि सूची-I की प्रविष्टि 53 में अन्तर्विष्ट (या सूची-II की प्रविष्टि 2 और सूची-III की प्रविष्टि 15 में) शब्दों को इस सूची के किसी भी विषय के संबंध में सूची-II की प्रविष्टि 1 में पढने और यह तर्क देने की अनुज्ञा नहीं है कि सूची-II की प्रविष्टि 1 में 'न्याय प्रशासन' शब्दों के आधार पर, यदि सूची-I की प्रविष्टि 28 के अन्तर्गत आने वाले वचन-पत्रों से संबंधित हैं, केवल संसद ही विधि बना सकती है। यह अभिनिर्धारित किया गया हक इस प्रकार की व्याख्या ठीक नहीं है। प्रविष्टियां स्वतंत्र हैं। सूची-II की प्रविष्टि 1 विस्तृत है जैसाकि ऊपर बताया जा चुका है। सूची-I की प्रविष्टि 53 (या 2 सूची-II की प्रविष्टि 2 या सूची-III की प्रविष्टि 15) का प्रयोजन भिन्न है–इन सूचियों में अन्तर्विष्ट 'किसी भी विषय के बारे में' शब्द सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियों से संबंधित हैं जिसका अर्थ है कि शब्द इन सूचियों में अन्तर्विष्ट विषयों में से किसी भी विषय के बारे में न्यायालय की अधिकारिता को 'बढ़ाने या समाप्त करने' की अनुज्ञा देते हो। उदाहरण के लिए, सिविलि न्यायालयों के बारे में, धारा 9, जब तक कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निषिद्ध न किया जाए, सभी सिविल न्यायालयों को अधिकारिता प्रदान करती है। सूची-I की प्रविष्टि 53 के अधीन या सूची-II की प्रविष्टि 2 या सूची-III की प्रविष्टि 15 के अधीन इन सूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न विषयों के बारे में सिविल न्यायालयों को अतिरिक्त अधिकारिता प्रदान की जा सकती है या इसे निषिद्ध किया जा सकता है।

सूची-II की प्रविष्टि 1 में 'न्याय प्रशासन, सभी न्यायालयों का गठन और संगठन' शब्दों के अर्थ के बारे में न्यायमूर्ति फज़ल अली की टिप्पणियों का निर्देश करना आवश्यक है। विद्वत न्यायाधीश का विचार था—

"न्याय प्रशासन' नामक अभिव्यक्ति का विस्तृत अर्थ है और इसमें सिविल तथा दांडिक न्याय प्रशासन सम्मिलित हैं और मेरे विचार में सूची-II की प्रविष्टि 1, जो मैंने उद्धृत की है, पूर्ण और स्वत:पूर्ण

प्रविष्टि है। इस प्रविष्टि में न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियों का कोई निर्देश नहीं किया गया है क्योंकि 'न्याय प्रशासन और न्यायालयों का गठन और संगठन' शब्दों के लिए, जो इस प्रविष्टि में प्रयोग किए गए हैं, कोई विशेषक या सीमा नहीं दी गई है इसलिए इतने विस्तृत हैं कि इनके अन्तर्गत न्यायालय की शक्ति और अधिकारिता सम्मिलित की जा सकेगी कि न्याय का प्रशासन किस प्रकार किया जाए यदि न्यायालय के पास प्रशासित करने के लिए कोई शक्ति या अधिकारिता नहीं है और न्यायालय बिना किसी शक्ति या अधिकारिता के किस प्रकार कार्य कर सकते है। यदि तथ्य को समझ लिया जाए, तो यह निष्कर्ष सामने आता है कि सूची-II की प्रविष्टि 1 प्रयुक्त शब्दों के परिणामस्वरूप प्रांतीय विधानमंडल, उसके द्वारा गठित किए गए न्यायालय को प्रत्येक मामले के विचारण के लिए तथा सिविल या दांडिक अधिकारिता प्रदान करते हैं और यह कि 'न्याय प्रशासन' नामक अभिव्यक्ति में सिविल तथा दांडिक स्वरूप के वादों और कार्यवाहियों में , पक्षकार चाहे जो भी हों, उनकी अन्तर्वस्तु चाहे जो भी हो, विचारण की शक्ति अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।''

इस आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राज्य विधानमंडल, सूची-II की प्रविष्टि 1 के अधीन (न्याय प्रशासन, न्यायालयों का गठन और संगठन) धनीय सीमा बढाकर 25,000 रुपये कर सकते हैं- वचन-पत्रों के मामले में भी, यद्यपि वचन-पत्र सूची-II की 2 प्रविष्टि 1 के अन्तर्गत आते हैं।

''इस शक्ति (अर्थात्, न्याय प्रशासन) में न्यायालयों की अधिकारिता परिभाषित करने, उसका विस्तार, उसमें परिवर्तन, संशोधन करने तथा उसे कम करने की तथा क्षेत्रीय और धन संबंधी अधिकारिता परिभाषित करने की शक्ति अवश्य सम्मिलित होनी चाहिएं''

इस प्रकार न्यायमूर्ति फजल अली ने स्पष्ट किया कि सूची-I की प्रविष्टि 53, सूची-II की प्रविष्टि 2 और सूची-III की प्रविष्टि 15 का प्रयोजन सूची-I, सूची-II और सूची-III की किसी भी प्रविष्टि की अन्तर्वस्तु के संदर्भ में, न्यायालयों की अधिकारिता का विस्तार करने के लिए विशेष शक्ति का उपबंध करता है और यह कि इन प्रविष्टियों के शब्दों से सूची-II की प्रविष्टि 1 द्वारा 'न्याय प्रशासन, न्यायालयों का गठन और संगठन', अनुज्ञेय सामान्य अधिकारिता पर नियंत्रण रखने का अर्थ नहीं निकाला जा सकता।

**ओ॰ एन॰ मोहिन्द्रू बनाम बार कांउसिल दिल्ली:** ए॰आई॰आर॰ 1968 सुको 888, मामले में उच्चतम न्यायालय ने सूची-I की प्रविष्टि 77 और 78 में 'न्यायालयों का गठन और संगठन' शब्दों की व्याख्या के लिए उपर्युक्त व्यवस्था का अनुसरण किया। प्रासंगिक रूप में, सूची-II की प्रविष्टि 3, जिसमें '**न्याय प्रशासन; उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और संगठन**' शब्दों का प्रयोग हुआ है- उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी, भारक और राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालयों में ली जाने वाली फीस की व्यवस्था की गई।

**इन्दु भूषण** बनाम **पश्चिम बंगाल राज्य:** ए॰आई॰आर॰ 1783, मामले में कलकत्ता के सिटी सिविल न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता संशोधन द्वारा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई और तत्पश्चात 1 लाख रुपये कर दी गई। उच्चतम न्यायालय ने सूची-I की प्रविष्टि 77 और 78, सूची-II की प्रविष्टि 3, सूची-III की प्रविष्टि 65 और सूची-I की प्रविष्टि 46 का निर्देश किया। उन्होंने **बम्बई राज्य बनाम नरोत्तम दास:** ए॰आई॰आर॰ 1951 सुको 69, मामले का निर्देश किया और अभिनिर्धारित किया कि सूची-II की प्रविष्टि 3 के कारण, जिसमें 'न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और संगठन' शब्दों का प्रयोग हुआ है, विधान पश्चिम बंगाल विधानमंडल के अधिकारातीत है।

**तमिलनाडू** राज्य बनाम **जी॰एन॰ वेंकटस्वामी:** ए॰आई॰आर॰ 1995 सुको 21, मामले में तमिलनाडू राजस्व वसूली अधिनियम में 1972 के संशोधन पर विचार किया गया। इस मामले में 1974 के संशोधन पर भी विचार किया गया। यद्यपि, निर्णय में प्रासांगिक रूप से सूची-III की प्रविष्टि 11क का निर्देश किया गया था, यह मामला संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 के अधीन आता था जिसके अन्तर्गत सूची-II की प्रविष्टि 11क अन्त:स्थापित की गई थी। 1972 और 1974 के संशोधनकारी अधिनियम सूची-I और सूची-II उसकी प्रविष्टियों द्वारा 1976 से पूर्व उनकी जो स्थिति थी, शासित होते थे। इस मामले में भी बम्बई राज्य बनाम नरोत्तम दास: ए॰आई॰आर॰ 1951 सु॰को॰ 69 में दिए गए पूर्ववर्ती निर्णय का अनुसरण किया। तथापि, प्रविष्टि 11क को संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 सूची-II की प्रविष्टि 3 और 1935 के अधिनियम की सूची-II की प्रविष्टि 1 के समान ही विस्तृत बताया गया।



संविधान (3.1.1977 तक) सूची-II की प्रविष्टि 3 में और 3.1.1977 से सूची-II की प्रविष्टि 11क में 'न्याय प्रशासन' शब्दों की व्याख्या इन शब्दों की उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सूची-II की प्रविष्टि 1 के संदर्भ में दी गई उपर्युक्त व्याख्या पर आधारित होगी।

संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत आया महत्वपूर्ण परिवर्तन, जो 3.1.1977 से प्रभावी हुआ, यह था कि, जैसाकि ऊपर बताया गया है, सूची-II की प्रविष्टि 3 से ''न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और संगठन'' शब्द निकाल दिए गए और इन्हें सूची-II की प्रविष्टि 11क में स्थानांतरित कर दिया गया।

संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 (1.3.1977 से प्रभावी) के परिवर्तन का प्रभाव यह है कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 3 के सामान्य शब्द 'न्याय प्रशासन', जो सूची-I, सूची-II और सूची-III की सभी मदों की अन्तर्वस्तुओं और क्षेत्रीय तथा धन संबंधी अधिकारिता के बारे में न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार करने से संबंधित है समवर्ती सूची 3 में प्रविष्टि 11क अन्त:स्थापित करके इस सूची को स्थानांतरित कर दिए गए, तथा अधिकारिता यथावत है और यह सूची-I, सूची-II और सूची-III के मामलों के संबंध में निर्बंधनों या परिवर्धनों के अध्यधीन रहेगी (अलग-अलग सूचियों की प्रविष्टियों में किसी भी विषय के संबंध में न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियों से संबंधित हैं, सूची-I की प्रविष्टि 95, सूची-II की प्रविष्टि 65 और सूची-III की प्रविष्टि 46) (सूची-III की प्रविष्टि 11क का अन्तिम भाग जो न्यायालय के गठन और संगठन का सूची से अपवर्जन करता है, नि:संदेह सूची-III के कारण से संसद और राज्य विधानमंडलों को उस विषय पर विधि बनाने से रोकता है परन्तु, जैसाकि पहले बताया जा चुका है, जहां तक संसद का संबंध है, उच्च न्यायालयों के गठन और संगठन के बारे में विधि बनाने की शक्ति सूची-I की प्रविष्टि 78 के द्वारा उसमें पहले से ही निहित है)। जैसाकि ऊपर बताया गया है कि सूची-I की प्रविष्टि 78 और सूची-III की प्रविष्टि 11 को एक साथ मिलाकर संसद 3.1.1977 से—

''न्याय प्रशासन और उच्च न्यायालय के गठन और संगठन'' के बारे में विधि बना सकती है।

यह स्थिति भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अधीन सूची-III की प्रविष्टि 1 के समान है जिसकी व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा बम्बई राज्य बनाम नरोत्तम दास : ए॰आई॰आर॰ 1951 सुको 69 मामले में की गई थी जिसमें संसद को विषय के बारे में (सूची-I, सूची-II और सूची-III के विषयों के बारे में) तथा क्षेत्रीय और धन संबंधी अधिकारिता के बारे में विस्तृत शक्तियां प्रदान की गईं। यह विस्तृत शक्ति और अधिकारिता सूची-III की प्रविष्टि 11क के अधीन अब संसद में (राज्य विधानमंडल में) निहित हैं। उक्त विधानमंडल सूची-I, सूची-II और सूची-III की प्रत्येक प्रविष्टि के बारे में (उदाहरण के लिए संसद द्वारा) सूची-I के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा वचन-पत्र अपनी-अपनी विशिष्ट शक्तियों के अधीन इसे बढ़ा सके हैं, कम कर सकते हैं या इसे निषिद्ध कर सकते हैं।

इस प्रकार, सूची-II की प्रविष्टि 11क में शब्दों के विस्तार की दृष्टि से, सूची-I की प्रविष्टि 78, जो उच्च न्यायालयों के गठन और संगठन के बारे में है, के साथ पठित ''न्याय प्रशासन'', 1 करोड़ रुपये की धनीय सीमा से अधिक के वाणिज्यिक मामलों के लिए संसद द्वारा उच्च न्यायालय में एक पृथक डिवीजन का विनिर्देश किया जा सकता है और मूल त्वरित प्रक्रिया आरम्भ की जा सकती है। इसके साथ-साथ, जहां तक उच्च न्यायालय में एकल न्यायाधीश या खंड न्यायपीठ के समक्ष लंबित अपीलों का संबंध है, संसद द्वारा यह व्यवस्था की जा सकती है कि इन अपीलों का समाधान भी त्वरित प्रक्रिया द्वारा वाणिज्यिक न्यायपीठ द्वारा किया जा सकता है। यह कार्य करने के लिए उच्च न्यायालयों के नियमों या पूर्ण न्यायपीठ के संकल्प की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 225 में ''समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए'' शब्दों का प्रयोग किया गया है, यह कार्य संसद द्वारा किया जा सकता है। इसी प्रकार, इस न्यायपीठ के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति का विनिर्देश भी संसद द्वारा विधि बनाकर किया जा सकता है।

हमारे विचार में, एक से अधिक दृष्टिकोणों से देखने पर भी इस विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि उच्च न्यायालय में एक 'पृथक वाणिज्यिक डिवीजन' गठित करने के लिए तथा लंबित और नए मामलों के लिए मूलत: एक करोड़ रुपये या इससे अधिक धनीय सीमा निर्धारित करने और त्वरित प्रक्रिया अपनाने के लिए तथा इस पृथक डिवीजन को उच्च न्यायालय में 1 करोड़ रुपये की राशि की (या इससे अधिक राशि की, जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाए) धनीय अधिकारिता वाली, लंबित अपीलों की सुनवाई के लिए प्राधिकृत करने

और इस डिवीजन में समय-समय पर न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सक्षम बनाने के लिए, संसद संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III की प्रविष्टि 11क के साथ पठित सूची-I की प्रविष्टि 78 के अधीन विधि बना सकती है। यह प्रस्ताव भी किया जाता है कि इन न्यायाधीशों में वे न्यायाधीश भी हो सकेंगे जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 224क के अधीन नियुक्त किए गए थे, अर्थात्, वे उच्च न्यायालय के वे न्यायाधीश जो उस उच्च न्यायालय से या किसी अन्य उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए हैं। यदि ऐसे न्यायाधीश हैं, जो उन्हें उसे उच्च न्यायालय में या किसी अन्य उच्च न्यायालय में नियुक्त किया जा सकेगा और वाणिज्यिक न्यायपीठ के लिए नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा। उपबंधित किए जाने वाले अन्य विषयों के बारे में पिछले अध्यायों में निर्देश किया जा चुका है और वाणिज्यिक न्यायपीठ के वास्तविक गठन, अधिकारिता और शक्तियों के बारे में अध्याय-नौ में चर्चा की जाएगी।

## अध्याय-छह

# ब्रिटेन और अमरीका में वाणिज्यिक डिवीजनों के लिए त्वरित प्रक्रिया

यह प्रस्ताव किया गया है कि हम उच्च न्यायालयों के प्रस्तावित वाणिज्यिक न्यायपीठों में वाणिज्यिक मामलों के लिए त्वरित प्रक्रिया अपनाए। माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधनों के बारे में विधि आयोग ने अपनी 176वीं रिपोर्ट में भारत में माध्यस्थम के लिए त्वरित प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव किया है जहां पक्षकार ऐसी प्रक्रिया अपनाए जाने के पक्ष में है, हम उस मॉडल को एक करोड़ या इससे अधिक धनराशि के वाणिज्यिक मामलों में 'त्वरित प्रक्रिया' विहित करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करेंगे।

इस अध्याय को अगले अध्याय के साथ अर्थात् अध्याय-सात के साथ पढ़ना होगा जो ऑन लाइन फाइलिंग, वीडियो कांफ्रेंसिंग जैसी उच्च प्रौद्योगिकीय सुविधाओं के बारे में है।

विशेष प्रक्रिया निर्धारित करने से पूर्व, हम ब्रिटेन और अमरीका की विशेष प्रक्रियाओं का निर्देश करेंगे।

ब्रिटेन : वाणिज्यिक न्यायालय मार्गनिर्देश से अनुपूरित सिविल प्रक्रिया नियम (यू०के०) वाणिज्यिक न्यायालयों में प्रक्रिया से संबंधित है।

विगत काल में, इंग्लैण्ड में वाणिज्यिक न्यायालय में विधिक कार्य संचालन में विधिक कार्य संचालन थ्योबाल्ड मैथ्यू के वाणिज्यिक न्यायालय विधिक कार्य संचालन से मार्गनिर्देशित था। (देखें, स्क्रटन द्वारा लिखित 'दी वर्क ऑफ कामर्शियल कोर्टस्' (1923) 1 कैम्ब्रिज लॉ जरनल 6)। इसमें विधिक कार्य संचालन के बारे में बहुत से निर्देश दिए गए हैं। सरकारी 'कामर्शियल कोर्टस् गाइड' (पांचवां संस्करण) 1999 में प्रकाशित हुई थी और अब हमें एडमिरेलिटी एण्ड कामर्शियल कोर्ट गाइड (छठा संस्करण) (फरवरी, 2002) भी उपलब्ध है। जैसाकि प्रस्तावना में कहा गया है, गाइड का यह संस्करण क्रमशः वाणिज्य तथा नावधिकरण कार्यवाहियों तथा माध्यथम से संबंधित कार्यवाहियों के बारे में सिविल प्रक्रिया नियमों के भाग 58, 61 और 62 की पुरःस्थापना के साथ-साथ प्रकाशित किया गया। अधिकांश उपबंध जो भाग 49 के अधीन बनाए गए कार्य संचालन निदेश और वाणिज्यिक न्यायालय मार्गनिर्देशों के 5वें संस्करण में अन्तर्विष्ट हैं अब इन नए नियमों में और सहयुक्त कार्य संचालन निदेशों में उपलब्ध हैं, यद्यपि, मार्गनिर्देशों में बहुत से ऐसे अतिरिक्त उपबंध अभी भी अन्तर्विष्ट हैं जो नावधिकरण और वाणिज्यिक न्यायालयों में प्रभावी कार्य संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

'गाइड' लार्ड चीफ जस्टिस की स्वीकृति से प्रकाशित की जाती है।

गाइड एक ऐसा ब्ल्यू प्रिंट नहीं है जो सभी वादों के लिए लागू होता है। जैसाकि विगत में था, यह एक ऐसा आधुनिक और लचीली संरचना उपलब्ध कराती है जिसके अन्तर्गत मुकदमों की कार्यवाही प्रभावी रूप में और न्याय के हित में संचालित की जा सकती हैं। इस गाइड को सिविल प्रक्रिया नियमों को कार्य संचालन निदेशों के साथ पढ़ना होगा।

सिविल प्रक्रिया नियम, 1999 (ब्रिटेन) अप्रैल, 1999 में प्रभावी हुए और उनका उद्देश्य सिविल न्याय प्रक्रिया में सुधार करना और न्यायालय की कार्याहियों का अवलम्ब लिए बिना ही कतिपय वादों को विवाद्यक-पूर्व चरण के लिए नए प्रोटोकाल पुरःस्थापित करके अधिकतम संभव मामलों का समाधान करना था। सिविल प्रक्रिया नियम, 1998, उच्चतम न्यायालय नियम, 1965 और काउंटी न्यायालय नियम, 1981 के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए हैं।

वाणिज्यिक न्यायालयों की कार्याहियां सिविल प्रक्रिया नियम, 1998 और कार्य संचालन निदेशों, भाग 58 द्वारा शासित होती हैं और सहयुक्त कार्य संचालन निदेशों से प्रक्रिया शासित होती है।

**सिविल प्रक्रिया नियम (यू०के०), भाग 58, वाणिज्यिक न्यायालय**

सिविल प्रक्रिया नियमों का भाग 58 'वाणिज्यिक न्यायालयों' के बारे में है और कतिपय नियमों, जहां तक वाणिज्यिक दावों का संबंध है, 1998 के सिविल प्रक्रिया नियमों में उपांतरण करता है।

नियम 58.1 इस भाग के क्षेत्र का निर्देश करता है और उसकी व्याख्या करता है। नियम 58(1) के खंड (2) में 'वाणिज्यिक दावों" को व्यापारित तथा वाणिज्यिक संव्यवहारों से उत्पन्न किसी दावे के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें निम्नलिखित से संबंधित किसी भी दावे को सम्मिलित किया गया है-

(क) कारबारी दस्तावेज या संविदा

(ख) वस्तुओं का निर्यात या आयात

(ग) सड़क, पोत, विमान या पाइपलाइन से माल की ढुलाई

(घ) तेल तथा गैस निक्षेपों या अन्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन

(ङ) बीमा तथा पुनर्बीमा

(च) बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाएं

(छ) बाजारों तथा एक्सचेंजों का संचालन

(ज) वस्तुओं का क्रय-विक्रय

(झ) पोत निर्माण

(ञ) कारबार एजेंसी और

(ट) माध्यस्थम।

नियम 58.2, "विशेषज्ञ सूची", जो वाणिज्यिक न्यायालय में कार्यवाही का दावा करने के लिए एक विशेषज्ञ सूची है, का निर्देश करता है। उसका खंड (2) कहता है कि वाणिज्यिक न्यायालय के न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश वाणिज्यिक सूची का प्रभारी होगा।

नियम 58.3 बताता है कि नियम और व्यवसाय निदेश वाणिज्यिक सूची में दावों को लागू होती है जब तक कि यह भाग 58 या कोई व्यवसाय निदेश अन्यथा उपबंध नहीं करता है।

नियम 30.5 (3) के साथ पठित नियम 58.4 यह उपबंध करता है कि विशेषज्ञ सूची को या विशेषज्ञ सूची से कार्यवाहियों के अंतरण के लिए कोई आवेदन वाणिज्यिक सूची में दावों का निपटान करने वाले न्यायाधीश को किया जाना चाहिए और यह कि वाणिज्यिक न्यायालय का न्यायाधीश दावे को किसी अन्य विशेषज्ञ सूची को अन्तरित किए जाने का आदेश कर सकेगा।

नियम 58.5, दावा फार्म (पूर्व-मुकदमा प्रक्रम) और दावे की विशिष्टियों की तामील के लिए दावा फार्म की तामील के 28 दिन के भीतर करने का निर्देश करता है। वास्तव में, नियम 58.5(1)(क) प्रतिवादी का दावा फार्म प्राप्ति पर, यदि यह दावे के प्रतिवाद का आशय रखता है, सूचना देने की अपेक्षा करता है।

नियम 58.6 दावा फार्म की तामील के विशिष्ट दिनों की संख्या के भीतर 'तामील की अभिस्वीकृति' का निर्देश करता है।

अधिकारिता के बाहर (स्थानीय) या विदेश में तामील के लिए विशेष प्रक्रिया विहित की जाती है।

नियम 58.7, न्यायालयों की अधिकारिता में विवाद होने का निर्देश करता है। यह कहता है कि नियम 11(1) के अधीन वादी द्वारा कोई आवेदन अभिस्वीकृति की तमील फाइल करने के पश्यचात् 28 दिन के भीतर फाइल किया जाना चाहिए और प्रतिवादी न्यायालयों की अधिकारिता का विरोध करने का आशय प्रदर्शित करते हुए अभिस्वीकृति की तामील फाइल करता है तो दावेदार को आवेदन की सुनवाई से पहले दावे की विशिष्टियां तामील करने की आवश्यकता है।

नियम 58.8, 'व्यतिक्रम निर्णय' का निर्देश करता है यदि प्रतिवादी अभिस्वीकृति की तामील फाइल करने में असफल रहता है और भाग 12 के अनुसार उसे व्यतिक्रम निर्णय के लिए आवेदन करने या प्राप्त करने से पूर्व दावेदार को दावे की विशिष्टियां तामील करने की आवश्यकता नहीं है और नियम 12.6(1) इस उपांतरण के साथ कि पैरा (क), यदि 'दावे की विशिष्टियों' के स्थान पर 'दावा फार्म' को निर्देशित के रूप में पढ़ा जाएगा, लागू होता है।



नियम 58.9, 'स्वीकृति' के बारे में है। यह कहता है कि नियम 14.5 लागू नहीं होता है और यह कि यदि दावेदार धन की किसी विनिर्दिष्ट रकम के लिए दावे के किसी भाग को स्वीकार करता है तो दावेदार नियम 14.3 के अधीन स्वीकृति पर निर्णय के लिए आवेदन कर सकेगा। नियम 14.14 (1) इस उपांतरण के साथ कि पैरा (क), यदि यह 'दावे की विशिष्टियों' के स्थान पर 'दावा फार्म' को निर्देशित के रूप में पढ़ा जाएगा, लागू होता है।

नियम 58.10 'प्रतिरक्षा और उत्तर देना' का निर्देश करता है और नियम 15 का निर्देश करता है जो दावे की विशिष्टियों की तामील के 14 दिन के भीतर प्रतिरक्षा फाइल किए जाने की अपेक्षा करता है। नियम 58.10 यह अपेक्षा करता है कि दावेदार को प्रतिरक्षा के लिए कोई उत्तर फाइल करना चाहिए और प्रतिरक्षा की तामील के पश्चात् 21 दिन के भीतर सभी अन्य पक्षकरों को अलग-अलग उत्तर फाइल करने चाहिए।

नियम 58.11 न्यायालय को मामले के कथन फाइल करने या तामील किए के बिना वाणिज्यिक सूची में दावे को जारी रखने की अनुज्ञा देता है।

नियम 58.12 बताता है कि भाग 8 (दावों के लिए वैकल्पिक प्रक्रिया) वाणिज्यिक सूची में दावों को, इस उपांतरण के साथ कि भाग 8 दावे का प्रतिवादी जो लिखित साक्ष्य पर विश्वास करने की इच्छा करता है, उसे किसी अभिस्वीकृति की तामील फाइल करने के पश्चात् 28 दिन के भीतर फाइल और तामील करना चाहिए, लागू होती है।

वाणिज्यिक न्यायालय में "मामला प्रबंध" का नियम 58.13 से संबंध है। नियम 58.13 का उपखंड (1) बताता है कि वाणिज्यिक सूची में सभी कार्यवाहियां बहु-पथ को आबंटित की हुई मानी जाती है और भाग 26 (मामला प्रबंध) लागू नहीं होता है। (बहु-पथ भाग 29 के अन्तर्गत आता है)।

नियम 58.13 का उपबंध (2) कहता है कि भाग 29 में केवल नियम 29.3(2) (विधिक प्रतिनिधि का मामला प्रबंधन कांफ्रेन्स और पूर्व-विचारण पुनर्विलोकन में हाजिर होना) और नियम 29.5 (मामला प्रबंध समय-सारणी का फेरबदल) नियम 29.5 (1)(ग) के अपवाद के साथ, लागू होता है।

नियम 58.13 का उपखंड (3) कहता है कि न्यायालय, यथासाध्य शीघ्रता से, मामला प्रबंध कांफ्रेन्स आयोजित करेगा जो व्यवसाय निदेश के अनुसार नियत होना चाहिए।

नियम 58.13 का उपखंड (4) बताता है कि मामला प्रबंध कांफ्रेन्स में या किसी सुनवाई में, जिसमें पक्षकार प्रतिनिधित्व करते हैं, न्यायालय मामले के प्रबंध के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जैसा वह उचित समझता है।

नियम 58.14 पत्रों का निर्देश करता हैं। नियम 58.15, 'निर्णयों और आदेशों' का निर्देश करता है।

**कामर्शियल कोर्ट्स गाइड, 2002 (यू०के०)**

गाइड में क से त तक धाराएं और 1 से 16 तक परिशिष्ट अन्तर्विष्ट हैं। धारा क प्रारम्भिक है।

धारा ख प्रारंभ, अन्तरण और हटाया जाने के बारे में है; धारा ग, दावे की विशिष्टियां, प्रतिरक्षा और उत्तर देने का; धारा घ वाणिज्यिक न्यायालय में मामला प्रबंधन; धारा ङ प्रकटीकरण; धारा च, आवेदन के; धारा छ वैकल्पिक विवाद समाधान (ए०डी०आर०); धारा ज विचारण के लिए साक्ष्य; धारा ञ विचारण; धारा ट विचारण के पश्चात्; धारा ठ बहु-पक्षीय विवाद; धारा ड 'स्वयं मुकदबेबाज'; धारा ढ नावाधिकरण; धारा ण माध्यस्थम और धारा त प्रकीर्ण के बारे में हैं।

धारा घ महत्वपूर्ण है चूंकि यह मामला प्रबंधन के बारे में है। पक्षकारों के विभिन्न कदम उठाने के लिए पूर्व-विचारण तारीखें वाणिज्यिक पक्ष के एक न्यायाधीश द्वारा सुनी जाती है। धारा घ वाणिज्यिक न्यायालय में मामला प्रबंध की विशिष्टता के दस मूल-भाव विहित करती है और धारा घ 4.2 बताती है कि आन्तरिक संदाय के लिए आवेदनों को छोड़कर मामले में सभी आवेदनों पर सुनवाई होगी और विचारण स्वयं नामनिर्दिष्ट न्यायाधीशों में से एक या अन्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी।

खंड घ 5 बताता है कि इसलिए न्यायाधीश मामला प्रबंध कांफ्रेन्स का संचालन कर रहा है कि मामले की साधारण प्रकृति की सूचना दे सके और उन विवाद्यकों जिनके उठाने की आशा है, प्रतिरक्षा की तामील और

सालिसिटर द्वारा उत्तर (यदि कोई हो) देने के पश्चात् प्रत्येक पक्षकार के लिए परामर्शी एक सम्मत मामला ज्ञापन का प्रारूप बनाएगा जिसमें (i) मामला किसके बारे में है का एक संक्षित और अविवादग्रस्त परिवर्णन; और (ii) मामले की बहुत संक्षेप और अविवादग्रस्त सार की तात्विक पूर्ववर्ती इतिवत्ति अन्तर्विष्ट होनी चाहिए। ज्ञापन केवल न्यायाधीश की मामले में विवाद्यक को मोटे तौर पर समझने में मदद करता है।

खंड ध 6 के अधीन पक्षकार विवाद्यकों की एक सम्मत सूची प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। खंड घ 7 के अधीन बिना कोई सूची बनाए दस्तावेजों को प्रकट करने के लिए पक्षकारों द्वारा लिखित में किया गया कोई करार या लिखित में ऐसा कोई करार कि प्रकीकरण (या निरीक्षण या दोनों) चरणों में होगा सहित विभिन्न दस्तावेजों का मामला प्रबंध बंडल तैयार किया जाना है।

खंड घ 8, मामला प्रबंध कांफ्रेन्स और उस प्रयोजन के लिए आवेदन के बारे में है। खंड 8.7 के अधीन मामला प्रबंध कांफ्रेन्स में न्यायाधीश-

(i) मामले में अधिवक्ताओं के साथ मामले में विवाद्यकों और मामले की अपेक्षाओं पर चर्चा करेगा;

(ii) संपूर्ण पूर्व-विचारण समय-सारणी नियत करेगा, या, यदि वह व्यवहार्य नहीं है तो विचार की उतनी समय-सारणी नियत करेगा जितना संभव हो; और

(iii) समुचित मामलों में कोई एडीआर आदेश देगा।

खंड घ 8.9 बताता है कि नियम 3.1(2) और नियम 58.13(4), जो कार्यवाहियों को रोकने में समर्थ बनाता है, जब पक्षकार वैकल्पिक उपायों द्वारा मामले को निपटाने की कोशिश करते हैं, लागू होता है। समुचित मामलों में पूर्व-विचारण स्तर पर कार्यवाही को रोके बिना ही एडीआर आदेश किया जा सकता है।

खंड घ 8.9 बताता है कि पूर्व-विचारण समय-सारणी में सामान्यत: (i) तारीख को मानिटर करने वाली कोई प्रगति; और (ii) कोई निदेश कि विचारण को नियत तारीख प्राप्त करने के लिए पक्षकार वाणिज्यिक न्यायालय के लिपिक से मिलेंगे, सम्मिलित होगा।

खंड घ 8.10 के अधीन पक्षकार सहमति द्वारा विचारण के लिए नियत की गई तारीख से भिन्न, इन तारीखों को अपनी सुविधा के अनुरूप परिवर्तित कर सकते हैं।

खंड घ 10.10 के अधीन मामला प्रबंध कांफ्रेन्स, प्रतिवादी के साक्ष्य फाइल करने और तामील करने के पश्चात् सामान्यत: 6 हफ्ते के भीतर होना चाहिए।

खंड घ 11 के अधीन यह कहा जाता है कि न्यायालय मामले के प्रबंध में विचार के लिए इसकी संपूर्ण प्रगति पर सक्रिय भूमिका जारी रखेगा।

खंड घ 12 ''प्रगति मानीटर करने'' का निर्देश करता है जिसके लिए मामला प्रबंध कांफ्रेन्स में कोई तारीख नियत की जाएगी।

खंड घ 16 के अधीन अधिकतर मामलों को मामला प्रबंध कांफ्रेन्स में नियत किए गए पूर्व-विचारण समय-सारणी के तुरन्त पश्चात् नियत विचारण तारीखें दी जाएंगी।

खंड घ 17 बताता है कि मामला प्रबंध कांफ्रेन्स में विचारण की न्यूनतम और अधिकतम समयावधि का समाकलन किया जाएगा। समाकलन पूर्व-विचारण समय-सारणी में दर्शाया जाएगा और उस आधार पर होगा जिस पर विचारण के लिए कोई तारीख नियत की जाएगी। खंड घ 17.2 पुनरीक्षण का, यदि अधिवक्ता परिवर्तन करते हैं, उपबंध करती है परन्तु खंड घ 17.3 उन अधिवक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित जो विचारण के समय उपसंजात है, विचारण की न्यूनतम और अधिकतम समयावधि का पुष्ट किया हुआ समाकलन पूर्व-विचारण वाद सूची के साथ संलग्न करने की अपेक्षा करता है।

खंड घ 18.4 के अधीन पक्षकारों को, मौखिक निवेदनों, तथ्य के साक्षियों और विशेषज्ञ का साक्ष्य का उपबंध करते हुए विचारण के लिए किसी समय-सारणी पर सहमत होने का प्रयत्न करना चाहिए। दावेदार को इन निमित्त एक समय-सारणी का प्ररूप फाइल करना है।



मार्गदर्शन की धारा छ, जो एडीआर भी महत्वपूर्ण है के बारे में है, एडीआर मध्यकता या सुलह को परिरुद्ध नहीं करता है। खंड छ 1.2 बताता है कि एडीआर-

(i) खर्चों को कम करने में पक्षकारों की महत्वपूर्ण रूप से सहायता करता है;

(ii) पक्षकारों को विवाद में अन्तिमता तक पहुंचने में मुकदमे के विलम्ब से मुक्ति दिलाता है;

(iii) अपनी विद्यमान वाणिज्यिक नातेदारी और बाजार ख्याति को परिरक्षण करते समय पक्षकारों को अपने विवादों का निपटारा करने में समर्थ बनाता है;

(iv) मुकदमे द्वारा प्रस्थापित समाधान रैंज की अपेक्षा पक्षकारों को समाधान की विस्तृत रैंज का उपबंध करता है; और

(v) न्यायिक संसाधनों के अधिक कार्यकुशल उपयोग के लिए सारवान योगदान देने की संभावना है।

खंड छ 1.3 के अनुसार वाणिज्यिक न्यायाधीश समुचित मामले में, यदि उस विवाद या इसमें विशेष विवाद्यकों का एडीआर द्वारा समाधान किया जा सके, विचार करने के लिए पक्षकारों को बुलाएगा। इस पर मामला प्रबंध कांफ्रेन्स में विचार किया जाएगा। खंड छ 1. के अधीन न्यायाधीश समुचित आदेश कर सकेगा।

खंड छ 2.1 के अधीन न्यायालय किसी विवाद या विशेष विवाद्यक का बिना पूर्वग्रह के, अबाध्यकारी, शीघ्र तटस्थ मूल्यांकन का उपबंध करेगा।

खंड छ 2.4 के अधीन प्रभारी न्यायाधीश ऐसे मूल्यांकन का संचालन करने के लिए किसी न्यायाधीश को मनोनित करेगा परन्तु वह न्यायाधीश जिसे इस प्रकार मनोनित किया जाता है जब तक अन्यथा पक्षकार सहमत नहीं हो जाते हैं, आवेदनों की सुनवाई के प्रयोजन के लिए या विचारण में न्यायाधीश के रूप में मामले में और भाग नहीं लेगा।

धारा ज, 'विचारण में साक्ष्य' से संबंधित है। धारा ज 1.1 विहित फार्म में ''साक्षियों के कथन'' फाइल किए जाने का व्यवहार करता है। यह वास्तविक और साक्षी के अपने शब्दों में होना चाहिए, दस्तावेजों से लम्बा उद्धरण अन्तर्विष्ट नहीं होना चाहिए, तर्कसंगत नहीं होना चाहिए और यह प्रदर्श करना चाहिए कि कथन का कौन सा भाग उसने अपने ज्ञान से किया है और साधन का ब्यौरा देते हुए कौन सा भाग अन्य साधनों से किया है। इसमें साक्षी द्वारा किया गया कोई कथन अन्तर्विष्ट होना चाहिए कि वह विश्वास करता है कि इसमें बताई गई बात सत्य हैं; न्यायालय की अवमानना के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाहियां की जा सकेंगी यदि वह इसके सत्य में निष्कपट विश्वास किए बिना साक्ष के कथन में मिथ्या कथन करता है, या करवाता है (सिविल प्रक्रिया नियम 32.14(1) देंखे)।

खंड ज 1.2 बताता है कि साक्षी पर उसकी अपनी मामले के विवरण से भिन्न कुछ भी लेने के लिए किसी प्रकार का दबाव बनाना अनुचित है। साक्षी का ऐसे कथन की तामील करना भी अनुचित है जो मिथ्या जाना जाता है या जो यह जाना जाता है कि कथन करने वाला, सभी प्रकार से, वस्तुत: सत्य होने का विश्वास नहीं करता है।

खंड ज 1.5 के अधीन जब तक न्यायालय अन्यथा आदेश नहीं करता साक्षी का कथन मुख्य परीक्षण माना जाता है।

यह यह भी कहता है कि विचारण न्यायाधीश किसी समुचित मामले में निदेश दे सकेगा कि किसी साक्षी की मुख्य साक्ष्य का पूर्ण या कोई भाग मौखिक रूप में दिया जाना है।

खंड ज 1.6(क) के अधीन कोई साक्षी जिसने लिखित कथन किया है, उसके प्रवर्धन के लिए मौखिक साक्ष्य दे सकता है या न्यायालय की अनुज्ञा के अध्यधीन नए मामलों के संबंध में साक्ष्य दे सकता है। न्यायालय की अनुज्ञा के अध्यधीन साक्षी के किसी लिखित कथन को अनुपूरक कथन के द्वारा शुद्ध किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

खंड ज 3 के अधीन न्यायलय की अनुज्ञा से वीडियो संपर्क द्वारा साक्ष्य अनुज्ञात किया जाता है। अनुज्ञा देते समय, न्यायालय, विशेषरूप से साक्ष्य देते समय प्रत्यक्षत: साक्षी का संप्रेक्षण करने में असमर्थता के विरुद्ध किसी लागत की सम्भाव्य बचत का संतुलन करने के लिए संबद्ध होगा।

खंड ज 4 के अधीन जैसे अनुरोध-पत्र जारी करने के द्वारा विदेश में लिया गया साक्ष्य न्यायालय की अनुज्ञा से लिया जा सकेगा।

धारा झ, 'विचारण' का व्यवहार करती है और निर्णय तक ले जाने के लिए दस्तावेज, कंकाली तक, निर्णय-विधि, मौखिक तर्क इत्यादि फाइल करने की रीति के लिए उपबंध करती है।

धारा ञ 2 निम्नलिखित स्टाम्प सहित परामर्श दिया जाने वाला प्ररूप निर्णय के लिए उपबंध करती है:

''अनअनुमोदित निर्णय प्रतिलिपि बनाने या न्यायालय में उपयोग की अनुज्ञा नहीं दी जाती है''

और लाल स्याही में होगा:

''परामर्शी और सालिसिटर के लिए गोपनीय, परन्तु सार निर्णय देने के एक घंटे से अनधिक पूर्व मुवक्किलों को संसूचित किया जा सकेगा।''

प्ररूप निर्णय परामर्शी को एक दिन पहले ही संदाय किया जाता है। परमर्शी उन मुद्रण या उसी प्रकृति की कोई अन्य गलती को बता सकता है जिसे न्यायाधीश शुद्ध करना चाहेगा।

पाठ को गोपनीय बनाने की अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन करना चाहिए। ऐसा करने में असफल रहना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आएगा।

ञ 12.2 के अधीन तब तक निर्णय को दिया हुआ नहीं माना जाएगा जब तक इसे खुले न्यायालय में अन्तिम रूप से नहीं सुना दिया जाता है। निष्पादन धारा च में अन्तर्विष्ट है और यह बताती है कि डिक्री क्यू बी डिवीजन में मास्टर या किसी जिला न्यायाधोश को जाएगी।

## यू एस ए

न्यूयार्क राज्य (वाणिज्यिक डिवीजन) (उच्चतम न्यायालय, काउंटी):

वाणिज्यिक डिवीजन का जस्टिसीज, उच्चतम न्यायालय न्यूयार्क काउंटी के नियम (http://nycourts.gov/comdiv/consolidated Rules.htm देखें)। इलैक्ट्रानिक फाइलिंग के लिए ये नियम तब तक लागू नहीं होंगे जब तक विचारण न्यायालयों के लिए यूनिफार्म नियम की धारा 202.5-6 के असंगत नहीं होते हैं।

भाग 1 सामान्य नियमों से संबंधित है; नियम 1 परामर्शी द्वारा ज्ञान और प्राधिकार से उपसंजातियों का निर्देश करता है। नियम 2 समझौते और समाप्ति का; नियम 3 ''चिन्हित मामले-वर्ष समाप्ति का निर्देश करता है; नियम 4 बताता है कि डिवीजन के न्यायमूर्ति फैक्स द्वारा किसी भी प्रकार के पृष्ठों को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक न्यायामूर्ति द्वारा किसी विशेष मामले में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया है; नियम 5 ''मामलों में सूचना'' का निर्देश करता है और नियम 6 ''विशेष भाग 27 कलेण्डर संख्या'' का निर्देश करता है।

भाग 2 ''कान्फ्रेन्सों'' का निर्देश करता है और नियम 7 से प्रारम्भ होता है। नियम 7 ''प्रारम्भिक कांफ्रन्सों'' का व्यवहार करता है। ऐसी कांफ्रेन्सों का, जब तक अन्य कारणों से अव्यवहार्य न हो, मामले को वाणिज्यिक डिवीजन को समनुदेशन के 45 दिन के भीतर आयोजित करना है। नियम 8 ''प्रारम्भिक और अनुवृत्ति कांफ्रेन्सों से पूर्व परामर्शी और मवक्किल के बीच परामर्श'' से संबंधित है, जब परामर्शी (i) मामले का संकल्प, पूर्णरूप में या भाग रूप में, और (ii) प्रकटीकरण और अन्य विवाद्यकों के बारे में चर्चा करेगा। नियम 9 ''उत्कृष्ट समावेदन से सुपरिचय''; नियम 10 ''सूचना को प्रस्तुत करने'' से; नियम 11 ''प्रकटीकरण अनुसूची'' से; नियम 12 ''प्रकटीकरण को रोकने''; नियम 13 ''कांफ्रेन्स में अनुपस्थिति से; नियम 14 ''प्रकटीकरण अनुसूची के संसक्ति करने और नियम 15 ''प्रकटीकरण विवाद'' तथा नियम 16 ''कांफ्रेन्सों को स्थगित करने'' से संबंधित है। यह विशेष न्यायमूर्तियों में से प्रत्येक के समक्ष स्थिति का निर्देश करता है। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित रूप में-

''कांफ्रेन्स सेल द्वारा संपर्क चेम्बर्स।

फ्रीडमैन मास्काविज शेमस जे जे: स्थगत की अनुज्ञा नहीं।

गेयरमैन जे: अच्छे हेतुक के लिए स्थगन की अनुज्ञा। भाग का संपर्क लिपिक।

लोवे जे.: कोई अच्छा हेतुक दर्शाने पर केवल एक स्थगन की अनुज्ञा। स्थगन 30 दिन से अधिक का नहीं हो सकेगा।



भाग-3, ''समावेदन' के बारे में और नियम 17, अर्थात्, 'महत्वपूर्ण समावेदन' से प्रारम्भ होता है। नियम 17, समावेदन पेपर का प्ररूप; नियम 18, समावेदन पेपर का विस्तार; नियम 19 - 'सन रिप्लाई और निवेदत्रेत्तर पेपर' के बारे में है।

**नियम 19क: संक्षिप्त निर्णय के लिए समावेदन पर सारवान तथ्यों का कथन:**

(क) संक्षिप्त निर्णय के लिए किसी समावेदन पर, सीपीएलआर 3213 के अनुसरण में किसी समावेदन से भिन्न, समावेदन के नोटिस के साथ एक छोटा और संक्षिप्त सारवान तथ्य का कथन, जिसके बारे में समावेदन करने वाला पक्ष प्रतिवाद करता है कि विचारण किए जाने के लिए कोई वास्तविक विवाद्यक नहीं है, उपाबद्ध किया जाएगा। ऐसा कोई कथन प्रस्तुत करने में असफल रहना समावेदन के प्रत्याख्यान के लिए आधार गठित कर सकेगा।

(ख) सीपीएलआर 3213 के अनुसरण में किसी समावेदन से भिन्न संक्षिप्त निर्णय के लिए किसी समावेदन का विरोध करने वाले पेपरों में सारवान तथ्यों को एक पृथक छोटा और संक्षिप्त कथन, जिसके बारे में यह प्रतिवाद किया जाता है कि विचारण किए जाने के लिए कोई वास्तविक विवाद्यक विद्यमान है, सम्मिलित किया जाएगा।

(ग) कथन में उपवर्णित सभी सारवान तथ्यों का समावेदन करने वाले पक्ष द्वारा तामील किया जाना समावेदन के प्रयोजन के लिए स्वीकृत किया गया माना जाएगा जब तक विरोधी पक्षकार द्वारा तामील किए जाने वाले अपेक्षित कथन द्वारा खंडन नहीं कर दिया जाता है।

(घ) समावेदन लाने वाले या विरोध करने वाले के द्वारा प्रत्येक सारवान तथ्य के कथन के समावेदन के समर्थन में या विरोध में प्रस्तुत साक्ष्य का उद्धरण द्वारा अनुसरण किया जा सकेगा।''

नियम 23 ''मौखिक तर्क'' का निर्देश करता है।

भाग-4, ''नियमित विचारण'' का व्यवहार करता है। नियम 26 बताता है कि जब एक बार विचारण की तारीख नियत कर दी जाती है, परामर्शी तुरन्त साक्षियों की उपलब्धता अवधारित करता है। यदि किसी कारणवश, परामर्शी नियम तारीख पर जारी रखने के लिए तैयार नहीं है तो न्यायालय को नियत तारीख के 5 दिन के भीतर अधिसूचित करना है जिसके असफल रहने पर उन्हें विचारण के स्थगन के लिए किसी निवेदन से अधित्यक्त माना जाएगा।

नियम 27 बताता है कि नियम समय और तारीख पर परामर्शी का विचारण में उपसंजात होने में असफलता उस अटर्नी और उसके मुवक्किल के परामर्शी की अनुपस्थिति की अवधि के लिए विचार में भाग लेने के अधिकार का अधित्यक्ता बना देगी।

नियम 28 बताता है कि पक्षकारों द्वारा अपने साक्षियों से परामर्श करके, विचारण से कम से कम 5 दिन पहले, विचारण की अनुमानित समयावधि दे दी जाएगी।

नियम 30, दोनों पक्षों के परामर्शियों द्वारा दस्तावेजों का उस विस्तार तक जहां तक विवाद में नहीं है, ''प्रदर्शों के पूर्व-अंकन'' की अपेक्षा करता है। वादियों और प्रतिवादियों के अविवादित दस्तावेजों की एक पृथक सूची तैयार की जाएगी। दूसरी सूची में विवादग्रस्त दस्तावेज अंतर्विष्ट होंगे। ऐसी सूचियां विचारण से 5 दिन पहले प्रस्तुत की जानी है।

नियम 31 उन ''अभिसाक्ष्य परिसाक्ष्य की शनाख्त'' का निर्देश करता है जो साक्ष्य के उन क्षेत्रों को उल्लेखनीय है जिनको बिना आपत्ति के प्रस्ताव किया जा सकता है और उन क्षेत्रों का जहां तक उठाई गई आपत्तियों के संदर्भ में साक्ष्य का प्रस्ताव किया जाएगा। यह सूची भी 5 दिन पहले से ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। न्यायालय परामर्शियों से परामर्श करके शीघ्रतम सम्भव समय पर आपत्तियों पर व्यवस्था देगा।

नियम 32 ''पूर्व-विचारण'' ज्ञापन का निर्देश करता है। यह अपेक्षा करता है कि जटिल मामलों में परामर्शदाता को पूर्व-विचारण ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहिए चूंकि यह सबूत के कार्यक्षम प्रस्तुतीकरण को सुसाध्य बनाएगा। इसे विचारण से 5 दिन पहले प्रस्तुत किया जाना है और यह 25 पृष्ठों से अधिक का नहीं होना चाहिए। प्रत्युत्तर में कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

नियम 33, ''साक्षियों की सूची बनाने'' का व्यवहार करता है। यह कहता है कि प्रत्येक पक्षकार विचारण से 5 दिन पहले परामर्शदाता को सूचित करेगा और विरोधी पक्ष साक्षियों के बारे में परीक्षण करना चाहता है।

नियम 35 ''पूर्व-विचारण'' कांफ्रेन्स के बारे में है।

मानरो काउंटी: वाणिज्यिक डिवीजन, एन॰वाई॰ स्टेट॰

नियम न्यूयार्क काउंटी के नियमों के समान हैं। भाग-1 'साधारण' है, भाग-2 ''कांफ्रेन्सों'' से, भाग-3 'समावेदनों' से, भाग-4 'विचारणों' से संबंधित हैं।

भारत: हम अध्याय-9 में भारत में 'त्वरित' विचारण के लिए अपने प्रस्तावों का निर्देश करेंगे।

## अध्याय-सात

# अन्य देशों के वाणिज्यिक डिवीजन उच्च्व प्रौद्योगिकी युक्त हैं और ऑन लाइन प्रणालियों का अनुसरण करते हैं।

इस अध्याय में हम, सिंगापुर, अमरीका, ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैण्ड आदि जैसे विभिन्न देशों में उपलब्ध उच्च्व प्रौद्योगिकी प्रणालियों और ऑन लाइन फाइलिंग प्रक्रिया का निर्देश करेंगे। अध्याय-आठ में हम नेशनल इन्फोमोटिक्स् इन्डिया द्वारा प्रस्तुत किए गए कतिपय प्रस्तावों का निर्देश करेंगे जो लगभग एक दशाब्दि से उच्चतर और अधीनस्थ न्यायालयों में कम्प्यूटर और सूचना प्रणालियों को प्रतिष्ठापित कर रहा है।

### सिंगापुर:

सिंगापुर की न्यायिक प्रणाली ने वर्ष 1995 में एक प्रौद्योगिकी न्यायालय स्थापित करके एक अनन्य उपलब्धि अर्जित की। यह न्यायालय विश्व का पहला ऐसा न्यायालय था जिसमें न्यायालय की कार्यवाही के संचालन की सुविधा के लिए एकीकृत कम्प्यूटर, मल्टीमीडिया तथा वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली उपलब्ध थी।

पांच वर्ष पश्चात, अर्थात् वर्ष 2000 में प्रौद्योगिकी न्यायालय दो अस्तित्व में आया। यह प्रौद्योगिकी न्यायालय एक का उत्तन स्वरूप था और यह सिंगापुर उच्चतम न्यायालय के न्यायालय सं॰ 3 में स्थित है और इसकी स्थापना पर 2 मिलियन डालर की लागत आयी थी। इसमें 21 इंच के सीआरटी मोनीटर के बजाय वीडियो मार्कर सिस्टम और फलैट स्क्रीन एलसीडी पैनल्स जैसी अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध थी।

सिंग टैल ऐरेडियो सिंगापुर का प्रमुख प्रणाली समेकक, नए प्रौद्योगिकी न्यायालय को दृश्य श्रव्य उपकरण और परियोजना प्रबंधन उपलब्ध कराता है। कैमरा माइक्रोफोन विजुएलाइजर प्रोजैक्शन स्क्रीन और वीडियो प्लेयर सभी रिमोट नियंत्रणीय हैं और इनमें रंगीन स्क्रीन पैनल का प्रयोग किया जाता है। न्यायालय अधिकारी न्यायालय कक्ष में श्रव्य और प्रकाश स्तर का नियंत्रण रखने कैमरा तथा विजुएलाइजर को अनुकूल स्थिति में रखने प्रेक्षण से पूर्व बिम्ब को पहले से देख लेने पार्श्व रिकार्डिंग तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रणालियों को संचालित करने में सक्षम हैं। कन्ट्रोल पैनल से प्रोग्राम सैट किए जाते हैं तथा आरक्षित रखे जाते हैं। इस प्रकार कई दिन तक चलने वाले विचारण के समय की बचत की जाती है।

प्रौद्योगिकी न्यायालय-दो में अपने पूर्ववर्ती की भांति ही वीडियो कांफैंसिंग प्रणाली उपलब्ध है जो सिंगापुर से बाहर रह रहे साक्षियों को किसी मामले में न्यायालय में साक्ष्य देने की अनुमति देती है। यह व्यवस्था साक्षियों को सुनवाईयों के लिए भाग-दौड़ करने से बचाती है।

प्रौद्योगिकी न्यायालय-दो में बच्चे तथा बलात्कार पीडित जैसे मर्मभेदी साक्षियों के लिए साक्ष्य देने के लिए न्यायालय कक्ष से दूर एक पृथक साक्ष्य-कक्ष उपलब्ध है। यह इन साक्षियों को खुले न्यायालय में अभियुक्त का सामना होने के कारण होने वाले भावावेग से बचाता है।

प्रौद्योगिकी न्यायालय-दो में एक उन्नत व्यवस्था वीडियो मार्कर सिस्टम है जो न्यायाधीश, साक्षी और परीक्षण अधिवक्ता को स्क्रीन पर आए किसी बिम्ब के बारे में अलग-अलग टिप्पणी करने में सक्षम बनाता है।

सभी प्रतियों को चिन्हित करने के बजाय साक्षी को केवल स्क्रीन पर चित्र लगाने की आवश्यकता है जिसे सभी लोग देख पाएंगे। स्क्रीन के चिन्हित अंश वितरण के लिए मुद्रित या भविष्य में निर्देशन के लिए रिकार्ड किए जा सकेंगे।

सिंगापुर मुकदमों के लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित करना चाहता है जिसमें कागजी कार्यवाही का कोई स्थान नहीं हो और न्यायालय में मामले प्रस्तुत करने के लिए एक कुशल प्रणाली प्राप्त की जा सके।

अमरीका: नई सहस्त्राब्दि के लिए न्यायालय-कक्ष 2000

न्यूर्याक: (http://www.courts.state.ny.us/supetmanh/courtroom-2000.htm.)

न्यूर्याक राज्य की वाणिज्यिक न्यायपीठ में नई सहस्त्राब्दि का न्यायालय-कक्ष संचालित होता है जिसमें नवीनतम प्रौद्यागिकी उपलब्ध है। इस न्यायालय-कक्ष ने वाणिज्यिक न्यायालय को अमरीका की राज्य न्याय प्रणालियों प्रौद्योगिकीय नवपरिवर्तनों का अग्रगणी बना दिया है।

न्यायालय -कक्ष

(क) मुकदमा करने वालों के लिए सर्वोतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और मामलों पर अत्यन्त कुशलतापूर्ण और प्रभावी रूप में कार्यवाही होती है।

(ख) मुकदमे की प्रक्रियाओं के लिए बार, न्यायाधीश और न्यायालय कर्मचारियों के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी विकल्प उपलब्ध है।

(ग) राज्य के सभी न्यायालयों के लिए प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के रूप मे कार्य करता है।

(घ) अटर्नी, न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारी, विधि विषय के क्षेत्रों तथा न्यायालय रिपोर्टिंग के छात्रों के लिए प्रशिक्षण आधार उपलब्ध कराता है।

न्यायालय -कक्ष 2000 के मुख्य आकर्षण निम्नलिखित है:

**रियल टाइम कोर्ट रिपोर्टिंग सुविधाएं:** बोलने के साथ-साथ पाठ की अनुलिपि तैयार होने, अनुलिपि में शब्द अनुक्रमणिका और कागजीहीन स्थनांतरण प्रदर्शित करने की सुविधाएं हैं।

**इलैक्ट्रिानिक आशुलिपि:** विशेष साफटवेयर के माध्यम से, आशुलिपियों को ई-मेल माऊस से खोज करके और अनुक्रमणिका क्षमताओं के द्वारा सुरक्षित रूप से प्रस्तुति की जा सकेंगी।

**इलैक्ट्रानिक साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना:** अटर्नी न्यायाधीश या ज्यूरी को बेतार संचार प्रणाली के माध्यम से या न्यायालय-कक्ष में सुविधाजनक रूप से स्थापित वीडियो मानीटरों द्वारा सीडी रोम पर अंकीकृत साक्ष्य के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत अटर्नी इलैक्ट्रानिक साक्ष्य की किसी मद के भाग को या स्क्रीन को आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर सकता है। न्यायाधीश बैंच पर लगे क्लिक स्विच से मानीटर को बंद कर सकता है जब तक कि साक्ष्य की कोई मद ग्रहण नहीं कर ली जाती या यदि न्यायाधीश यह निश्चित करे कि कतिपय बिम्ब ज्यूरी को नहीं दिखाए जाने चाहिए। अंकीकृत वीडियो अभिसाक्ष्य रियल टाइम अनुलिपियों के साथ-साथ दर्शाया जा सकेगा जिससे पहले दिए गए अभिसाक्ष्य तथा विचारण के दौरान दिए गए अभिसाक्ष्य की जांच की जा सकेगी।

**अन्त:क्रियाशील 'श्वेतपट्ट':** यह पारंपरिक श्यामपट्ट के स्थान पर लिया जाता है। न्यायालय कक्ष में, एक परिष्कृत स्पर्श संवेदनशील स्क्रीन का उपयोग करते हुए रेखाचित्रों या लेखनों को वृहत प्ररूप में या दृश्य मानीटरों पर प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई न्यायावादी या गवाह विशिष्ट हित के किसी दस्तावेज के पक्षों को, इसके ऊपर लेखन करके या उसकी प्रतिकृति पर आरेखन करके विशिष्ट रूप से दर्शित कर सकता है और संकेत चिन्हों को कंप्यूटर संचित कर सकता है। स्क्रीन वास्तव में किसी भी कंप्यूटर आधारित सामग्री से अन्त:क्रिया करती है। प्रदर्शित मदों की हार्ड प्रतियां किसी रंगीन लेजर प्रिंटर से प्राप्त की जा सकती है।

**स्पर्श-स्क्रीन-मानीटर:** गवाह के कटघरे में अवस्थित, इस मानीटर और सहबद्ध लाइट पैन का उपयोग गवाह द्वारा साक्ष्य के भागों का दृष्टांत देने के प्रयोजनों से किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, कोई विशेषज्ञ-गवाह, न्यायाध ीश या जूरी के लिए गवाही की स्पष्ट और नाटकीय रूप से व्याख्या करने के लिए संप्रदर्श पर आरेखन चिन्हाकित कर सकता है।

**सजीवता:** न्यायाधीश या जूरी के लिए मानीटरों पर कंप्यूठर जनित सजीवता को प्रदर्शित किया जा सकता है। न्याय़ावादी किसी विशेषज्ञ या तथ्यपूर्ण गवाह की गवाही के अनुपूरक के रूप में घटनाओं, कृत्यों और ऐसी ही समान चीजों की सजीव व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे प्रस्तुतिकरण, जटिल घटनाओं, प्रक्रियाओं और शारीरिक कृत्यों को समझने के लिए तथ्यों का निष्कर्ष निकालने में सहायता करने में प्रबल रूप से प्रभावी हो सकते है।



**विशिष्ट रूप से तैयार संघटित इलैक्ट्रानिक पीठिका:** पारंपरिक पीठिका को प्रतिस्थापित करने वाली इलैक्ट्रानिक पीठिका प्रश्न पूछने के क्रम में परीक्षा के दौरान न्यायावादियों को परीक्षा पत्रों की अनुमति देने का सामान्य कृत्य करती है, किंतु साथ ही और भी बहुत कुछ करती है- यह न्यायालय कक्ष में साक्ष्य को इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए उपयोग होने वाले उपस्कर, काउंसेल द्वारा न्यायाधीश या जूरी के लिए मानीटरों पर प्रदर्शित साक्ष्य की मदों पर टीका-टिप्पणी के लिए एक लाइट पेन, एक सपाट मानीटर, जिस पर कोई न्यायावादी न्यायाधीश या जूरी के लिए प्रदर्शित साक्ष्य की मदों को देख सकता है, एक वीडियो कैसेट रिकार्डर, एक बेतार संचारक, जो मानीटर पर सबूत की मदों को प्रक्षेपित करता है और परिरक्षण प्रयोजनों के लिए किसी वीडियो या स्थिर स्रोत से किसी संधार को प्राप्त करने के लिए दृश्य प्रतिकृति प्रींटर को धारण करती है।

**निजी कंप्यूटर डाकिंग केंद्र:** काउंसेल की मेज, गवाह के कठघरे, बेंच और पीठिका पर अवस्थित ये संबंधन गवाह या काउंसेल द्वारा साक्ष्य का प्रस्तुतिकरण या विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। इनके माध्यम से न्यायवादी, कार्रवाई चलने के दौरान या मध्यावकाश के दौरान रियल-टाइम प्रतिलेखन प्राप्त करने और न्यायालय से बाहर स्थित अवस्थानों, जैसे उनके विधि अधिकारियों से इलैक्ट्रानिक रूप से संपर्क करने में सक्षम होंगे।

**वीडियों कैसेट रिकार्डर:** साक्ष्य प्रस्तुतिकरण प्रणाली से जुड़ा रिकार्डर टेप किए हुए साक्ष्य के प्रस्तुतिकरण और प्लेबैक को सुकर बनाता है।

**संघटक-कंप्यूटर:** इस कंप्यूटर को विनिर्दिष्ट रूप से सभी सूचना के प्रसंस्करण और न्यायालय में आवश्यक साफ्टवेयर को चलाने के लिए डिजाइन किया गया है।

**अन्य उपस्कर:** न्यायालय कक्ष एक सुवाह्य श्रवण प्रणाली और एक एल ई डी संपदर्श प्रणाली से युक्त है।

न्यायालय कक्ष में वाणिज्यिक प्रभाग के मामलों पर कार्रवाई की जाती है और प्रभाग से बाहर के मामलों को भी इस उपस्कर तक पहुंच से फायदा होगा।

**मेनहट्टन उच्चतम न्यायालय , न्यूयार्क शहर-न्यायालय कक्ष 2000:**
(http://www.smarttech.com/profiles/supreme/asp)

न्यूयार्क काउंटी न्यायालय गृह के कक्ष सं. 228 में अभिनव परिवर्तन हुआ है। फर्श के नीचे तारे कक्ष में अवस्थित कंप्यूटरों को पुराकालीन काष्ठ पेनल वाली मानीटर स्क्रीन से जोड़ती हैं। फोटोग्राफों, दस्तावेजों का संप्रदर्शन करने और अन्य प्रस्तुतिकरणों के लिए उपयोग होने वाले सपाट स्क्रीन वाले मानीटरों को न्यायाधीश के बेंच, जूरी कक्ष, न्यायवादी की मेज और लिपिकों के डेस्कों सहित मुख्य स्थानों पर स्थापित किया गया है। न्यायालय में पी सी डाकिंग केंद्रों, वी सी आर, रियल-टाइम परिलेखन सक्षमताओं और स्मार्ट पट्ट, जो एक अन्योन्यक्रियाशील श्वेतपट्ट है, को भी स्थापित किया गया है।

न्यायालय 2000 जिसे मेनहट्टन उच्चतम न्यायालय में परीक्षण परियोजन के रूप में वर्ष 1997 में स्थापित किया गया था, एक आधुनिक सुविधा है, जो न्यायिक प्रक्रिया में कार्यकुशलता को बढावा देने के लिए आधुनिक तकनीक के लिए शक्ति को काम में लाता है। प्रत्येक वर्ष विनिर्दिष्ट रूप से कई वाणिज्यिक विचारणों और विधि संगमों द्वारा चलाए जा रहे अनेक नकली विचारणों का संचालन किया जाता है। राज्य में अपनी किस्म का यह प्रथम न्यायालय कक्ष भविष्य का न्यायालय कक्ष है, जो भूतकाल के न्यायालय कक्ष में स्थित है।

अन्योन्यक्रियाशील श्वेत पट्ट का उपयोग इलैक्ट्रानिक श्यामपट्ट के रूप में किया जाता है। यह उपयोक्ताओं को विभिन्न दर्शकों को सूचना का इलैक्ट्रानिक रूप से संप्रदर्शन करने, मुख्य बातों को रंग देकर बल देने में, फाइलों को सुरक्षित रखने और बहुविध प्रतियों को प्रिंट लेने में समर्थ बनाता है। कोई गवाह पट्ट के पास आकर स्मार्ट पेन ट्रे से पेन उठाकर सीधे स्मार्ट पट्ट के अन्योन्यक्रियाशील श्वेतपट्ट की सतह पर लिख सकता है। इसके पश्चात् इन टिप्पणों को भावी उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाता है।

न्यायालय -कक्ष एक ऐसा स्थान है, जहां घठनाएं तीव्रता से घटित होती है और अत्यधिक तनाव बना रहता है। क्योंकि तथ्य और आंकड़े तेजी से सामने आते हैं और लोप हो जाते हैं, साक्ष्य को प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् पुनर्विलोकन के लिए उपलब्ध बनाए रखने की आवश्यकता रहती है। अन्योन्यक्रियाशील श्यामपट्ट स्मार्ट लगाए जाने से पूर्व 'सूचना का परिरक्षण एक समस्या थी, क्योंकि कभी-कभी गलती से यह श्यामपट्ट से मिट जाती थी ।'

अब, अन्योन्यक्रियाशील श्वेत पट्ट वाले स्मार्ट के कारण "सत्रों के दौरान प्रस्तुत की गई सूचना का पुन:प्रस्तुतिकरण सरल हो गया है", क्योंकि स्पर्श-संवेदनशील श्वेत पट्ट पर लिखी गई कोई भी बात सुरक्षित हो जाती है और फिर किसी भी समय न्यायाधीश, जूरी और अन्यों के संदर्भ के लिए उसका प्रिंट लिया जाता है। अन्योन्यक्रियाशील श्वेत पट्ट वाले स्मार्ट पट्ट का एकल मुख्य फायदा, सूचना को संप्रदर्शित करने और परिरक्षित रखने में इसका सामर्थ्य है। एक बार फिर साक्ष्य इस बात का सुदृढ कारण प्रस्तुत करता है कि न्यायालय कक्ष में अन्योन्यक्रियाशील श्वेतपट्ट वाले स्मार्ट पट्ट का उपयोग किया जाए।

मिसीसिपी: हाइंडस कांउटी न्यायालय कक्ष 2000, जेक्सन, मिसीसिपी।

(http://www.cohinds.ms.us/pgs/circuit/factsheetgreen-asp)

इलैक्ट्रानिक न्यायालय कक्ष एक ऐसी विचारण प्रस्तुतिकरण प्रणाली है, जिसमें सिविल और दांडिक विचारणों के लिए आधुनिक और आसानी से प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी प्रस्थापित की गई है।

प्रणाली की मुख्य बात एक तीव्र गति नेटवर्क है, जो टेलीविजन मानीटरों और बाह्य युक्तियों से जोड़ता है।

इसका मुख्य केंद्र एक 'शक्ति पीठिका' है, जो पारंपरिक पाठ मंच को एक उच्च प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिक प्रस्तुतिकरण मंच से प्रतिस्थापित करती है, जिसका नेटवर्क जूरी के समक्ष अवस्थित बड़े मानीटरों और प्रत्येक काउंसेल की मेज पर लगे और गवाहों तथा न्यायालय रिपार्टरों के छोटे मानीटरों से किया गया है।

इस प्रणाली को न्यायाधीश की मेज से स्पर्श स्क्रीन मानीटर से नियंत्रित किया गया है।

न्यायालय उपस्कर निम्नानुसार है।:

वी सी आर

ई एल एम ओ

पायइंटमेकर (टी एम)

वीडियोफोन

कंप्यूटर इनपुट

400 मेगाहर्टज पेटियम टी एम कंप्यूटर

वृत्तिक रूप से संघठित राउटिंग उपस्कर

हाई-फिडिलिटी आटोमिक्सर और स्पीकर

व्याख्यात्मक सक्षमता

न्यायाधीश का स्पर्श स्क्रीन नियंत्रण पेनल

बेतार लेपल माइक्रोफोन

एस वीडियो वी एच वीडियो प्लेयर

शीर्षापरि वीडियो प्रक्षेपक

व्याख्यात्मक लाईट पेन

वीडियो-कांफ्रेंस-हूक-अप

पी सी या मेक

सोनी टी एम दस्तावेज कैमरा

एल्मो टी एम दस्तावेज कैमरा

मारान्टज टी एम आडियो कैसेट

एल सी डी डाटा प्रक्षेपक



व्यू-सोनिक टी एम सपाट पेनल मानीटर

72" X 96" पैराबोलिक स्क्रीन

हाइंडस काउंटी एटीकस न्यायालय कक्ष 2000 में (देखे http://www.co.hinds.us/pgs/circuit/court2000.irene.usp) "एटीकस" एक सुवाह्य मल्टी मीडिया और प्रस्तुतिकरण इकाई है, जिसमें आधुनिकतम न्यायालय कक्ष प्रौद्योगिकी है। इसे न्यायाधीशों, न्यायवादियों ओर सबसे प्रमुख रूप से जूरी के लिए विचारण को और अधिक सरल तथा तेजी से पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। एटीकस के निर्माता और आर एस आई (कानसोस नगर, एम ओ) के न्यायालय कक्ष प्रौद्योगिकी प्रबंधक गैरी ली कहते हैं कि "यह एक सुविख्यात तथ्य है कि जूरी को जब कुछ दिखाया जाता है तो वे अधिक जानकारी अपने पास रखते हैं। इससे निर्णय किए जाने के समय प्रत्येक के लिए यह और अधिक आसान हो जाता है।"

न्यायाधीय जेम्स ई॰ ग्रेव्स, जुनियर ने एटिकस को हाइन्डस काउन्टी विधि पुस्तकालय समिति, हाइंडस काउंटी बार एसोसिएशन और हाइंडस काउंटी पर्यवेक्षक बोर्ड का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने कहा था कि "मुझे यह परियोजना अच्छी लगी थी और मुझे गर्व है कि हमें करदाताओं के धन का उपयोग नहीं करना पड़ा।" हाइंड काउंटी में केवल न्यायाधीश ग्रेव्स और न्यायाधीश ग्रीन ही ऐसे न्यायाधीश हैं, जो एटीकस न्यायालय कक्ष 2000 को उपयोग करते हैं।

आर एस आई कंपनी ने न्यायाधीश कक्ष 2000 के स्वप्न को पूरा करने के लिए हाइंडस काउंटी एटीकस का निर्माण किया है। इसमें सुस्पष्ट दृश्य सक्षमता के लिए 72" X 96" पैराबोलिक स्क्रीन लगी है। इसके अतिरिक्त, न्यायवादी दस्तावेजों को संप्रदर्शित करने और उनकी लाइट पेन से व्याख्या करने में तथा एक ऐसे डिजिटल रंगीन प्रिंटर का उपयोग करने में समर्थ हैं, जो फ्लाई में स्थिर वीडियो प्रिंट करता है और आधुनिकतम उपस्कर का उपयोग करते हुए 3-डी एनीमेशन, वीडियो और श्राव्य चिप्स को चलाता है।

आर एस आई ने जेक्सन काउंटी मिसूरी में ऐ इलैक्ट्रानिक न्यायालय कक्ष बनाया है। उसके अतिरिक्त, एटिकस को पूरी काउंटी में अनेक न्यायालय कक्षों में स्थापित किया गया है, जिसके अंतर्गत शारलोट, उत्तरी केरोलीन और साल्ट लेक नगर, उराह और नेवादा के दो दीवालिया न्यायालय के अमरीका न्यायावादी हैं। आर एस आई एक अप्लाइड सूचना प्रबंध कंपनी है, जो देश भर में विधिक और निगम ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले कार्यकुशल उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध करा रही है।

जहां तक भारत के वाणिज्यिक न्यायालयों में उच्च प्रौद्योगिकी वाली प्रणाली का संबंध है, हम उसका उल्लेख अगले अध्याय, अर्थात् अध्याय 8 में करेंगे।

## अध्याय-8

# भारत में न्यायालयों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय आसूचना के प्रस्ताव

इस अध्याय में हम वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए, जो राष्ट्रीय आसूचना केंद्र (एन आई सी) द्वारा तैयार की गई स्कीम के अनुसार ई-न्यायालय होंगे, उच्च प्रौद्योगिकी प्रणालियों का उल्लेख करेंगे।

### ई-न्यायालय

एन आई सी द्वारा प्रस्तावित ई-न्यायालय प्रणालियां सभी न्यायालयों के लिए हैं। इसे प्रस्तावित वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए अग्रणी परियोजना आरंभ की जा सकती है।

### प्रस्तावना

सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से अनेक संगठन अपनी कारबार प्रक्रियाओं पर पु:विचार करने पर मजबूर हुए हैं। न्यायालय भी परिवर्तनशील प्रौद्योगिकीय प्रगतियों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम आई एस) ने न्यायालयों को ई-न्यायालयों की अवधारणा पर विचार करने का कारण दिया है। यद्यपि ई-न्यायालय शब्द न्यायपालिका से जुड़े अधिकांश व्यक्तियों के लिए अपरिचित नहीं है, फिर भी बेहतर स्पष्टता के लिए इस अवधारणा पर गहन विचार-विमर्श किए जाने की आवश्यकता है।

ई-न्यायालयों को ऐसे न्यायालयों के रुप में परिभाषित किया जा सकता है, जो अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों के अधिक दक्षतापूर्ण संचालन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार (आई टी सी) साधनों की सहायता लेते हैं।

### उद्देश्य

ई-न्यायालयों की अवधारणा के आधारित उद्देश्य निम्नानुसार हैं:—

क. न्यायालय की कार्यवाहियों के दक्षतापूर्ण संचालन में सहायता देना

ख. अधिवक्ताओं को दूरस्थ स्थानों से अपने मामलों पर बहस करने में समर्थ बनाना

ग. दूरस्थ स्थानों से गवाहों का बयान अभिलिखित करने

घ. इलैक्ट्रानिक रुप से फाइल करने (ई-फाइलिंग) की सुविधा स्थापित करना।

ङ न्यायालयों को यथासंभव कागजविहीन बनाना

### कृत्यकारी संघटक

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ई-न्यायालयों में निम्नलिखित कृत्यकारी संघटक है:—

### वीडियो कांफ्रेंसिंग

किसी वीडियो कांफ्रेंसिंग के प्रत्येक सिरे के लिए न्यूनतम अपेक्षित संघटक हैं, एक गाइक्रोफोन, एक कैमरा, एक कोडर/डिकोडर (कोडेक), एक मानीटर और एक स्पीकर। कैमरा और माइक्रोफोन चित्रों और आवाज को ग्रहण करते हैं, कोडेक दृश्य और श्रव्य को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करके एनकोड करता है तथा इसे बाहर भेजता है। दूसरे सिरे पर स्थापित कोडेक सिग्नल को डिकोड करता है तथा दृश्य और श्रव्य को मानीटर और स्पीकर के लिए वितरित करता है।

कोई वीडियो कान्फ्रेंस किसी भी प्रकार के डिजिटल नेटवर्क पर की जा सकती है। इस समय आई एस डी एन सबसे अधिक पाया जाने वाला नेटवर्क है। तथापि, आई पी का प्रसार अधिक बेंडविडथ का उपयोग किया





जाएगा श्रव्य की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। लोगों को देखना और सुनना आसान होता है और पिक्चर भी साफ होती है।

वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रणाली का उपयोग ऐसे किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने के लिए किया जा सकता है, जिसके पास मानक आधारित वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रणाली या टेलीफोन है। वीडियो कांफ्रेंसिंग को अधिकाधिक लक्ष्य के लिए क्रान्तिक प्रौद्योगिकी के रूप में देखा जा रहा है और यह रियल टाइम आधार पर किसी न्यायालय के कार्यकरण का अभिन्न अंग हो सकती है।

### सुरक्षा

सभी वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रणालियों में उपलब्ध एनक्रोप्शन का उपयोग करने से 'वीडिया कालों' को उच्च स्तर की सुरक्षा उपलब्ध होगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग आरंभ होते ही, काल करने वालों द्वारा प्रणाली में कोई समायोजन किए बिना एनक्रिप्शन प्रक्रिया स्वत: ही आरंभ हो जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वी सी प्रणालियां विनिर्माताओं पर ध्यान न देने हुए अंत:संचालनीय है और यह कि वे आधुनिकतम प्रौद्योगिकी से सज्जित हैं और निवेश का फायदा काफी लंबे समय तक बना रहेगा, मानक - आधारित उपस्कर लेना ही उत्तम होगा।

अनेक साईटों को एक ही समय में जोड़ना वीडियो कांफ्रेंसिंग की प्रमुख विशेषता है। कोई व्यक्ति, एकल काल में केवल एक बटन बदाकर 4 वीडियो साइट और 01 आडियो साइट जोड सकता है और अधिक अच्छी प्रणाली से 16 वीडियो और 16 आडियो साइटें जोड़ी जा सकती हैं।

### ई-न्यायालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग (वी सी) प्रणाली की उपयोगिता

ई-न्यायालयों में वी सी सुविधा का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है:

(क) दूरस्थ स्थानों से गवाहों के बयानों को अभिलिखित करने के लिए;

(ख) दूरस्थ स्थानों पर वर्चुअल न्यायालय स्थापित करने के लिए;

(ग) उच्च न्यायालयों की दो शाखाओं और उच्चतम न्यायालय के बीच दिन प्रतिदिन के परस्पर संपर्क के लिए।

### गवाहों के बयानों को अभिलिखित करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग

वी सी सुविधा का उपयोग ऐसे गवाहों के बयानों को अभिलिखित करने के लिए किया जा सकता है, जो किसी कारणवश ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि अपने बयान अभिलिखित करने के लिए न्यायालय में उपस्थित हो सकें। किसी दूरस्थ स्थान पर मौजूद गवाह उसी प्रकार की वी सी प्रणाली पर अपना बयान अभिलिखित करा सकता है। इसी प्रकार की सुविधा का उपयोग, जहां कहीं लागू हो, जेलों में बंद विचारणाधीन कैदियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है।

### वर्चुअल न्यायालय

ई-न्यायालय में स्थापित वीडियो कांफ्रेंसिंग (वी सी) सुविधा को अन्य वी सी इकाई से जोड़ा जाएगा, जो किसी दूरस्थ स्थान पर हो सकेगी। इन दूरस्थ स्थानों पर स्थित न्यायालयों में वकालत कर रहे अधिवक्ता, इस प्रणाली पर इस प्रकार उपस्थित होंगे और अपने मामलों पर बहस करेंगे, मानो वे उच्च न्यायालय में हों और न्यायाधीश उच्च न्यायालय में आसीन हों।

इसके लिए, दूरस्थ स्थानों से मामलों पर बहस/सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी।

### वी सी का कार्यकरण

प्रत्येक ई-न्यायालय में एक वी सी प्रणाली होगी, जिसमें दो कैमरे होंगे, एक न्यायाधीशों के सामने और दूसरा अधिवक्ताओं के सामने। न्यायालय में दो पलाज़्मा स्क्रीन होंगी, जिन्हें न्यायाधीश और अधिवक्ता देख सकें गे। इसमें कागजी दस्तावेजों के पलाजमा स्क्रीन पर प्रक्षेपण के लिए एक दस्तावेज कैमरा, एक अच्छी लोक

संबोधन प्रणाली बेतार माइक्रोफोनों सहित, दो 29 इंच के टी वी सेट, वी सी कार्यवाहियों की रिकार्डिंग के लिए डी वी डी रिकार्डर और इंटरनेट कनेक्टीविटी वाली एक कंप्यूटर प्रणाली भी होंगी।

इस वी सी प्रणाली को देश के भीतर या बाहर प्रतिष्ठापित किसी रिमोट वी सी प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इन दोनों अवस्थाओं को आई एस डी एन लाईनों के तीन जोड़ों का उपयोग करते हुए जोड़ा जा सकता है, जो 384 के पी बी एस की कनेक्टीविटी उपलब्ध कराती है। कनेक्टीविटी की इस क्षमता के साथ हालांकि तस्वीरें सामान्य टी वी तस्वीरों की रिमोट वी सी इकाई, किंतु इससे स्क्रीन पर लोग अच्छे से दिखाई दे सकेंगे। यदि वह रिमोट वी सी इकाई, जिसे ई सी न्यायालय की वी सी से जोड़ा गया है, उसी शहर में स्थित नहीं है तो वी सी कांफ्रेंस की अवधि के दौरान उस शहर में लागू एस टी डी प्रभार काल प्रभारों के रूप में लागू होंगे। चूंकि वी सी सुविधा का प्रचालन काफी आसान है, इसलिए न्यायालय के कर्मचारिवृंद थोड़े से प्रशिक्षण के साथ ही इसका प्रचालन बिना किसी मुश्किल के स्वयं कर सकेंगे।

### इ-फाइलिंग

इलैक्ट्रानिक रूप से फाइलिंग की अवधारणा, अधिवक्ताओं द्वारा अपने कार्यालय या घर से ही न्यायालय में मामले फाइल करने की परिकल्पना करती है। वह अनिवार्य प्रारूप, जिसमें अधिवक्ताओं के लिए अपना मामला फाइल करना आवश्यक होगा, फाइल करने की किन्हीं संभाव्य त्रुटियों को दूर करने के लिए पूर्व-परिभाषित होगा। जैसे ही कोई मामला इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल किया जाएगा और जब फाइल किया गया वह मामला अपेक्षित प्ररूप के अनुरूप होगा तो वह मामला स्वतः ही रजिस्ट्रीकृत हो जाएगा। सर्वप्रथम मामले का रजिस्ट्रीकरण अनंतिम होगा और इसे औपचारिक संवीक्षा के पश्चात् ही अंतिम माना जाएगा। इलैक्ट्रानिक रूप से मामला फाइल करने वाला व्यक्ति न्यायालय प्राधिकारी से डिजिटल हस्ताक्षर वाली एक रसीद भी प्राप्त करेगा। ई-न्यायालयों के समक्ष आने वाले सभी मामलों के लिए ई-फाइलिंग अनिवार्य होनी चाहिए।

इलैक्ट्रानिक फाइलिंग की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। इलैक्ट्रानिक फाइलिंग प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि इलैक्ट्रानिक माध्यम से मामला फाइल करने वाला कोई व्यक्ति अपनी कंप्यूटर प्रणाली पर इलैक्ट्रानिक रूप से न्यायालय की कार्यवाहियों को प्राप्त करने का हकदार होगा। इससे संबंधित व्यक्ति को व्यावहारिक रूप से मामला सं. सूचनाओं की प्रतियां, आदेशों/निर्णयों की प्रतियां, आदि जैसी अपेक्षित जानकारी एकत्रित करने के लिए रजिस्ट्री के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इलैक्ट्रानिक फाइलिंग की प्रक्रिया को लागू करने के लिए फाइल करने की प्रक्रिया के विद्यमान नियमों और विनियमों में कतिपय परिवर्तन/संशोधन करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित कार्रवाई किए जाने की भी आवश्यकता है।

### इ-मेल आधारित संपर्क

ई-न्यायालयों में उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्री और मुकदमेबाजों/अधिवक्ताओं के बीच संपर्क ई-मेल संचार के माध्यम से होगा। सूचनाएं जारी करना, फाइल करने संबंधी त्रुटियां और कोई ऐसा अन्य पत्राचार, जिसे मुकदमेबाजों के बीच किया जाना आवश्यक है, इलैक्ट्रानिक संचार के माध्यम से किया जा सकता है। इससे शीघ्र और निश्चित सुपुर्दगी सुनिश्चित होगी, जिसपर न के बराबर लागत आएगी और कम व्यक्तियों की अपेक्षा होगी।

उपर्युक्त धारणा के कार्यान्वयन के लिए उच्च न्यायालय को अपने नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, जिससे कि रजिस्ट्री को मुकदमेबाजों से संपर्क करने के लिए वैकल्पिक माध्यम प्राप्त करने की अनुमति दी जा सके। इसके अतिरिक्त, फाइलिंग प्ररूप में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, जिससे कि उसमें मुकदमेबाजों और अधिवक्ताओं के ई-मेल पते को सम्मिलित किया जा सके। मामलों को इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल करते समय मुकदमेबाजों के लिए अपना ई-मेल पता दिया जाना अनिवार्य करना होगा।

### ई-एडवोकेसी

सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित एडवोकेसी अधिवक्ताओं को न्यायालय कक्षों में मल्टी-मीडिया आधारित प्रस्तुतिकरणों की सहायता से न्यायाधीशों को अपनी बात अधिक स्पष्ट रूप से समझाने में समर्थ बनाती है। इस प्रक्रिया से न्यायाधीशों को अधिवक्ताओं द्वारा रखे गए तर्कों को आसानी से समझने में सहायता मिलती है। सूचना



प्रौद्योगिकी एडवोकेसी आरंभ किए जाने पर कोई अधिवक्ता अपने मामले में बहस करते समय अपने सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रस्तुतिकरण में पूर्वोदहारण को सम्मिलित कर सकता है या इंटरनेट के माध्यम से इसे प्राप्त करके न्यायालय में प्रतिष्ठापित एक बड़ी स्क्रीन पर इसे संप्रदर्शित कर सकता है। इससे अधिवक्ताओं को न्यायालय कक्षों में विधि की संदर्भ पुस्तकों के बड़े-बड़े संग्रह ले जाने से राहत मिलेगी। न्यायालयों में सूचना आधारित एडवोकेसी लागू करने के लिए अधिवक्ताओं और कुछ सीमा तक न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर प्राप्त किया जा सकता है।

बड़ी स्क्रीन पर आने वाले 'प्रस्तुतिकरण संप्रदर्शन' को, यदि आवश्यकता हो तो न्यायालय में उपलब्ध सभी कंप्यूटर प्रणालियों पर एक साथ दिखाया जाएगा। न्यायाधीश इस संप्रदर्शन को मंच को या तो अपने समीप प्रतिष्ठापित मानीटरों पर या बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं।

ई-न्यायालयों की धारणा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक न्यायालय में पर्याप्त कंप्यूटर प्रणालियां लगाई जाएंगी। उदाहरणार्थ, न्यायाधीशों के लिए मंच पर दो (प्रत्येक न्यायाधीश के लिए एक) मल्टी मीडिया प्रणालियां होंगी, और इसी प्रकार की दो-दो प्रणालियां अधिवक्ताओं और कोर्ट मास्टरों के लिए होंगी। प्रत्येक ई-न्यायालय में कुल छह कंप्यूटर प्रणालियां होंगी। इन प्रणालियों के अतिरिक्त, ई-न्यायालय कक्ष में प्रक्षेपक, प्लाज़्मा स्क्रीन जैसे आडियो-विजुअल उपस्कर भी स्थापित किए जाएंगे। ये सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ये उपकरण, ऐसे जटिल मामलों के प्रस्तुतिकरण के लिए बेहतर माध्यम उपलब्ध कराते हैं, जिनमें बहुत अधिक दस्तावेज सम्मिलित होते हैं, जिन्हें संभालना और प्रस्तुत करना मुश्किल होता है।

न्यायाधीश आदेशों को पारित करते समय, 'ड्रेगन नेचुरली स्पीकिंग' या 'वाया-वायॅस' श्रुतलेखन साफ्टवेयर जैसे आवाज श्रुतलेखन साफ्टवेयर के माध्यम से सीधे कंप्यूटर प्रणाली को आदेश लिखवा सकते हैं। चूंकि किसी भी श्रुतलेखन साफ्टवेयर की प्रौद्योगिकी अच्छी प्रकार विकसित नहीं है, इसलिए लिखाए गए आदेश को न्यायालय कक्षों में उपस्थित कोर्ट मास्टरों द्वारा संपादित किया जाना होगा। यह केवल तभी संभव होगा जब न्यायालय कक्ष में लगी सभी कंप्यूटर प्रणालियां परस्पर जुड़ी हों। इस प्रकार, परस्पर जुड़े होने से कोर्ट मास्टरों को न्यायाधीशों द्वारा लिखाए गए आदेशों को अपनी कंप्यूटर प्रणाली पर प्राप्त करने में समर्थ होते हैं।

### सुविधा केन्द्र

चूंकि न्यायालय की पूर्ण रूप से नेटवर्किंग होने वाली है, इसलिए ऐसी जानकारी जो लोक महत्व की है, न्यायालय काम्पलेक्स के भीतर किसी केंद्रीय स्थान पर उपलब्ध कराई जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि मुकदमेबाजों और अधिवक्ताओं के फायदे के लिए एक सुविधा केन्द्र आरंभ किया जाए। सुविधा केंद्र पर निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है:-

- लंबित मामलों की सूचना-मामलों की प्रास्थिति
- निर्णय
- आदेशों/कार्यवाहियों की प्रति
- उच्च न्यायालय के नियम
- फाइल ढूंढने संबंधी सूचना

सुविधा केंद्र में 3-4 सूचना कुष्क होंगे, जिनमें उच्च न्यायालय के नेटवर्क से जुड़ी स्पर्श स्क्रीन सुविधा उपलब्ध होगी। इन कंप्यूटर प्रणालियों में साष्ट की-संप्रदर्श की-बोर्ड होगा, जिसके साथ की बोर्ड संलग्न नहीं होगा, ताकि कंप्यूटर पेरीफरलों से छेडछाड़ न हो सके या उन्हें चोरी न किया जा सके। सुविधा केंद्रों पर उपलब्ध कुछ सुविधाओं को अनेक तरह के उपयोक्ताओं के फायदे के लिए इंटरनेट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

### इंटरनेट पर आदेश और निर्णय

सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधिनियमन के पश्चात् डिजिटल हस्ताक्षर विधिमान्य हैं। यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि मुकदमेबाजों को इंटरनेट पर न्यायालय के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों के अधीन प्रमाणित प्रतियां जारी की जाएं। इससे मुकदमा लड़ने वाली जनता को न्यायालय में आए बिना प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

अन्य देशों में ई-न्यायालयों के कार्यकरण की विजुअल प्रस्तुति वकीलों, न्यायाधीशों और न्यायालय के कर्मचारिवृंद को नए ई-न्यायालयों की प्रक्रियाओं को आसानी से समझने में समर्थ बनाएगी।

ई-न्यायालय

हार्डवेयर और साफ्टवेयर आवश्यकता

| क्रम सं० | मद | मात्रा | यूनिट की कीमत (रुपए में) | योग |
|---|---|---|---|---|
| I. | हार्डवेयर | | | |
| 1. | सर्वर प्रणाली | एक | 3,00,000 | 3,00,000 |
| 2. | डेस्क्टॉप क्लाइंट | सात | 40,000 | 2,80,000 |
| 3. | लेज़र प्रिंटर | दो | 40,000 | 80,000 |
| 4. | मल्टी मीडिया प्रक्षेपक | एक | 2,00,000 | 2,00,000 |
| II. | वीडियो कान्फ्रेंसिंग उपस्कर | | | |
| 1. | वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली | एक | 6,00,000 | 6,00,000 |
| 2. | प्लाज़्मा स्क्रीन, 42 इंच की | दो | 5,00,000 | 10,00,000 |
| 3. | अतिरिक्त कैमरा | एक | 1,00,000 | 1,00,000 |
| 4. | दस्तावेज कैमरा | एक | 2,00,000 | 2,00,000 |
| 5. | लोक संबोधन प्रणाली | एक | 1,00,000 | 1,00,000 |
| 6. | 29 इंच के टेलीविजन सेट ट्राली सहित | दो | 50,000 | 1,00,000 |
| 7. | बेतार माइक्रोफोन | चार | 10,000 | 40,000 |
| 8. | डीवीडी रिकार्डर और प्लेयर | एक | 20,000 | 20,000 |
| III. | साफ्टवेयर | | | |
| 1. | विंडोज 2000 एडवांस | एक | 55,000 | 55,000 |
| | सर्वर एस क्यू एल सर्वर एंटरप्राइज | एक | 2,00,000 | 2,00,000 |
| 2. | विजुअल स्टूडियो नेट | एक | 50,000 | 50,000 |
| 3. | श्रुतलेखन साफ्टवेयर | दो | 30,000 | 60,000 |
| | तकनीकी लोकशक्ति | छत्तीस मानव मास | 10,000 | 3,60,000 |
| IV. | नेटवर्क | | | |
| 1. | लोकल एरिया नेटवर्क | | | |
| 2. | आईएसडीएन लाईनस | | | 3,00,000 |
| | सकल योग | | | 40,45,000 |

## अध्याय-नौ

# भारत में उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक डिवीजन में त्वरित प्रक्रिया

अध्याय-छह के अन्त के विषय में, जो 'यूके और यूएसए' में वाणिज्यिक डिवीजन के लिए त्वरित प्रक्रिया से संबंधित है, हमने बताया है कि भारत के लिए 'त्वरित प्रक्रिया' का व्यवहार अध्याय-नौ में किया जाएगा। हम, तद्नुसार, इस अध्याय में अपने देश में उच्च न्यायालयों में प्रस्तावित वाणिज्यिक डिवीजन में 'त्वरित' प्रक्रिया के लिए अपने प्रस्तावों का विस्तार करेंगे। यह सिफारिश की जाती है कि न्यायपीठ उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की होगी और आवश्यकता के आधार पर प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक से अनधिक ऐसी न्यायपीठ हो सकती हैं।

इस अध्याय में प्रस्तावों का प्रयोजन उच्च धनीय मूल्य के वाणिज्यिक मामलों को शीघ्र निपटाना और भारत तथा भारत से बाहर वाणिज्यिक क्षेत्रों में यह विश्वास पैदा करना है कि हमारे न्यायालय, चाहे अन्य देशों के न्यायालयों की अपेक्षा तीव्रतर नहीं है, फिर भी नितान्त तीव्र है।

प्रस्तावित वाणिज्यिक डिवीजन उच्च मूल्य के मामलों के बारे में कार्यवाही करेगा और मूल अधिकारिता का न्यायालय होगा। यह अपीलीय न्यायालय भी होगा किंतु केवल उन अपीलों के संबंध में जो प्रस्तावित अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को उच्च न्यायालय में लंबित थीं। यह उपर्युक्त वर्गों के मामलों में उद्भूत होने वाली निष्पादन कार्यवाहियों पर भी कार्यवाही करेगा।

हमारे विचार में, 'त्वरित' प्रक्रिया उपरोक्त निर्देशित सभी प्रकार के मामलों पर लागू होनी चाहिए।

एक करोड़ रुपये या इससे अधिक न्यूनतम मूल्य के, जैसा उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित और अभिपुष्ट की जाए, नए वाणिज्यिक मामलों को लागू होना चाहिए। (यह न्यूनतम, एक करोड़ रुपए से 5 करोड रुपए तक के बीच की रकम, किसी उच्च न्यायालय द्वारा नियत की जा सकेगी)। न्यूनतम एक करोड़ रुपये या इससे अधिक आरंभिक मूल्य के (या ऐसे उच्च धनीय मूल्य के, जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाए) लंबित वाणिज्यिक वादों के लिए भी लागू होगा। इस मूल्य के इन लंबित वादों में कुछ ऐसे वाद हो सकते हैं, जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ असीमित अधिकारिता वाले न्यायालयों में दायर किए गए हैं। इन्हें उच्च न्यायालय को अंतरित किया जाना है और वाणिज्यिक डिवीजन को आवंटित किया जाना है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों की मूल शाखा में या ऐसी मूल अधिकारिता वाले ऐसे अन्य उच्च न्यायालय में कुछ लम्बित वाद हो सकेंगे और इन्हें वाणिज्यिक डिवीजन को आवंटित किया जाना है, में लंबित बाद हो सकते हैं।

उच्च न्यायालय में लंबित अन्य मामले जिन्हें उच्च न्यायालय में प्रस्तावित वाणिज्यिक डिवीजन को आवंटित किया जाना है, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों से लंबित अपीलें और उच्च न्यायालय की मूल शाखा के विद्वान एकल न्यायाधीशों के निर्णयों के विरुद्ध खंड न्यायपीठों को लंबित अपीलें हैं। यहां भी, मामले उपरोक्त पैरा 4(2) में ऊपर बताए गए धनीय मूल्य के होने चाहिए।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 43 के अधीन फाइल किए गए अंतर्वर्ती आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपीलें भी हो सकेंगी अथवा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के अधीन फाइल किए गए आवेदन अथवा संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के अधीन उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अंतर्वर्ती आदेशों की विधिमान्यता को चुनौती देने वाला फाइल किया गया आवेदन अथवा उच्च न्यायालय की मूल शाखा के विद्वान एकल न्यायाधीशों द्वारा पारित अंतर्वर्ती आदेशों की विधिमान्यता को प्रश्नगत करने वाली लेटर्स पेटेन्ट अपीलें (अथवा उच्च न्यायालय अधिनियमों द्वारा अनुज्ञात उसी प्रकार की अपीलें) हो सकेंगी, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक डिवीजन को आबंटित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। हम उपर्युक्त धनीय मूल्य के वादों से उद्भूत होने वाले इस प्रकार के मामलों का निर्देश कर रहे हैं जो लंबित हैं। इन्हें भी प्रस्तावित वाणिज्यिक को आबंटित किया जाना है।

प्रस्तावित अधिनियमन में उपरोक्त वादों को वाणिज्यिक डिवीजन को अंतरित और/या आबंटित के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम एक करोड़ रुपये या अधिक धनीय मूल्य (जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाए) नियत

करने का एक उपबंध अन्तर्विष्ट होगा। उच्च न्यायालय को न्यूनतम धनीय मूल्य को एक करोड़ रुपये से बढ़ाने के लिए समर्थ बनाने वाला एक विशिष्ट उपबंध भी अंतर्विष्ट होगा। हमारे विचार में, यह न्यूनतम 5 करोड़ रुपए से अधिक किसी धनराशि पर नियत नहीं की जा सकती। जैसा ऊपर बताया गया है हम धनीय सीमा नियत करने की शक्तियों का प्रत्यायोजन का प्रस्ताव इसलिए कर रहे हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में, जहां अनेक बड़े शहरों में संव्यवहार  मूल्य बहुत अधिक है, वहां कोई उच्चतर आरंभिक मूल्य नियत करना अनिवार्य हो सके ताकि वाणिज्यिक डिवीजन पर प्रारंभ में अधिक भार न हो जाए। उच्च न्यायालय एक करोड़ रुपये से अधिक न्यूनतम मूल्य (परंतु 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं) नियत कर सकेगा और बाद में किसी भी समय इसे कम कर सकेगा परंतु एक करोड़ रु० से कम नहीं कर सकेगा।

लिखित कथनों के साथ फाइल किए गए प्रतिदावे, यहां तक कि वे विहित मूल्य के नहीं हैं, वाणिज्यिक डिवीजन के समक्ष जाएंगे।

जैसाकि ऊपर बताया गया है, प्रस्तावित वाणिज्यिक डिवीजन, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में किसी बात के होते हुए भी, इसके समक्ष फाइल किए गए या अंतरित किए गए मामलों के लिए केवल निष्पादक न्यायालय नहीं होगा किन्तु उन वादों, जहां उच्च धनीय मूल्य के वादों में डिक्रियों के विरुद्ध नियमित अपीलें जो वाणिज्यिक डिवीजन को अंतरित की जाती हैं, के संबंध में निष्पादक न्यायालय भी होगा।

इसके अतिरिक्त, यह परिभाषित करना आवश्यक हो जाता है कि ''वाणिज्यिक मामलों'' शब्दों का क्या तात्पर्य है। इस रिपोर्ट के अध्याय-चार में हम मामलों के उस पैटर्न का निर्देश कर चुके हैं जिन्हें ब्रिटेन और अमेरिका में 'वाणिज्यिक' माना जाता है। संयोगवश, उस अध्याय में, हम वाणिज्यिक माने जाने वाले मामलों के कतिपय वर्ग के लिए उपबंध करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा विरचित कतिपय नियमों का भी निर्देश किया है। जैसाकि अध्याय-चार में बताया गया है, मात्र यह पर्याप्त नहीं है कि ''वाणिज्यिक'' शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है परन्तु हमें प्रस्तावित वाणिज्यिक डिवीजन के क्षेत्र से ''वाणिज्यिक मामलों'' के एक वर्ग को अपवर्जित करना चाहिए यदि वे अनन्य अधिकारिता के प्राधिकरणों या न्यायालयों द्वारा न्यायनिर्णयन किए जाने के लिए दायी है, अर्थात् दिवाला मामले या कार्यवाहियों का परिसमापन या भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन गठित निकायों/प्राधिकारियों के भू-सम्पत्ति/जमींदारी के भीतर आने वाले ऐसे वाणिज्यिक मामले या; बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऋण बकाया से संबंधित ऋण वसूली प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1993, किराया प्राधिकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण और अन्य न्यायालय या किसी विशिष्ट विषयों से संबंधित प्राधिकरण। तथापि, यह नोट किया जा सकेगा कि उपभोक्ता (संरक्षण) अधिनियम, 1986 जैसे कुछ अधिनियम यह उपबंध करते है कि उक्त विनियमन का आशय सिविल न्यायालयों में सामान्य उपचारों के अतिरिक्त उपचारों का उपबंध करना है। उदाहरण के लिए, उस अधिनियम की धारा 3 बताती है कि 'उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में'। वास्तव में, विभिन्न मामलों में, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने तर्कसंगत कारणों से मामलों को सुनने से मना कर दिया, उदाहरण के लिए, जैसे जहां कपट, छल या षड़यंत्र के गंभीर विवाद्यक सम्मिलित है। ऐसे मामले अभी भी उच्च न्यायालय  में फाइल होते हैं और प्रस्तावित वाणिज्यिक डिवीजन के समक्ष लाए जाते हैं।

जहां तक कार्रवाहियों, जिनके लिए सांविधि द्वारा अनन्य न्यायालयों या प्राधिकरणों का गठन किया गया है का संबंध है,जैसाकि पहले ही बताया जा चुका है, उपर्युक्त परिभाषा में यह सामान्य उपबंध हो सकता है कि वे ''वाणिज्यिक विवाद'' जो ऊपर बताई गई न्यूनतम धनीय मूल्य के हैं, वाणिज्यिक डिवीजन द्वारा विनिश्चित किए जा सकेंगे, वे उन मामलों को सम्मिलित नहीं करेंगे जहां सिविल न्यायालय की अधिकारिता या तो अभिव्यक्त रूप से या किसी केन्द्रीय अथवा राज्य विधि द्वारा विवक्षा द्वारा वर्जित की जाती है।

किसी दण्ड न्यायालय द्वारा संज्ञेय मामले स्पष्टरूप से प्रस्तावित डिवीजन में फाइल नहीं किए  जा सकते क्योंकि न्यायालय सिविल मामलों के निपटान के लिए प्रस्तावित किया गया है।

''वाणिज्यिक विवाद मामले''

प्रारम्भ में हम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपने नियमों में किए गए 'वाणिज्यिक मामलों' के वर्गीकरण का निर्देश करेंगे। हम अध्याय-छह में नियमों का उद्धरण पुनः देते हैं।

> ''वाणिज्यिक मामलों'' में, वाणिज्यिक दस्तावेजों, माल का निर्यात और आयात, माल संविदा, सड़क द्वारा माल की ढुलाई, बीमा, बैंकिंग और वाणिज्यिक दस्तावेज, वाणिज्यिक अभिकरण, वाणिज्यिक व्यवहार और व्यापार चिन्हों का अतिलंघन तथा कार्रवाई संक्रमण से संबंधित जैसे वणिकों, बैंकर्स और व्यापारियों के सामान्य व्यवहारों से उद्‌भूत होने वाले मामले सम्मिलित हैं। साधारण ऋणों  और बंधकों से संबंधित वाद ''वाणिज्यिक मामले'' नहीं हैं।



उपरोक्त परिभाषा विस्तृत है और वास्तव में इसका व्यापक रूप में अर्थ लगाना होगा। तथापि, हम उसके उपांतरण का प्रस्ताव करते हैं और नीचे निर्देशित विशिष्ट प्रकार के कुछ मामले इसके अन्तर्गत लाने के लिए कतिपय स्पष्टीकरण जोड़ते हैं।

क्या ''वाणिज्यिक सम्पत्ति'' से संबंधित विवादों को वाणिज्यिक डिवीजन के समक्ष ला सकते हैं यदि उनमें ''स्थावर सम्पत्ति'' अन्तर्ग्रस्त है; जैसे, जहां, उदाहरण के लिए, या भागीदारी सम्पत्ति है या जहां कोई बंधक या प्रभार या धारणाधिकार किसी वाणिज्यिक संविदा के अधीन बाध्यताओं का पालन करने के लिए स्थावर सम्पत्ति संपार्शिक प्रतिभूति के रूप में सृजित की गई है ? एक मामले को लेते हैं जिसमें भागीदारी विलेख स्थावर सम्पत्ति को भागीदारी सम्पत्ति मानता है या जहां कोई साम्यिक बंधक एक व्यवसायी द्वारा किसी अन्य व्यवसायी या किसी वाणिज्यिक फर्म कम्पनी के पक्ष में स्थावर सम्पत्ति के संबंध में संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में बनाया जाता है ? हमारे विचार में, ये मामले भी वाणिज्यिक डिवीजन के समक्ष आने चाहिएं परन्तु मुख्य संव्यवहार वाणिज्यिक है।

यद्यपि, यह स्पष्ट है कि किराया नियंत्रण विधान के क्षेत्र में आने वाले किसी स्थान की भांति वाणिज्यिक सम्पत्ति से बेदखली के मामले उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किए जा सकते हैं और वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष नहीं लाए जा सकते हैं। स्थावर सम्पत्ति से बेदखली के लिए वादों के मामले सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं; वे वाणिज्यिक डिवीजन के समक्ष नहीं जाए जा सकते यदि विषय-वस्तु का मूल्य एक करोड़ रुपए या इससे अधिक है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में रु. 3500/- प्रति मास तक का किराये का संदाय करने वाले किरायेदारों को दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम का संरक्षण हैं कुछ राज्यों में, संनिर्माण की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् भवन ऐसी अवधि समाप्त होने के पश्चात् बेदखली के लिए मामलों का फाइल किया जाना किराया नियंत्रण विधि के अधीन आती है। स्पष्टत:, ऐसे  बेदखली के मामलों को न तो सिविल न्यायालय द्वारा सुना जा सकता है और न ही वाणिज्यिक डिवीजन द्वारा। कुछ राज्यों में, जहां किरायेदारों को किराया नियंत्रण विधान के अधीन संरक्षण प्राप्त है, वास्तव में कार्यवाहियां किसी सिविल न्यायालय में (और किराया नियंत्रण प्राधिकरणों के समक्ष नहीं) वाद के रूप में फाइल की जाती हैं किन्तु सिविल न्यायालय किराया नियंत्रण विधान के अधीन सुनवाई करेंगे और न कि सम्पत्ति अंतरण अधिनियम द्वारा शासित स्थावर सम्पत्ति से संबंधित किसी सामान्य बेदखली वादों की सुनवाई करने वाले सिविल न्यायालय के रूप में। स्पष्टत:, ऐसे वाद को, यहां तक कि यदि सम्पत्ति वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती है, प्रस्तावित वाणिज्यिक डिवीजन के समक्ष लाया जा सकता है।

ऐसे वाणिज्यिक स्थानों के मामले में जो किराया नियंत्रण विधान द्वारा शासित नहीं होते हैं, किरायेदार कोई व्यवसायी हो सकेगा परंतु भू-स्वामी आवश्यक रूप से कोई व्यवसायी नहीं हो सकेगा। यहां भी, मामला वाणिज्यिक डिवीजन को जाना है यदि सम्पत्ति का मूल्य ऊपर बताया गया न्यूनतम विहित मूल्य है।

अब उन मामलों को लेते हैं जो बीमा पालिसियों—जीवन बीमा या साधारण बीमा से उद्‌भूत होते हैं और जहां दावा एक करोड़ रुपये या इससे अधिक (या ऐसा उच्चतर मूल्य जो उच्च न्यायालय द्वारा नियत किया जाए) है। इन मामलों को परिभाषा में सम्मिलित किया जा सकता है,यद्यपि पालिसीधारक व्यवसायी है या नहीं। साधारण बीमा के मामले जिनमें आग या सामुद्रिक बीमा अन्तर्विष्ट है, उन मामलों, जिनमें नुकसान या अपकृत्य के कारण क्षति या बाढ़, भूकम्प, चक्रावात, इत्यादि जैसे प्राकृतिक कारणों से क्षतिपूर्ति के मामलों में प्रश्न यह है कि क्या ऐसे विवाद भी वाणिज्यिक डिवीजन के समक्ष जाने चाहिए ? हमारे विचार में, हां, यद्यपि पालिसीधारक कोई व्यवसायी नहीं है। जहां तक मोटर दुर्घटना के मामलों का संबंध है, मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण अनन्य अधिकारिता वाला प्राधिकरण है और वे मामले यदि वे विहित उच्च वाणिज्यिक मूल्य के हैं और बीमा कम्पनियों के विरुद्ध कतिपय दावे हैं तो वे स्पष्ट रूप से वाणिज्यिक डिवीजन के समक्ष नहीं जा सकते हैं।

जहां तक व्यापार चिन्ह विवादों का संबंध है, व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 83 के अधीन एक अपीलीय बोर्ड का गठन किया गया है। धारा 91(1), रजिस्ट्रार के आदेशों के विरुद्ध पीडित पक्षकारों द्वारा बोर्ड को अपील करने का उपबंध करती है और धारा 93, धारा 91 की उपधारा (1) में निर्देशित मामलों के संबंध में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन करता है। उसका तात्पर्य यह कि चला देने और अतिलंघन के

संबंध में नुकसानी और व्यादेश के लिए वाद अभी तक सिविल न्यायालयों के समक्ष जाते हैं और उनका वर्जन नहीं है। इसी प्रकार, पेटेन्ट अधिनियम, 1970, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 और डिजाइन अधिनियम, 2000 के अधीन उद्भूत होने वाले अन्य वाणिज्यिक विवाद, उस सीमा तक कि किसी विशिष्ट वर्ग के विवादों को सिविल न्यायालयों की अधिकारिता से वंचित रखा जाता है के सिवाय, वाणिज्यिक डिवीजन के समक्ष जा सकते हैं।

हमने यह भी विचार किया है कि क्या उच्च न्यायालय की नावधिकरण विषयक अधिकारिता के भीतर आने वाले मामले वाणिज्यिक डिवीजन के समक्ष जाने चाहिएं। वास्तव में, वाणिज्यिक प्रकृति के अन्य विषय हो सकते हैं जो उच्च न्यायालय के अनुसार, वाणिज्यिक डिवीजन के समक्ष जा सकेंगे। इस प्रयोजन के लिए, हम सिफारिश करते हैं कि वाणिज्यिक विवादों की परिभाषा में सम्मिलित किए जाने के लिए अन्य विवादों को अधिसूचित करने के लिए उच्च न्यायालय को समर्थ बनाने के लिए परिभाषा में एक अवशिष्ट खंड पुरःस्थापित किया जा सकेगा।

सम्यक् परामर्श के पश्चात् हम दिल्ली उच्च न्यायालय नियमों के अध्याय III (भाग V) के भाग घ के नियम 1 में यथा परिभाषित "वाणिज्यिक वाद" की परिभाषा को उपांतरणों के साथ, जो नीचे दी गई है, अपनाने के लिए आनत हैं।

वाणिज्यिक विवादों से अभिप्रेत है—

"व्यापार या वाणिज्य के संव्यवहारों से उद्भूत होने वाले विवाद और विशेष रूप से, वाणिज्यिक दस्तावेजों के प्रवर्तन और निर्वचन, माल के आयात निर्यात, माल-संविदा, माल की ढुलाई, विशेषधिकार, वितरण और लाईसेंसिंग करार, वाणिज्यिक अभिकरण और वाणिज्यिक व्यवहार, भागीदारी, प्रौद्योगिकी विकास, अनुरक्षण और परामर्शी करार, सोफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क्स, इंटरनेट, वेबसाइट और व्यापारिक चिन्ह, कापीराइट, पेटेंट, डिजाइन, संपत्ति नाम और ब्रांड जैसी बौद्धिक संपत्ति से संबंधित वाणिकों, बैंकर्स और व्यापारियों के सामान्य संव्यवहारों से उद्भूत होने वाले विवाद और ऐसे अन्य वाणिज्यिक विवाद, जिन्हें उच्च न्यायालय अधिसूचित करे।

**स्पष्टीकरण 1**-कोई विवाद जो वाणिज्यिक है मात्र इसलिए वाणिज्यिक विवाद नहीं रहेगा इसमें स्थावर संपत्ति की वसूली के लिए अथवा प्रतिभूति के रूप में दी गई स्थावर संपत्ति में से धन वसूली के लिए अथवा अचल संपत्ति के विरुद्ध अन्य कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई भी अंतर्ग्रस्त है।

**स्पष्टीकरण 2**-कोई विवाद, जो वाणिज्यिक विवाद नहीं है, वाणिज्यिक विवाद माना जाएगा यदि विवाद में अंतर्ग्रस्त स्थावर संपत्ति व्यापार में उपयोग की जाती है अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए लगाई जाती है"।

मूल्यांकनः

हमारे विचार में, वाणिज्यिक डिवीजन की अधिकारिता नियत करने के प्रयोजनों के लिए विवाद की विषय-वस्तु का मूल्यांकन सरल होना चाहिए। हमने वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 और उसके राज्य संशोधनों के अधीन न्यायालयों में सिविल वाद दायर करने को शासित करने वाले मूल्यांकन के सिद्धांतों तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि राज्य विधायिकाओं द्वारा बताए गए विभिन्न विधानों का अध्ययन किया है। उन अधिनियमों में, मूल्यांकन की पद्धति बहुत जटिल है और हम उनको अपनाना नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर, हम मूल्यांकन की किसी एकल पद्धति को अपनाना चाहते हैं। जहां तक धन संबंधी वादों या स्थावर संपत्ति से संबंधित वादों का संबंध है, इसमें अधिक कठिनाई नहीं है। यहां भी हमारा यह विचार है कि यदि वाद जंगम संपत्ति को प्रभावित करता है, चाहे वह चल संपत्ति की वसूली के लिए है या नहीं, तो इसका मूल्यांकन वाद की तारीख को संपूर्ण जंगम संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, जब हम स्थावर संपत्ति को प्रभावित करने वाले वादों अथवा उसमें के अधिकारों पर कार्यवाही करते हैं, तब विवाद के मूल्य की गणना संपूर्ण स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय में उन अपीलों के मामले में जिन्हें वाणिज्यिक डिवीजन को आबंटित किया जाना है, विवादग्रस्त विषय-वस्तु का मूल्य, वाद की तारीख को उपरोक्त रीति से की गई गणना के अनुसार होगा।

वादों और मामला प्रबंध में त्वरित प्रक्रियाः

जहां तक उन नए वादों, जो प्रस्तावित अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात फाइल किए जा सकेंगे, का संबंध है, उनको "माध्यस्थम और सुलह विधेयक, 2002" विषय पर 176वीं रिपोर्ट में त्वरित माध्यस्थम के लिए



प्रदर्शित त्वरित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए समुचित उपांतरणों के साथ न्यायालय में उचित प्रक्रिया द्वारा निपटाया जाएगा। इस बारे में सिफारिशें उक्त रिपोर्ट की यथा उपाबद्ध अनुसूची-IV के विधेयक में अन्तर्विष्ट हैं। मामला प्रबंध वाणिज्यिक डिवीजन में किसी एकल न्यायाधीश को सौंपा जा सकता है।

तथापि, हम वाणिज्यिक डिवीजन के लिए त्वरित प्रक्रिया का निर्देश विस्तृत रीति में कर सकेंगे और निम्नलिखित मार्गदर्शनों के आधार पर होना चाहिए।

वादी को वादपत्र के साथ सुसंगत दस्तावेज, जिन पर वादी विश्वास करने का प्रस्ताव करता है और शपथ पत्र द्वारा मुख्य परीक्षण में साक्षियों का कथन तथा प्ररूप विवाद्यक, जिनके उठने की संभावना है, वाणिज्यिक डिवीजन में फाइल करने चाहिए। इनकी प्रतियां विरोधी पक्षकारों को उसी तारीख को, जिसको वादपत्र फाइल किया जाता है, भेजनी होंगी, परिप्रश्नों की सूची, यदि कोई हो, और प्रकटीकरण और उसकी प्रस्तुति के लिए आवेदन, यदि कोई हों, उसकी सुसंगतता का उल्लेख करते हुए इसी प्रकार इसी तारीख को भेजे जाने चाहिएं। संसूचना और शीघ्र पत्राचार के प्रयोजन से वादी को सभी दावेदारों और सभी पक्षकारों के पूर्ण पते, ई-मेल या फैक्स, टेलीफोन नंबर सहित, यदि कोई हो, जहां तक वादी को जानकारी है, भी देने चाहिए। विवाद्यक प्ररूप की सूची भी उसी तारीख को फाईल की जानी चाहिए।

प्रतिवादी को वादपत्र और उपर्युक्त अन्य संलग्नकों की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर, अपना लिखित कथन सुसंगत दस्तावेजों, मुख्य साक्ष्य के शपथ पत्र और आवेदन पत्रों के साथ, जैसा वादी के मामले में ऊपर निर्देशित किया गया है, वाणिज्यिक डिवीजन में फाइल करने चाहिए। उसे उनकी प्रतियां वादी को भी भेजनी चाहिए। इसके साथ ही, यदि कोई प्रतिदावा है तो उसे दावा उपर्युक्त निर्देशित विभिन्न दस्तावेज लगाकर, लिखित कथन के साथ फाइल करना चाहिए। उसे उन विवाद्यकों का, जिनके उठाए जाने की संभावना है, प्रारूप भी फाइल करना चाहिए और उसकी एक प्रति वादी को भेजनी चाहिए।

यदि वादी कोई प्रत्युत्तर फाइल करना चाहता है तो न्यायालय की इजाजत आवश्यक है और इस प्रयोजन के लिए उसे लिखित कथन की तामील के 15 दिनों के भीतर आवेदन करना चाहिए और यदि इसकी अनुज्ञा दी जाती है तो ऐसी अनुज्ञा देने वाले वाणिज्यिक डिवीजन के आदेश के एक महीने के भीतर प्रत्युत्तर फाइल करना चाहिए।

विभिन्न दस्तावेज और आवेदन फाइल करने के लिए जो प्रक्रिया वादपत्रों पर लागू होती है वही प्रतिदावों पर भी लागू होगी।

यदि दस्तावेजों के प्रकटीकरण या प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाती है तो पक्षकारों को वाणिज्यिक डिवीजन द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपूरक कथन फाइल करने की अनुज्ञा दी जाएगी और दस्तावेजों की प्रतियों तथा सुसंगत साक्ष्य शपथ पत्र, यदि कोई हो, के साथ विरोधी पक्षकार को एक सूचना तामील की जाएगी।

उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों या उच्च न्यायालय की मूल शाखा में लंबित वाणिज्यिक वादों में भी, जहां विषय-वस्तु का मूल्य विहित उच्च मूल्य (अर्थात् एक करोड़ रुपये या अधिक) है, जो उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक डिवीजन को अंतरित कर दिए जाएंगे, यदि अभिवचन पूरे नहीं हुए हों या साक्ष्य अभिलिखित नहीं किया गया था, नए वादों के लिए लागू होने वाली, लागू होने वाली उपर्युक्त निर्दिष्ट प्रक्रिया उस सीमा तक, उस स्तर को ध्यान में रखते हुए जिस पर वाद वाणिज्यिक डिवीजन को अंतरित या आबंटित किया जाता है, लागू होनी चाहिए।

हमारे विचार में, वाणिज्यिक डिवीजन का एकल न्यायाधीश एक या अधिक 'वाद प्रबंधन सम्मेलन' आयोजित करेगा तथा विवाद्यकों को अंतिम रूप देने और साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के लिए, यदि कोई हो, और लिखित पक्षकथन फाइल करने तथा तत्पश्चात् मौखिक पक्षकथन करने के लिए भी कोई समय सूची नियत करेगा। तथापि, इन प्रयोजनों के लिए समय-सीमा नियत करने वाले कोई सशर्त आदेशों से, यदि किसी एक पक्षीय आदेश या व्यतिक्रम आदेश के परिणाम की संभावना है, दो विद्वत न्यायाधीशों द्वारा पारित किए जाने चाहिएं। वाणिज्यिक डिवीजन वैकल्पिक विवाद समाधान पद्यतियों द्वारा विवाद के समाधान को ध्यान में रखने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 के उपबंधों को लागू कर सकेगा।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि वाणिज्यिक डिवीजन में प्रतिपरीक्षा या पुनः परीक्षा में साक्ष्य विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित किया जा सकेगा और ग्राह्यता के बारे में आपत्ति उसके द्वारा अभिलिखित तो की जा सकती हैं किंतु उनका विनिश्चय दो विद्वत न्यायाधीशों वाली न्यायपीठ द्वारा किया जा सकेगा।

हम यह भी प्रस्ताव करते हैं कि एकल न्यायाधीश प्रतिपरीक्षा या पुनःपरीक्षा में ऐसा साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए 25 वर्ष से अन्यून के अनुभव वाले अधिवक्ता आयुक्त या न्यायाधीश के पद के किसी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को अथवा किसी सेवानिवृत्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश को नियुक्त कर सकेगा।

हम यह भी बताना चाहते हैं कि सामान्यतः ऐसे उच्च मूल्य के वाणिज्यिक मामलो में साक्ष्य अधिकतर दस्तावेजी होगा और मौखिक साक्ष्य बहुत कम होगा या नहीं होगा।

जैसाकि पूर्ववर्ती अध्याय में बताया गया है, वाणिज्यिक डिवीजन वीडियो कांफ्रेंसिंग सहित श्रव्य और दृश्य सुविधाओं जैसी सभी उच्च प्रौद्योगिक प्रणालियों से सज्जित होगी। किन्तु उच्च प्रौद्योगिक प्रणाली के संस्थापन वाणिज्यिक डिवीजन के गठन के लिए हमारे प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित नहीं है।

पक्षकार या काउंसेल को मौखिक निवेदनों से पहले लिखित निवेदन फाइल करने चाहिए और वाद प्रबंधन सम्मेलन में, मौखिक निवेदनों सहित, सभी समय-सीमाएं पहले ही से नियत करनी चाहिए।

वाणिज्यिक डिवीजन का निर्णय बहस की समाप्ति के 30 दिन के भीतर सुनाया जाना होगा और साथ ही उसकी प्रतियां ई-मेल द्वारा या अन्यथा सभी पक्षकारों के लिए जारी की जानी चाहिए।

वाणिज्यिक डिवीजन में त्वरित प्रक्रिया इन विस्तृत मार्गदर्शनों पर आधारित होनी चाहिए।

**उच्चतम न्यायालय को सांविधिक अपीलें**

यह सिफारिश की जाती है कि वाणिज्यिक डिवीजन द्वारा पारित डिक्रियों के विरुद्ध और प्रारम्भिक सुनवाई के लिए अपीलों को सुनने के लिए नियम सहित उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए सिविल संहिता के आदेश XLIII में निर्देशित उस डिवीजन द्वारा पारित विशिष्ट वर्ग के आदेशों के विरूद्ध भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील करने का सांविधिक अधिकार होगा। हम इन सांविधिक अपीलों का प्रस्ताव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह स्वयंसिद्ध है कि तथ्य और विधि दोनों प्रश्नों पर वाद में डिक्री के विरूद्ध कम से कम एक अपील होनी चाहिए, विशेष रूप से तब जब पण इतने अधिक हो जितने वाणिज्यिक मामलों में है। इसके अतिरिक्त, अन्तर्वर्ती आदेशों के विरूद्ध उन वादों में उपलब्ध है जहां विषय-वस्तु का मूल्य एक करोड़ रूपए से कम है, प्रस्तावित उच्च धनीय मूल्य के मूल वादों में वाणिज्यिक डिवीजन द्वारा पारित अन्तर्वर्ती मामले के लिए भी उपलब्ध होनी चाहिए। किन्तु, जैसाकि उच्चतम न्यायालय को की गई ऐसी प्रथम सभी अपीलों के मामले में सामान्यतः है, उच्चतम न्यायालय नियम साधारण तथा प्रारम्भिक सुनवाई के लिए मामले का सूचीबद्ध किया जाना अपेक्षित है। तथापि, ये प्रस्ताव कुछ अपवादों के अध्यधीन सांविधिक अपील के लिए है।

हम उस सांविधिक अपील का प्रस्ताव नहीं करते जहां मूल डिक्री के विरूद्ध अपीलें या वाणिज्यिक डिवीजन द्वारा निपटाए आदेशों के विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण आवेदन हैं। हम अन्तर्वर्ती आदेशों के विरूद्ध किसी सांविधिक अपील या वाणिज्यिक डिवीजन द्वारा निष्पादन में पारित आदेशों का उपबंध करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं किन्तु हम ऐसे आदेशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन केवल चुनौती देने के लिए छोड़ते हैं।

**लंबित अपीलों में प्रक्रियाः**

उच्च न्यायालय में विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों या डिक्रियों के विरुद्ध लंबित अपीलों में, जहां प्रत्यर्थियों को सूचना तामील नहीं की गई है, निम्नलिखित प्रक्रिया का, जिसका कुछ उच्च न्यायालयों (अर्थात् आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक) में पालन किया जाता है, पालन करना चाहिए। यदि एकल न्यायाधीश के समक्ष पक्षकारों का कांऊसेल द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है तो उसका नाम वाद सूची में स्वतः ही मुद्रित हो जाएगा और उसे हाजिर होना चाहिए। उसे संबंधित पक्षकारों से आवश्यक अनुदेश प्राप्त करने के लिए समय दिया जाएगा। यह प्रक्रिया बहुत सा समय बचाती है। इसके अतिरिक्त, यदि मुख्य वाद लंबित है और वही वकील मुख्य वाद में भी पक्षकारों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और यदि वह अंतर्वर्ती मामलों में विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष हाजिर हो चुका है तो सूचना की तामील उसी कांऊसिल को की जानी चाहिए। (वास्तव में, उपरोक्त उच्च न्यायालयों में वकालतनामा फार्म में एक खंड अंतर्विष्ट है कि किसी विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष हाजिर होने के लिए उच्च न्यायालय में फाइल किया गया वकालतनामा किसी खंड न्यायपीठ के समक्ष डिक्री या आदेश के विरुद्ध किसी अपील में हाजिर होने का प्रयोजन भी सुनिश्चित करेगा)। यह प्रक्रिया उच्च न्यायालय में लंबित अपीलों के लिए सीमित है। जहां तक भविष्य का संबंध है, चूंकि लंबित अपीलों पर उच्च न्यायालय में एक खंड न्यायपीठ द्वारा विचार किया जाना है, यह समस्या पैदा नहीं होती है।



डिवीजन को आबंटित लंबित अपीलों/पुनरीक्षणों में आवश्यक पेपर बुक नियत किए जाने वाले प्रस्तावित समय के भीतर अर्थात् तीन महीने में फाइल कर दी जानी चाहिए। लिखित निवेदन उसके तुरंत पश्चात्, मौखिक निवेदनों से पहले फाइल किए जाने चाहिए। मौखिक निवेदनों के लिए समय-सीमा भी वाद प्रबंधन सम्मेलनों में पहले ही नियत की जानी चाहिए।

**मामलों का निपटान करने के लिए वाणिज्यिक डिवीजन के लिए समय-सीमाः**

वाणिज्यिक डिवीजन द्वारा निपटान के लिए समय-सीमा के विषय में, प्रस्तावित अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात् किए गए नए वादों के निपटान विरोधी पक्षकार को सूचना की तामील के पूरा होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। निचले न्यायालयों से उच्च न्यायालय को अंतरित और वाणिज्यिक डिवीजन को आबंटित विद्यमान वादों का निपटान भी दो वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए परंतु यदि वे पहले ही दो वर्ष या अधिक से लंबित है, जहां विरोधी पक्षकारों को प्रस्तावित अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख तक पहले ही सूचना की तामील कर दी गई है उनका निपटान वाणिज्यिक डिवीजन को आबंटन से एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। जहां अंतरित वाद तामील के प्रक्रम हैं, उसका निपटान विरोधी पक्षकार को तामील पूरा होने के दो वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए।

खंड को अंतरित की गई अंतर्वर्ती अपीलों का विनिश्चन तामील प्रक्रम के पूरा होने की तारीख से या वाणिज्यिक डिवीजन को आबंटन की तारीख से तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए।

**निष्पादन मामले और त्वरित प्रक्रियाः**

जैसा पूर्वतर बताया गया है, ऐसे उच्च मूल्य के वादों में, जो वाणिज्यिक डिवीजन के समक्ष नए वादों में आ सकते हैं, जो इसके समक्ष फाइल किए जा सकते हैं, या उन लंबित वादों में जो या तो अधीनस्थ न्यायालयों से उसे अंतरित किए गए हैं या न्यायालय की मुख्य शाखा से उसे आबंटित किए गए, डिक्री के फल के आपन में निष्पादन के कार्यवाहियों के कारण से विलंब नहीं किया जा सकेगा। निष्पादन के सभी मामले केवल वाणिज्यिक डिवीजन द्वारा ही निपटाए जाने चाहिएं।

अब हम उन अंतरित मामलों में निष्पादन रखते हैं अर्थात् उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों के विरुद्ध लंबित नियमित प्रथम अपीलों में जो वाणिज्यिक डिवीजन को अंतरित की जाती हैं और मूल शाखा के विद्वत एकल न्यायाधीशों द्वारा पारित डिक्रियों के विरुद्ध लंबित नियमित प्रथम अपीलें जो वाणिज्यिक डिवीजन को आबंटित की जाती है। इन मामलों में, हम यह सिफारिश करते है कि यह सिद्धांत कि प्रथम बार का न्यायालय निष्पादन न्यायालय होना चाहिए, छोड़ दिया जाना चाहिए और यह कि ऐसी सभी नियमित प्रथम अपीलों में, जो उच्च न्यायालय में लंबित है और वाणिज्यिक डिवीजन को अंतरित या आबंटित की गई हैं, निष्पादन कार्यवाहियों वाणिज्यिक डिवीजन मे शुरू की जाएंगी और निपटायी जाएंगी।

निष्पादन कार्यवाहियां, निःसंदेह, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-XXI के उपबंध द्वारा शासित होगी किन्तु मामलों का निपटान डिक्री पारित करने के छह मास के भीतर होना चाहिए।

पक्षकारों को अपने लिखित निवेदन मुख्य निष्पादन आवेदन की सुनवाई की तारीख के एक मास पहले से ही फाइल करने चाहिए।

**वाणिज्यिक डिवीजन स्थापित करने के लिए विशेष बजट समर्थन की आवश्यकता और समस्त बाजार के कारबारी परिदृश्य में पूंजीनिवेश से अनुकूल परिवर्तन**

हम यह भी बताते हैं कि वाणिज्यिक डिवीजन की स्थापना के लिए अंर्तवलित व्यय की पूर्ति हेतु केंद्रीय और राज्य सरकारों को आवश्यक निधि उपलब्ध करानी चाहिए। इसमें उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करने, सहायक कर्मचारिवृंद और अन्य अवसंरचना उपलब्ध कराने पर आने वाला खर्च सम्मिलित है। इसमें अध्याय-आठ में निर्दिष्ट उच्च प्रौद्योगिक प्रणालियां स्थापित करने पर होने वाला खर्च भी सम्मिलित है।

वाणिज्यिक डिवीजन के गठन और स्थापना द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को पूर्णरूप से प्रोद्भूत होने वाला लाभ कई सौ करोड़ रूपए वाले भारतीय और विदेशी वाणिज्यिक सत्ताधारियों द्वारा प्रत्याशित निवेश की दृष्टि से बृहत होगा। भारत में घरेलू और विदेशी दोनों क्षेत्रों में निवेश में जबरदस्त वृद्धि होना अनिवार्य है यदि यह समझते है कि भारत में उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक डिवीजन मामलों का निपटारा दो वर्ष की अधिकतम अवधि में कर

देगें , जो अमरीका और ब्रिटेन में लंबित मामलों की अवधि के तुल्य है। हमारी राय में, उच्च प्रौद्योगिकी अवसंरचना से वाणिज्यिक डिवीजन की स्थापना में होना वाला खर्च उन समस्त लाभों का एक छोटा सा भाग होगा, जो देश की अर्थव्यवस्था को प्राप्त होगा यह पर्याप्त आश्वासन होगा कि उन्हें न्यायालयों में और अधिक विलम्ब के बारे में डरने की आवश्यकता नहीं है।

**वाणिज्यिक डिवीजन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या को बनाए रखना (अनुच्छेद 224क के अधीन न्यायाधीशों सहित)**

हो सकता है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में, अंतरित किए गए वाद या अंतरित की गई अपीलों की संख्या सहित भविष्य में फाइल किए जाने वाले एक करोड़ रूपये या अधिक मूल्य के नए वादों और अपीलों की संख्या बहुत अधिक हो जाए। वादों/अपीलों के निष्पादन के औसत और जो वाणिज्यिक डिवीजन में आते हैं, मामलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को यह सूनिश्चित करना चाहिए कि खंड न्यायपीठों में नियुक्ति के लिए इतने न्यायाधीश उपलब्ध हैं जितने कि डिवीजन में वाणिज्यिक मामलों का उचित और शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक होंगे। अनुच्छेद 224 के अधीन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उसी उच्च न्यायालय के या अन्य उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है। अनुच्छेद 224क के अधीन नियुक्त किए गए ये न्यायाधीश उच्च न्यायालय के अन्य नियमित न्यायाधीशों के साथ वाणिज्यिक मामलों का निपटारा कर सकते हैं। एक बार बकाया किसी संतोषजनक स्तर तक आ जाने पर उच्च न्यायालय यह विचार कर सकेगा कि क्या वह अपने नियमित केडर के न्यायाधीशों से स्थिति को संभालने में सक्षम होगा। हमारे विचार में, मुख्य न्यायमूर्ति को यह देखना चाहिए कि उसके उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्तियों की संख्या चाहे जो भी हो, वाणिज्यिक डिवीजन के लिए न्यायाधीशों की अपेक्षित संख्या निरंतर बनाए रखी जाएगी।

हम इससे इंकार नहीं करते कि उच्च न्यायालय में अन्य विषय अधिकारिता के लिए भी न्यायाधीशों की आवश्यकता है, उदाहरणार्थ दांडिक कार्य या रिट अधिकारिता आदि के लिए। परंतु देश में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या 600 से अधिक होने पर भी तथ्य यह है, हर समय हमेशा सौ या एक सौ पचास से अधिक रिक्तियां बनी रहती हैं। यह अत्यन्त अनिवार्य है कि मुख्य न्यायमूर्तियों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए होने वाली किसी रिक्ति की सिफारिश छः महीने पहले से भेज देनी चाहिए, सामान्यतया यह नहीं किया जाता है। अधिकतर उच्च न्यायालय स्तर पर साथियों से परामर्श की प्रक्रिया बहुत सी रिक्तियों होने के बहुत समय बाद प्रारम्भ की जाती है। न्यायाधीशों की विद्यमान अल्प संख्या से अधिकतर उच्च न्यायालयों के अत्यधिक बकाया कार्य का निपटारा तब तक नहीं हो सकेगा जब तक सिफारिश भेजने में ऐसे विलंब को दूर नहीं कर दिया जाता। ऐसा भी विचार था कि जब उच्च न्यायालय में नियमित या अतिरिक्त रिक्तियां उपलब्ध हैं, तब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति सामान्यत संविधान के अनुच्छेद 224क के अधीन नियुक्तियां नहीं करनी चाहिए। परंतु हालात बदल चुके हैं। आज वाणिज्यि मामलों का शीघ्र निपटान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दांडिक अपीलों का निपटारा करना। आयोग का विचार है कि उच्च न्यायालयों में दांडिक मामलों सहित विभिन्न प्रकार के बकाया मामलों के निपटारे के हित में एक ओर अधीनस्थ न्यायपालिका और बार से नियुक्त किए गए नियमित नए न्यायाधीश और दूसरी ओर अनुच्छेद 224क के अधीन की गई न्यायाधीशों की नियुक्तियों का संयोजन वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

हम कुछ पिछलों का संप्रेक्षण कर सकेंगे। कुछ ऐसे उच्च न्यायालय हैं जहां दांडिक अपीलें 20 वर्षों से अनधिक के लिए लंबित हैं। यदि कोई दांडिक अपील उच्च न्यायालय में 5 वर्ष से अनधिक के लिए लंबित है तो परिपाटी के अनुसार जमानते स्वत: ही दी जाती हैं। यह कार्यकलाप की स्थिति के लिए दुखद है। दांडिक विषय के बकाया कार्य को अनुच्छेद 224क के अधीन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को, जिन्हें दांडिक विधि में पर्याप्त विशेषज्ञता प्राप्त है, सही संख्या में नियुक्त करके आसानी से समाप्त किया जा सकता है। हमें किसी ऐसी स्थिति पर पहुंचना चाहिए जहां दांडिक अपीलें उच्च न्यायालय में उनके फाइल करने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर निपटान के लिए लाई जाती हैं। इसी प्रकार, उच्च न्यायालयों में लंबित परिवार विवाद के मामलों से संबंधित अपीलों की बहुत बड़ी संख्या को इस उपाय द्वारा शीघ्रता से निपटान किए जाने की आवश्यकता है और इसे अनुच्छेद 224क के अधीन न्यायाधीशों या अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करके प्राप्त किया जा सकता है।

हम मामले के इस पहलू का निर्देश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक डिवीजन की, उतनी न्यायपीठों की जितनी आवश्यक हों, स्थापना का प्रस्ताव मृत पत्र बना रहेगा यदि वाणिज्यिक डिवीजन में



न्यायाधीशों की पूरी संख्या नहीं होती जितनी कि उस डिवीजन के लिए अपेक्षित है। चूंकि दांडिक और रिट जैसी अन्य अधिकारिताओं के लिए भी न्यायाधीशों की आवश्यकता है तब प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित उपाय करना एक मात्र समाधान है:–

"(क) उच्च न्यायालय में रिक्त होने के छह महीने पहले ही बार और अधीनस्थ न्यायपालिका से नई नियुक्तियों के लिए सिफारिश करना; और

(ख) सर्वप्रथम बहुत बड़ी संख्या में बकाया पड़े कार्य के निपटान करने और दांडिक, वाणिज्यिक और पारिवारिक मामलों सहित सभी अधिकारिताओं में बकाया को प्रबंधनीय सीमा के भीतर लाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 224क के अधीन न्यायाधीशों को शीघ्र नियुक्त करना।"

## अध्याय-दस

# सिफारिशों का सारांश

इस रिपोर्ट में हमारे महत्वपूर्ण निष्कर्ष और सिफारिशें संक्षेप में नीचे की गई है:–

1. उच्च धनीय मूल्य के वाणिज्यिक मामलों को शीघ्र निपटाने का प्रयोजन

इस रिपोर्ट में प्रस्तावों का प्रयोजन उच्च धनीय मूल्य के वाणिज्यिक मामलों को शीघ्र निपटाना और भारत तथा भारत से बाहर वाणिज्यिक क्षेत्रों में यह विश्वास पैदा करना है कि हमारे न्यायालय, चाहे अन्य देशों के न्यायालयों की अपेक्षा तीव्रतर नहीं है, फिर भी नितान्त तीव्र है।

पिछली दशाब्दि में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिनके कारण भारत के वाणिज्य और औद्योगिक क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई हैं। वर्ष 1991 से, जब हमारी अर्थव्यवस्था वृहत्त रूप में विदेशी निवेश के लिए खोली गई थी, सरकार की नीतियों में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा उत्थान मिला है। साथ ही विश्व बहुत प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है।

वाणिज्यिक और व्यापार में ऐसी तीव्र वृद्धि से ऐसे वाणिज्यिक विवादों में भी वृद्धि होने की संभावना है जिनमें बहुत बड़ी धन राशियां अंतर्ग्रस्त हों। जब तक उनका तीव्रता और दक्षता से सुलझाने के लिए नया और प्रभावी तंत्र नहीं होगा तब तक प्रगति में विलंब होगा।

हमारी राय में वाणिज्यिक डिवीजन की स्थापना द्वारा संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था को पूर्णरूप से प्रोद्भूत होने वाला लाभ, कई सौ करोड़ रुपये होगा। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के वर्तमान युग को देखते हुए, भारत में घरेलू और विदेशी दोनों क्षेत्रों के पूंजी निवेशों में जबरदस्त वृद्धि होना अनिवार्य है यदि एक बार विश्व के पूंजीनिवेशकर्त्ता इस बात के प्रति निश्चित और आश्वस्त हो जाएं कि भारत में उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक डिवीजन मामलों को निपटारा दो वर्ष की अधिकतम अवधि में कर देंगे, जो अमेरिका या ब्रिटेन में लंबित मामलों की अवधि के तुल्य है। हमारी राय में, वाणिज्यिक डिवीजन की स्थापना में होने वाला खर्च उन समस्त लाभों का एक छोटा सा भाग होगा, जो देश की अर्थव्यवस्था को प्राप्त होगा। निवेशकर्त्ता अपनी पर्याप्त पूंजी के न्यायालय में अनुचित रूप में दीर्घकाल तक चलने वाल मुकदमें में अवरुद्ध होने के भय से मुक्त तौर से कारबार उचंमों में पूंजीनिवेश करेंगे। प्रस्तावित परिवर्तनों से समस्त बाजार के कारबारी परिदृश्य में पूंजीनिवेश से अनुकूल परिवर्तन होने की संभावना है।

2. उच्च धनीय मूल्य के "वाणिज्यिक मामलों" को शीघ्रता से निपटाने की पद्धति संक्षेप में:–

हम अपने प्रत्येक उच्च न्यायालय में "वाणिज्यिक डिवीजन" स्थापित करने की सिफारिश करते हैं ताकि यह एक करोड़ या अधिक उच्च प्रारंभिक मूल्य के, या ऐसी उच्च सीमा के जो उच्च न्यायालय द्वारा नियत की जाए, "वाणिज्यिक मामलों" को त्वरित आधार पर निपटा सके। हमने "त्वरित" माध्यस्थम के लिए ऐसी प्रक्रिया की सिफारिश भारतीय माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1966 के संशोधनों पर अपनी रिपोर्ट में की थी। इसका उद्देश्य यह है कि भारत के सभी राज्यों में ऐसे उच्च मूल्य के वाणिज्यिक मामले का निपटान एक वर्ष या अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि के भीतर हो जाना चाहिए। दो वर्ष की अधिकतम अवधि पूर्णतया न्यायोचित है और अधिकतर विदेशी न्यायालयों और विशिष्ट रूप से अमरीका और ब्रिटेन में, लंबित मामलों की अवधि के तुल्य है। प्रस्तावित डिवीजन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा जो सिविल विधि में और विशेषकर वाणिज्यिक विधि में, निपुण हो, गठित किया जाना चाहिए। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को विश्वपर्यंत वाणिज्य में तेजी से होने वाल परिवर्तनों की विस्तृत अवस्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए और यह कि वाणिज्यिक विधि की नई शाखाओं के संबंध में उनके ज्ञान के स्तर को निरंतर व्याख्यान कार्यक्रम द्वारा अद्यतन किया जाना चाहिए। हमारे विचार में, एक करोड़ रु. या अधिक धनीय सीमा के वाणिज्यिक मामलों को, ऊपर बताए गए अनुसार, उच्च न्यायालय की मूल शाख में लिया जाना चाहिए और वाणिज्यिक डिवीजन को आबंटित किया जाना चाहिए। साथ ही, उपर्युक्त उच्च धनीय मूल्य के वाणिज्यिक मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों के





समक्ष लंबित अपीलों को भी उच्च न्यायालयों में लंबित अन्य सिविल अपीलों के साथ रखने की बजाए सीधे ही वाणिज्यिक डिवीजन को आबंटित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, वाणिज्यिक डिवीजन द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन भी उसी डिवीजन द्वारा किया जाना चाहिए।

3. उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक डिवीजन का सृजन

हमने अपने प्रत्येक उच्च न्यायालय में "वाणिज्यिक डिवीजन" की स्थापना की सिफारिश करते हैं। न्यायपीठ में उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश होंगे और आवश्यकता के आधार पर प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक से अधिक ऐसी न्यायपीठ हो सकेंगी।

4. मूल मामलों के संबंध में वाणिज्यिक डिवीजन की अधिकारिता

(1) विषय-वस्तु से संबंधित अधिकारिता:—

वाणिज्यिक डिवीजन की विषय-वस्तु संबंधी अधिकारिता उपवर्णित करने के लिए हम दिल्ली उच्च न्यायालय नियमों के अध्याय III (भाग V) के भाग घ के नियम 1 में यथा परिभाषित "वाणिज्यिक वाद" की परिभाषा को मामूली उपांतरणों के साथ, जिनकी चर्चा नीचे की जा रही है, अपनाते हैं।

उक्त नियमों में "वाणिज्यिक मामलों" के वर्गीकरण में यह अधिकथित है:

"वाणिज्यिक मामलों" में, वाणिज्यिक दस्तावेजों, माल का निर्यात और आयात, माल संविदा, सड़क द्वारा माल की ढुलाई, बीमा, बैंकिंग और वाणिज्यिक दस्तावेज, वाणिज्यिक अभिकरण, वाणिज्य व्यवहार और व्यापार चिन्हों का अतिलंघन तथा कार्रवाई संक्रमण से संबंधित जैसे वणिकों, बैंकर्स और व्यापारियों के सामान्य व्यवहारों से उद्भूत होने वाले मामले सम्मिलित हैं। साधारण ऋणों और बंधकों से संबंधित वाद "वाणिज्यिक मामले" नहीं हैं।

उपरोक्त परिभाषा विस्तृत है और वास्तव में इसका व्यापक रूप में अर्थ लगाना होगा। अध्याय नौ में हमारी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम सिफारिश करते है कि "वाणिज्यिक विवादों" को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए:—

वाणिज्यिक विवादों से अभिप्रेत है—

व्यापार या वाणिज्य के संव्यवहारों से उद्भूत होने वाले विवाद और विशेष रूप से, वाणिज्यिक दस्तावेजों के प्रवर्तन और निर्वचन, माल के आयात अथवा निर्यात, माल-संविदा, माल की ढुलाई, विशेषाधिकार, वितरण और लाईसेंसिंग करार, वाणिज्यिक अभिकरण और वाणिज्यिक व्यवहार, भागीदारी, प्रौद्योगिकी विकास, अनुरक्षण और परामर्शी करार, सोफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क्स, इंटरनेट, वेबसाइट और व्यापारिक चिन्ह, कापीराइट, पेटेंट, डिजाइन, संपत्ति नाम और ब्रांड जैसी बौद्धिक संपत्ति से संबंधित वणिकों, बैंकर्स और व्यापारियों के सामान्य संव्यवहारों से उद्भूत होने वाले विवाद और ऐसे अन्य वाणिज्यिक विवाद, जिन्हें उच्च न्यायालय अधिसूचित करें।

**स्पष्टीकरण 1**—कोई विवाद जो वाणिज्यिक है मात्र इसलिए वाणिज्यिक विवाद नहीं रहेगा इसमें स्थावर संपत्ति की वसूली के लिए अथवा प्रतिभूति के रूप में दी गई स्थावर संपत्ति में से धन वसूली के लिए अथवा अचल संपत्ति के विरुद्ध अन्य कार्रवाई करने के लिए कार्रवाही भी अंतर्ग्रस्त है।

**स्पष्टीकरण 2**— कोई विवाद, जो वाणिज्यिक विवाद नहीं है, वाणिज्यिक विवाद माना जाएगा यदि विवाद में अंतर्ग्रस्त स्थावर संपत्ति व्यापार में उपयोग की जाती है अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए लगाई जाती है।

(2) धनीय और अन्य अधिकारिताएं

वाणिज्यिक डिवीजन उच्च मूल्य के मामलों के बारे में कार्यवाही करेगा और मूल अधिकारिता का न्यायालय होगा। यह अपीलीय न्यायालय भी होगा किंतु केवल उन अपीलों के संबंध में जो प्रस्तावित अधिनियम की तारीख को उच्च न्यायालय में लंबित थीं। यह उपर्युक्त वर्गों के मामलों से उद्भूत होने वाली निष्पादन कार्यवाहियों पर भी कार्यवाही करेगा।

हमारे विचार में, वाणिज्यिक डिवीजन की अधिकारिता नियत करने के प्रयोजनों के लिए विवाद की विषय-वस्तु का मूल्यांकन सरल होना चाहिए। हमने वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 और उसके राज्य संशोधनों

के अधीन न्यायालय के में सिविल वाद दायर करने को शासित करने वाले मूल्यांकन के सिद्धांतों तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि राज्य विधायिकाओं द्वारा बताए गए विभिन्न विधानों का अध्ययन किया है। उन अधिनियमों में, मूल्यांकन की पद्धति बहुत जटिल है और हम उनको अपनाना नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर, हम मूल्यांकन की किसी एकल पद्धति को अपनाना चाहते हैं। जहां तक धन संबंधी वादों या स्थावर संपत्ति से संबंधित वादों का संबंध है, इसमें अधिक कठिनाई नहीं है। यहां भी हमारा यह विचार है कि यदि वाद जंगम संपत्ति को प्रभावित करता है, चाहे वह चल संपत्ति की वसूली के लिए है या नहीं, तो इसका मूल्यांकन वाद की तारीख को संपूर्ण जंगम संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, जब हम स्थावर संपत्ति को प्रभावित करने वाले वादों अथवा उसमें अधिकारों पर कार्यवाही करते हैं, तब विवाद के मूल्य की गणना संपूर्ण स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय में उन अपीलों के मामले में जिन्हें वाणिज्यिक डिवीजन को आबंटित किया जाना है, विवादग्रस्त विषय-वस्तु का मूल्य, वाद की तारीख को उपरोक्त रीति से की गई गणना के अनुसार होगा।

यह उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम एक करोड़ रुपये या अधिक मूल्य के वाणिज्यिक मामलों को लागू होना चाहिए। यह न्यूनतम एक करोड़ रुपये या अधिक आरंभिक मूल्य के (या ऐसे उच्च धनीय मूल्य के, जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाए) लंबित वाणिज्यिक वादों के लिए भी लागू होगा। इन लंबित वादों में कुछ ऐसे वाद हो सकते हैं, जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ असीमित अधिकारिता वाले न्यायालयों में दायर किए गए हैं और कुछ दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों की मूल शाखा में लंबित वाद हो सकते हैं।

प्रस्तावित अधिनियम में उपरोक्त वादों को वाणिज्यिक डिवीजन को अंतरित और/या आबंटित के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम एक करोड़ रुपये या अधिक धनीय मूल्य (जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाए) नियत करने का एक उपबंध अंतर्विष्ट होगा। उच्च न्यायालय को न्यूनतम धनीय मूल्य को एक करोड़ रुपये से बढ़ाने के लिए समर्थ बनाने वाला एक विशिष्ट उपबंध भी अंतर्विष्ट होगा, परंतु न्यूनतम धनीय मूल्य 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। हम इस प्रक्रिया का प्रस्ताव इसलिए कर रहे हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में, जहां अनेक बड़े शहरों में संव्यवहार मूल्य बहुत अधिक है, वहां कोई उच्चतर आरंभिक मूल्य नियत करना अनिवार्य हो सके ताकि वाणिज्यिक डिवीजन पर प्रारंभ में अधिक भार न हो जाए। उच्च न्यायालय एक करोड़ रुपये से अधिक न्यूनतम मूल्य (परंतु 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं) नियत कर सकेगा और बाद में किसी भी समय इसे कम कर सकेगा परंतु एक करोड़ रु. से कम नहीं कर सकेगा।

5. वाणिज्यिक डिवीजन को आबंटित किए जाने वाले उच्च न्यायालय में लंबित मामलों का स्वरूप।

उच्च न्यायालय में लंबित ऐसे मामले, जिन्हें वाणिज्यिक डिवीजन को आबंटित किया जाना है, निम्न प्रकार है:—

(क) उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों से अपीलें अथवा उच्च न्यायालय की मूल शाखा के विद्वान एकल न्यायाधीशों के निर्णयों के विरुद्ध खंड न्यायपीठों को अपीलें। यहां भी, मामले उपरोक्त पैरा 4(2) में यथा प्रस्तावित धनीय मूल्य के होने चाहिए।

(ख) उपरोक्त पैरा 4(2) में यथा प्रस्तावित धनीय मूल्य के लंबित वादों में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 43 के अधीन फाइल किए गए अंतर्वर्ती आदेशों के विरुद्ध अपीलें अथवा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के अधीन फाइल किए गए आवेदन अथवा संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के अधीन उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा परित अंतर्वर्ती आदेशों की विधिमान्यता को चुनौती देने वाला फाइल किया गया आवेदन अथवा उच्च न्यायालय की मूल शाखा के विद्वान एकल न्यायाधीशों द्वारा पारित अंतर्वर्ती आदेशों की विधिमान्यता को प्रश्नगत करने वाली लेटर्स पेटेन्ट अपीलें (अथवा उच्च न्यायालय अधिनियमों द्वारा अनुज्ञात उसी प्रकार की अपीलें), उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक डिवीजन को आबंटित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

6. त्वरित प्रक्रिया

6.1 नए वादों के संबंध में:

वे नए वाद, जो उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक डिवीजन की स्थापना के पश्चात् फाइल किए जाएं, ऐसे उपांतरण के अध्यधीन जो किसी सिविल न्यायालय की वाद प्रक्रिया के लिए आवश्यक हो, ''त्वरित माध्यस्थम्''



के लिए उपदर्शित 'त्वरित' प्रक्रिया की पद्धति पर निपटाये जाएंगे। जहां तक माध्यस्थम् के लिए 'तवरित' प्रक्रिया का संबंध है, यह माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2002 विषय पर 176वीं रिपोर्ट के साथ संलग्न विधेयक की चौथी अनुसूची में अंतर्विष्ट है।

6.2 त्वरित प्रक्रिया के लिए प्रमुख मार्गनिर्देश निम्नलिखित हैं:—

(i) अभिवचन और विवाद्यक

वादी को वादपत्र के साथ सुसंगत दस्तावेज, जिन पर वादी विश्वास करने का प्रस्ताव करता है और शपथ पत्र द्वारा मुख्य परीक्षण में साक्षियों का कथन तथा प्रारूप विवाद्यक, जिनके उठाने की संभावना है,वाणिज्यिक डिवीजन में फाइल करने चाहिए। इनकी प्रतियां विरोधी पक्षकारों को, उसी तारीख को जिसको वादपत्र फाइल किया जाता है, भेजनी होंगी, परिप्रश्नों की सूची, यदि कोई हो और प्रकटीकरण और उसकी प्रस्तुति के लिए आवेदन, यदि कोई हों, उसकी सुसंगतता का उल्लेख करते हुए इसी प्रकार इसी तारीख को भेजे जाने चाहिएं। संसूचना और शीघ्र पत्राचार के प्रयोजन से वादी को सभी दावेदारों और सभी पक्षकारों के पूर्ण पते, ई-मेल या फैक्स, टेलीफोन नंबर सहित, यदि कोई हो, जहां तक वादी को जानकारी है, भी देने चाहिए। विवाद्यक प्ररूप की सूची भी उसी तारीख को फाईल की जानी चाहिए।

प्रतिवादी को वादपत्र और उपर्युक्त अन्य संलग्नकों की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर, अपना लिखित कथन सुसंगत दस्तावेजों, मुख्य साक्ष्य के शपथ पत्र और आवेदन पत्रों के साथ, जैसा वादी के मामले में ऊपर निर्देशित किया गया है, वाणिज्यिक डिवीजन में फाइल करने चाहिएं। उसे उनकी प्रतियां वादी को भी भेजनी चाहिए। इसके साथ ही, यदि कोई प्रतिदावा है तो उसे दावा उपर्युक्त निर्देशित विभिन्न दस्तावेज लगाकर, लिखित कथन के साथ फाइल करना चाहिए। उसे उन विवाद्यकों का, जिनके उठाए जाने की संभावना है, प्ररूप भी फाइल करना चाहिए और उसकी एक प्रति वादी को भेजनी चाहिए।

यदि वादी कोई प्रत्युत्तर फाइल करना चाहता है तो न्यायालय की इजाजत आवश्यक है और इस प्रयोजन के लिए उसे लिखित कथन की तामील के 15 दिनों के भीतर आवेदन करना चाहिए और यदि इसकी अनुज्ञा दी जाती हे तो ऐसी अनुज्ञा देने वाले वाणिज्यिक डिवीजन के आदेश के एक महीने के भीतर प्रत्युत्तर फाइल करना चाहिए।

विभिन्न दस्तावेज और आवेदन फाइल करने के लिए जो प्रक्रिया वादपत्रों पर लागू होती है वही प्रतिदावों पर भी लागू होगी।

यदि दस्तावेजों के प्रकटीकरण या प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाती है तो पक्षकारों को वाणिज्यिक डिवीजन द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपूरक कथन फाइल करने की अनुज्ञा दी जाएगी और दस्तावेजों की प्रतियों तथा सुसंगत साक्ष्य शपथपत्र, यदि कोई हो, के साथ विरोधी पक्षकार को एक सूचना तामील की जाएगी।

(ii) 'वाद प्रबंधन सम्मेलन' आयोजित करना

वाणिज्यिक डिवीजन का एकल न्यायाधीश एक या अधिक 'वाद प्रबंधन सम्मेलन' आयोजित करेगा तथा विवाद्यकों को अंतिम रूप देने, और साक्षियों की प्रति परीक्षा के लिए, यदि कोई हो, और लिखित पक्षकथन फाइल करने तथा तत्पश्चात् मौखिक पक्षकथन करने के लिए भी कोई समय सूची नियत करेगा। तथापि, इन प्रयोजनों के लिए समय-सीमा नियत करने वाले कोई सशर्त आदेशों से, यदि किसी एक पक्षीय आदेश या व्यतिक्रम आदेश के परिणाम की संभावना है, दो विद्वत न्यायाधीशों वाली न्यायपीठ द्वारा पारित किए जाने चाहिए।

पक्षकार या काउंसेल को मौखिक निवेदनों से पहले लिखित निवेदन फाइल करने चाहिए और वाद प्रबंधन सम्मेलन में, मौखिक निवेदनों सहित, सभी समय-सीमाएं पहले ही से नियत करनी चाहिए।

(iii) वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति का अपनाया जाना

वाणिज्यिक डिवीजन वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति द्वारा विवाद के समाधान पर विचार करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 के उपबंधों को लागू कर सकेगा।

(iv) साक्ष्य अभिलिखित करने की रीति

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि वाणिज्यिक डिवीजन में प्रतिपरीक्षा या पुनःपरीक्षा में साक्ष्य विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित किया जा सकेगा और ग्राह्यता के बारे में आपत्ति उसके द्वारा अभिलिखित तो की जा सकती हैं किंतु उनका विनिश्चय दो विद्वत न्यायाधीशों वाली न्यायपीठ द्वारा किया जा सकेगा।

हम यह भी सिफारिश करते हैं कि एकल न्यायाधीश प्रतिपरीक्षा या पुनःपरीक्षा में ऐसा साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए 25 वर्ष से अन्यून के अनुभव वाले अधिवक्ता आयुक्त या न्यायाधीश के पद के किसी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को अथवा किसी सेवानिवृत्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश को नियुक्त कर सकेगा।

हम यह भी बताना चाहते हैं कि सामान्यतः ऐसे उच्च मूल्य के वाणिज्यिक मामलो में साक्ष्य अधिकतर दस्तावेजी होगा और मौखिक साक्ष्य बहुत कम होगा या नहीं होगा।

(v) सभी उच्च प्रौद्योगिक प्रणालियों और ऑन लाइन सम्पन्न वाणिज्यिक डिवीजन

वाणिज्यिक डिवीजन अध्याय-आठ में निर्दिष्ट वीडियों कांफ्रेसिंग सहित श्रव्य और दृश्य सुविधाओं जैसे सभी उच्च प्रौद्योगिक प्रणालियों से संपन्न होगा। उसमें आन लाइन फाइलिंग होनी चाहिए। उच्च प्रौद्योगिक प्रणाली के संस्थपना के कारण वाणिज्यिक डिवीजन के पठन या उसके कार्यकरण में विलंब नहीं होना चाहिए।

(vi) निर्णय सुनाने के लिए समय-सीमा

वाणिज्यिक डिवीजन का निर्णय बहस की समाप्ति के 30 दिन के भीतर सुनाया जाना होगा और साथ ही उसकी प्रतियां ई-मेल द्वारा या अन्यथा सभी पक्षकारों के लिए जारी की जानी चाहिए।

(ख) वाणिज्यिक डिवीजन को अंतरित किए गए या आबंटित किए गए लंबित वाणिज्यिक वादों के संबंध में त्वरित प्रक्रिया:

उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों या उच्च न्यायालय की मूल शाखा में लंबित वाणिज्यिक वादों में भी, जहां विषय-वस्तु का मूल्य विहित उच्च मूल्य (अर्थात् एक करोड़ रुपये या अधिक) है, जो उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक डिवीजन को अंतरित कर दिए जाएंगे, यदि अभिवचन पूरे नहीं होने वाली, लागू होने वाली उपर्युक्त निर्दिष्ट प्रक्रिया उस सीमा तक, उस स्तर को ध्यान में रखते हुए जिस पर वाद वाणिज्यिक डिवीजन को अंतरित या आबंटित किया जाता है, लागू होनी चाहिए।

(ग) उच्च न्यायालय में एकल विद्वत न्यायाधीश द्वारा पारित डिक्रियों या आदेशों के विरुद्ध लंबित अपीलों में प्रत्यर्थियों को व्यक्तिगत सूचना की तामील से अभियुक्त करना:

उच्च न्यायालय में विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों या डिक्रियों के विरुद्ध लंबित अपीलों में, जहां प्रत्यर्थियों को सूचना तामील नहीं की गई हैं, निम्नलिखित प्रक्रिया का, जिसका कुछ उच्च न्यायालयों (अर्थात् आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक) में पालन किया जाता है, पालन करना चाहिए। यदि एकल न्यायाधीश के समक्ष पक्षकारों का काऊंसेल द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है तो उसका नाम वाद सूची में स्वतः ही मुद्रित हो जाएगा और उसे हाजिर होना चाहिए। उसे संबंधित पक्षकारों से आवश्यक अनुदेश प्राप्त करने के लिए समय दिया जाएगा। यह प्रक्रिया बहुत सा समय बचाती है। इसके अतिरिक्त, यदि मुख्य वाद लंबित है और वही वकील मुख्य वाद में भी पक्षकारों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और यदि वह अंतर्वर्ती मामलों में विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष हाजिर हो चुका है तो सूचना की तामील उसी काऊंसेल को की जानी चाहिए। (वास्तव में, उपरोक्त उच्च न्यायालयों में वकालतनामा फार्म में एक खंड अंतर्विष्ट है कि किसी विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष हाजिर होने के लिए उच्च न्यायालय में फाइल किया गया वकालतनामा किसी खंड न्यायपीठ के समक्ष डिक्री या आदेश के विरुद्ध किसी अपील में हाजिर होने का प्रयोजन भी सुनिश्चित करेगा) यह प्रक्रिया उच्च न्यायालय में लंबित अपीलों के लिए सीमित है। जहां तक भविष्य का संबंध है, चूंकि लंबित अपीलों पर उच्च न्यायालय में एक खंड न्यायपीठ द्वारा विचार किया जाना है, यह समस्या पैदा नहीं होती है।



(घ) पेपर बुक (अभिलेख पुस्तक), लिखित निवेदनों का फाइल करना और समय-सीमा का पालन

डिवीजन को आबंटित लंबित अपीलों/पुनरीक्षणों में आवश्यक पेपर बुक नियत किए जाने वाले प्रस्तावित समय के भीतर अर्थात् तीन महीने में फाइल कर दी जानी चाहिए। लिखित निवेदन उसके तुरंत पश्चात् मौखिक निवेदनों से पहले फाइल किए जाने चाहिए। मौखिक निवेदनों के लिए समय-सीमा भी वाद प्रबंधन सम्मेलनों में पहले ही नियत की जानी चाहिए।

(ङ) मामलों का निपटान करने के लिए वाणिज्यिक डिवीजन के लिए समय-सीमा:

वाणिज्यिक डिवीजन द्वारा निपटान के लिए समय-सीमा के विषय में, प्रस्तावित अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात् फाइल किए गए नए वादों का निपटान विरोधी पक्षकार को सूचना की तामील के पूरा होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। निचले न्यायालयों से उच्च न्यायालय को अंतरित और वाणिज्यिक डिवीजन को आबंटित विद्यमान वादों का निपटान भी दो वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए परंतु यदि वे पहले ही दो वर्ष या अधिक से लंबित है, जहां विरोधी पक्षकारों को प्रस्तावित अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख तक पहले की सूचना की तामील कर दी गई हैं, उनका निपटान वाणिज्यिक डिवीजन को आबंटित से एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। जहां अंतरित वाद तामील के प्रक्रम हैं, उसका निपटान विरोधी पक्षकार को तामील पूरा होने के दो वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए।

खंड को अंतरिक की गई अंतर्वर्ती अपीलों का विनिश्चय तामील प्रक्रम के पूरा होने की तारीख से या वाणिज्यिक डिवीजन को आबंटन की तारीख से तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए।

वाणिज्यिक डिवीजन द्वारा निष्पादन कार्यवाहियों का निपटान डिक्री पारित करने के छह महीने के भीतर कर दिया जाना चाहिए। पक्षकारों को अपने लिखित निवेदन मुख्य निष्पादब आवेदन की सुनवाई की तारीख के एक महीने पहले फाइल कर देने चाहिए।

7. वाणिज्यिक डिवीजन के कतिपय आदेशों और डिक्रियों के विरुद्ध प्रारंभिक सुनवाई के लिए उनको सूचीबद्ध करने के नियमों सहित ऐसे नियमों के अध्यधीन, जो उच्च्तम न्यायालय द्वारा बनाए जाएं, उच्च्तम न्यायालय में अपील करने का सांविधिक अधिकार होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 43 में निर्देशित विशिष्ट श्रेणियों के वाणिज्यिक डिवीजन द्वारा पारित अंतर्वर्ती आदेशों के विरुद्ध भी उच्चतम न्यायालय में सांविधिक अपीलें की जा सकेंगी।

तथापि, कोई सांविधिक अपील अन्य अंतर्वर्ती आदेशों या निष्पादन आदेशों के विरुद्ध नहीं ही जा सकेगी परंतु ऐसे आदेशों को केवल भारत के संविधान के अनच्छेद 136 के अधीन चुनौती दी जा सकती है।

8. कतिपय मामलों के लिए वाणिज्यिक डिवीजन का निष्पादन न्यायालय होना:

ऐसे उच्च मूल्य के वादों में, जो वाणिज्यिक डिवीजन के समक्ष नए वादों में आ सकते है, जो इसके समक्ष फाइल किए जा सकते हैं, या उन लंबित वादों में जो या तो अधीनस्थ न्यायालयों से उसे अंतरित किए गए हैं या उच्च न्यायालय की मुख्य शाखा से उसे आबंटित किए गए, डिक्री के फल के आपन में निष्पादन के कारण से विलंब नहीं किया जा सकेगा। निष्पादन के सभी मामले केवल वाणिज्यिक डिवीजन द्वारा ही निपटाए जाने चाहिए।

उन निष्पादन मामलों के विषय में, जो अंतरित मामले है, अर्थात् उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों के विरुद्ध लंबित नियमित प्रथम अपीलों में जो वाणिज्यिक डिवीजन को अंतरित की जाती है और मूल शाखा के विरूद्ध एकल न्यायाधीशों द्वारा पारित डिक्रियों के विरुद्ध लंबित नियमित प्रथम अपीलें जो वाणिज्यिक डिवीजन को आबंटित की जाती है, हम यह सिफारिश करते है कि यह सिद्धांत कि प्रथम बार का न्यायालय निष्पादन न्यायालय होना चाहिए, छोड़ दिया जाना चाहिए और यह कि ऐसी सभी नियमित प्रथम अपीलों में, जो उच्च न्यायालय में लंबित है और वाणिज्यिक डिवीजन को अंतरित या आबंटित की गई है, निष्पादन कार्यवाहियां वाणिज्यिक डिवीजन में शुरु की जाएंगी और निपटायी जाएंगी।

9. वाणिज्यक डिवीजन स्थापित करने के लिए विशेष बजट समर्थन की आवश्यकता:

हम सिफारिश करते हैं कि वाणिज्यक डिवीजन की स्थापना के लिए अंर्तवलित व्यय की पूर्ति हेतु केन्द्रीय और राज्य सरकारों को आवश्यक निधि उपलब्ध करानी चाहिए। इसमें उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करने, सहायक कर्मचारिवृंद और अन्य अवसंरचना उपलब्ध कराने पर आने वाला खर्च सम्मिलित है। इसमें अध्याय-आठ में निर्दिष्ट उच्च प्रौद्योगिक प्रणालियां स्थापित करने पर होने वाला खर्च भी सम्मिलित है।

10. वाणिज्यक डिवीजन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या (संविधान के अनुच्छेद 224 के अधीन नियुक्त किए गए न्यायधीशों सहित) संगत बनाए रखा जाना:

हो सकता है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में, अंतरित किए गए वाद या अंतरित की गई अपीलों की संख्या सहित भविष्य में फाइल किए जाने वाले एक करोड़ रुपये या अधिक मूल्य के नए वादों और अपीलों की संख्या बहुत अधिक हो जाए। वादों/अपीलों के निष्पादन के औसत और वाणिज्यक डिवीजन को आबंटित मामलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खंड न्यायपीठों में नियुक्ति के लिए इतने न्यायाधीश उपलब्ध हैं जितने के डिवीजन में वाणिज्यक मामलों के उचित और शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक होंगे।

संविधान के अनुच्छेद 224क के अधीन आवश्यक नियुक्तियां करना:

अनुच्छेद 224 के अधीन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उसी उच्च न्यायालय के या अन्य उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है। अनुच्छेद 224क के अधीन नियुक्त किए गए ये न्यायाधीश उच्च न्यायालय के अन्य नियमित न्यायाधीशों के साथ वाणिज्यिक मामलों का निपटारा कर सकते हैं। एक बार बकाया किसी संतोषजनक स्तर तक आ जाने पर उच्च न्यायालय यह विचार कर सकेगा कि क्या वह अपने नियमित केडर के न्यायाधीशों से स्थिति को संभालने में सक्षम होगा। हमारे विचार में, मुख्य न्यायमूर्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्तियों की संख्या चाहे जो भी हो, वाणिज्यिक डिवीजन के लिए न्यायाधीशों की अपेक्षित संख्या निरंतर बनाए रखी जाएगी।

हम इससे इंकार नहीं करते कि उच्च न्यायालय में अन्य विषय अधिकारिता के लिए भी न्यायाधीशों की आवश्यकता है, उदाहरणार्थ दांडिक कार्य या रिट अधिकारिता आदि के लिए। परंतु देश में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या 600 से अधिक होने पर भी तथ्य यह है, हर समय हमेश सौ या एक सौ पचास से अधिक रिक्तियां बनी रहती हैं। यह अन्यन्त अनिवार्य है कि मुख्य न्यायमूर्तियों को होने वाली किसी रिक्ति की सिफारिश छह महीने पहले से भेज देनी चाहिए ताकि रिक्तियां न भरे जाने के कारण मामलों के निपटान में विलंब न हो। न्यायाधीशों की विद्यमान अल्प संख्या से अधिकतर उच्च न्यायालयों के अत्यधिक बकाया कार्य का निपटारा तब तक नहीं हो सकेगा जब तक सिफारिश भेजने में ऐसे विलंब को दूर नहीं कर दिया जाता। ऐसा भी विचार था कि जब उच्च न्यायालय में नियमित या अतिरिक्त रिक्तियां उपलब्ध हैं, तब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति सामान्यत: संविधान के अनुच्छेद 224क के अधीन नियुक्तियां नहीं करनी चाहिए। परंतु हालात बदल चुके हैं। आज वाणिज्यिक मामलों का शीघ्र निपटान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दांडिक अपीलों का निपटारा करना। आयोग सिफारिश करता है कि उच्च न्यायालयों में दांडिक मामलों सहित विभिन्न प्रकार के बकाया मामलों के निपटारे के हित में एक ओर अधीनस्थ न्यायपालिका और बार से नियुक्त किए गए नियमित नए न्यायाधीश ओर दूसरी ओर अनुच्छेद 224क के अधीन की गई न्यायाधीशों की नियुक्तियों का संयोजन वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

उच्च न्यायालयों में लंबित दांडिक अपीलों, परिवार विवाद से संबंधित अपीलों के बकाया कार्य के निपटान के लिए इसी प्रकार की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता:

इसी प्रकार, कुछ उच्च न्यायालयों में लंबित (बीस वर्ष से अधिक समय से लंबित) दांडिक अपीलों के बकाया कार्य का निपटान उच्च न्यायालय में इन अपीलों के फाइल किए जाने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर किया जाना अपेक्षित है। दांडिक विषय के बकाया कार्य को अनुच्छेद 224क के अधीन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीशों को, जिन्हें दांडिक विधि में पर्याप्त विशेषज्ञता प्राप्त है, सही संख्या में नियुक्त करके आसानी से समाप्त किया जा सकता है।



इसी प्रकार, उच्च न्यायालयों में लंबित परिवार विवाद के मामलों में संबंधित अपीलों की बहुत संख्या को इस उपाय द्वारा शीघ्रता से निपटान किए जाने की आवश्यकता है, ऐसा न हो कि मुकदमेबाज दार्घकालिक प्रणाली में विश्वास न खो दें।

हम मामले के इस पहलु का निर्देश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक डिवीजन की स्थापना का प्रस्ताव मृत पत्र बना रहेगा यदि वाणिज्यिक डिवीजन में न्यायाधीशों की पूरी संख्या नहीं होती जितनी कि उस डिवीजन के लिए अपेक्षित है। चूंकि दांडिक और रिट जैसी अन्य अधिकारिता के लिए भी न्यायाधीशों की आवश्यकता है तब प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित उपाय करना एक मात्र समाधान है:—

"(क) उच्च न्यायालय में रिक्त होने के छह महीने पहले ही बार और अधीनस्थ न्यायपालिका से नई नियुक्तियों के लिए सिफारिश करना; और

(ख) सर्वप्रथम बहुत बड़ी संख्या में बकाया पड़े कार्य के निपटान करने और दांडिक, वाणिज्यिक और पारिवारिक मामलों सहित सभी अधिकारिताओं में बकाया को प्रबंधनीय सीमा के भीतर लाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 224क के अधीन न्यायाधीशों को शीघ्र नियुक्त करना।"

हम इस रिपोर्ट को तैयार करने में डा० एस० मुरलीधर, अंशकालिक सदस्य द्वारा दिए गए विस्तृत योगदान को सराहना करते हैं।

हम तद्नुसार सिफारिश करते हैं।

ह०
(एम० जगन्नाथ राव)
अध्यक्ष

ह०
(डा० एन० एम० घटाटे)
उपाध्यक्ष

ह०
(डा० के० एन० चतुर्वेदी)
सदस्य-सचिव

तारीख: 15.12.2003

MGIPMRND—3745LAW—05-09-2005.

PLD-92-CLXXXVIII (Hindi)
75—2005 (DSK-IV)

*Price* : Rs. 1595.00 *Foreign* £ 23.45 or *cents* 33.22.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI—2005.